

नीतिगत वातावरण

इस अध्याय में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 (सितंबर 2009 तक) की मौद्रिक, बैंकिंग (वाणिज्यिक और सहकारी), विनियामक और वित्तीय नीतिगत गतिविधियों को प्रलेखित किया गया है। वैश्विक वित्तीय संकट के संदर्भ में, हाल के नीतिगत पहलों में वृद्धि की गति में आई मंदी को रोकने के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता बनाए रखने पर फोकस किया गया। तदनुसार, रिजर्व बैंक द्वारा किए गए पहलों का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को ऋण का अबाधित प्रवाह सुनिश्चित करने के साथ बैंकिंग प्रणाली एवं वित्तीय बाजारों को सुदृढ़ करना था। वर्ष के दौरान बैंकिंग प्रणाली के विवेकपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण की नीतियों को सुदृढ़ बनाया गया। चल रही वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया क्योंकि समावेशक वृद्धि के प्राप्ति के लिए यह अनिवार्य है। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाने तथा कमजोर संस्थाओं को समाप्त करने के लिए इस क्षेत्र में पहल किए गए हैं। बैंकों को ग्राहकों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए कई उपाय किए गए। वित्तीय समावेशन को सुकर बनाने तथा बैंकिंग प्रणाली की समग्र दक्षता बढ़ाने की दृष्टि से बैंकिंग प्रणाली में प्रौद्योगिकीय उन्नयन को उचित प्राथमिकता प्रदान की गई। यतः भुगतान और निपटान प्रणाली का कारगर तरीके से कार्य करना वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने तथा मौद्रिक नीति के संचारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, अतः वर्ष के दौरान उसकी परिचालनात्मक दक्षता सुधारने के लिए कई उपाय किए गए।

1. प्रस्तावना

3.1 वैश्विक मंदी का बने रहना सामान्य रूप से वित्तीय क्षेत्र के लिए तथा विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र के लिए पूरे विश्व में एक परीक्षा की घड़ी है। वित्तीय उथल-पुथल से विकीर्ण प्रभावों से निपटाना सरकारों एवं केंद्रीय बैंकों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण है क्योंकि संकट का प्रभाव काफी व्यापक और गंभीर बन गया है। वैश्विक वित्तीय बाजारों की न सुलझायी जा सकनेवाली स्थितियों को देखते हुए त्वरित एवं उपयुक्त नीतिगत उपाय शुरू करना अपेक्षित है। जहां पूरे विश्व में सरकारों द्वारा स्फीतिकारी राजकोषीय नीतियों का अनुसरण किया जा रहा है, वहीं केंद्रीय बैंकों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर वैश्विक मंदी एवं ऋण संबंधी संकट के प्रभाव को कम करने चलनिधि की स्थिति में नरमी लाने तथा मांग को उत्प्रेरित करने के लिए कई उपाय (परंपरागत तथा गैर-परंपरागत) किए। उक्त संकट ने एक बार फिर वित्तीय स्थिरता के मुद्दे को सामने ला दिया तथा, इस प्रकार, प्रतिचक्रीय राजकोषीय, मौद्रिक और विवेकपूर्ण उपायों पर चर्चा शुरू करनी पड़ी। 'उत्पन्न कर वितरित करें' मॉडल, जो संकट का मूल कारण था, पर भी कई दृष्टिकोणों से पुनर्विचार किया

गया। विनियामकों के परिप्रेक्ष्य से, इस संकट के कारण विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने की जरूरत पर बल दिया गया ताकि उपयुक्त पूंजी, चलनिधि और प्रकटीकरण अपेक्षाएं अपनाकर वित्तीय नवोन्मेष द्वारा प्रस्तुत जोखिमों का सामना किया जा सके।

3.2 वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल को देखते हुए, भारतीय वित्तीय क्षेत्र काफी आघात-सह बना हुआ है। हालांकि सितंबर 2008 के मध्य में लेहमान ब्रदर्स की विफलता के बाद भारतीय वित्तीय बाजारों पर दबाव आ गया, फिर भी वे कम अस्थिर थे तथा व्यवस्थित रूप से कार्य करते रहे। 2008-09 के दौरान, विदेशी बैंकों तथा अंतरराष्ट्रीय उपस्थितिवाले भारतीय बैंकों द्वारा बासेल II ढांचा अपनाने के बाद, भारत स्थित सभी वाणिज्य बैंक बासेल II ढांचे में उपलब्ध सरल दृष्टिकोणों की ओर स्विकओवर कर गए हैं। वर्ष के दौरान, अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के साथ बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि डालने के लिए रिजर्व बैंक ने कई उपाय किए हैं। वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति (सीएफएसए) की रिपोर्ट मार्च 2009 में जारी की गई, जिसमें भारत

के वित्तीय क्षेत्र का व्यापक मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। वर्ष के दौरान, रिजर्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र में आस्तियों का मूल्य संरक्षित करने के लिए योजनाओं के पुनर्विन्यास की भी घोषणा की। ऋण उत्पादों के मूल्यन में पारदर्शिता बढ़ाने की दृष्टि से, रिजर्व बैंक ने बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) के संबंध में एक कार्यदल का गठन किया। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए वर्ष के दौरान वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श (एफएलसीसी) केंद्रों की एक मॉडल योजना भी तैयार की गई। भुगतान और निपटान प्रणाली के कामकाज को सुदृढ़ करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए, क्योंकि मौद्रिक नीति के वाहक के रूप में एक सुरक्षित और दक्ष भुगतान एवं निपटान प्रणाली महत्वपूर्ण है। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए भी वर्ष के दौरान कई उपाय किए गए हैं।

3.3 इस अध्याय में 2008-09 तथा 2009-10 (सितंबर 2009 तक) के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न नीतिगत उपायों के ब्यौरे दिए गए हैं। 2008-09 तथा 2009-10 (सितंबर 2009 तक) के दौरान किए गए मौद्रिक नीतिगत उपाय खंड 2 में प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके बाद खंड 3 में ऋण सुपुर्दगी के क्षेत्र में शुरू किए गए उपायों की समीक्षा की गई है। खंड 4 में वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए शुरू किए गए विभिन्न उपायों के ब्यौरे दिए गए हैं। विवेकपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण के क्षेत्रों में की गई विभिन्न पहलों की जानकारी क्रमशः खंड 5 और खंड 6 में दी गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) संबंधी नीतिगत पहल खंड 7 में दिए गए हैं। शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) तथा ग्रामीण ऋण सहकारिताओं दोनों सहकारी बैंकों के संबंध में नीतिगत पहल खंड 8 में दिए गए हैं। वित्तीय बाजारों अर्थात् मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार के क्षेत्र में नीतिगत गतिविधियों को खंड 9 में समाविष्ट किया गया है। इसके बाद खंड 10 में बैंकों द्वारा ग्राहक सेवा के क्षेत्र में शुरू किए गए उपाय दिए गए हैं। भुगतान और निपटान प्रणालियों तथा प्रौद्योगिक गतिविधियों संबंधी नीतिगत उपाय क्रमशः खंड 11 तथा 12 में दिए गए हैं। खंड 13 में विधिक मूलभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने के उपाय दिए गए हैं तथा खंड 14 में स्थूल निष्कर्ष दिए गए हैं।

2. मौद्रिक नीति

3.4 2008-09 के दौरान, मौद्रिक नीति के संचालन में वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट के कारण कई नई चुनौतियां आईं। उथल-पुथल से भरे हुए इस अवधि के दौरान मौद्रिक नीति के बारे में तैयार किया जा रहा रुख एक ओर वित्तीय स्थिरता के परिरक्षण तथा दूसरी ओर वृद्धि की गति में आई कमी को रोकने की आवश्यकता पर निर्भर था। मौद्रिक नीति संबंधी रुख में 2008-09 की पहली छमाही में मुद्रास्फोटिकारी प्रत्याशाओं में हो रही वृद्धि के प्रतिसाद में मौद्रिक सख्ती बरती गई थी, परंतु दूसरी छमाही में बहुल, परंपरागत और गैर-परंपरागत साधनों का प्रयोग करते हुए आक्रामक रूप में मौद्रिक नरमी बरती गई ताकि भारत पर वैश्विक संकट के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। तदनुसार, रिजर्व बैंक द्वारा की गई प्रमुख नीतिगत पहलों का उद्देश्य पर्याप्त रुपया चलनिधि प्रदान करना, डालर के रूप में पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करना तथा उत्पादक क्षेत्रों को ऋण का प्रवाह बनाए रखने के लिए सहायक बाजार वातावरण बनाए रखना था। रुपया के रूप में चलनिधि बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए उपायों में शामिल थे - आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में भारी कटौती, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), आवास वित्त कंपनियों और म्यूच्युअल फंडों को उधार देने के लिए बैंकों के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत विशेष रिपो पटल खोलना तथा एक विशेष पुनर्वित्त सुविधा (एसआरएफ), जिसका उपयोग अग्रिमों की मूल राशि तथा निर्धारित ब्याज दर को समाविष्ट करते हुए मांग वचनपत्र के विरुद्ध बैंकों द्वारा किया जा सकता था। रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए डालर संबंधी स्वैप सुविधा भी शुरू की तथा बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) संबंधी प्रतिभूतियों को समेटने के कार्य को मोटे तौर पर सरकारी उधार कार्यक्रम के साथ समक्रमित किया। इसके अलावा, एनबीएफसी को चलनिधि समर्थन प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) का भी गठन किया गया।

3.5 एलएएफ के तहत रिपो दर अप्रैल 2008 के 7.75 प्रतिशत से 125 अंक बढ़ाकर जुलाई 2008 के अंत तक 9.0 प्रतिशत कर दी गई। तथापि बाद की अवधि में इसे 425 आधार अंक कम कर अप्रैल 2009 तक 4.75 प्रतिशत कर दिया गया।

रिजर्व रिपो दर को भी नवंबर 2008 के 6.00 प्रतिशत से 275 आधार अंक कम कर अप्रैल 2009 तक 3.25 प्रतिशत कर दिया गया। अनुसूचित बैंकों के लिए सीआरआर 26 अप्रैल 2008 को बैंकों की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 7.75 प्रतिशत से 125 आधार अंक बढ़ाकर 30 अगस्त 2008 को 9.00 प्रतिशत कर दिया गया परंतु बाद में 2008-09 के दौरान उसे 400 आधार अंक कम कर 17 जनवरी 2009 तक एनडीटीएल का 5.00 प्रतिशत कर दिया गया।

3.6 2008-09 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य की घोषणा कम हो रही वैश्विक वृद्धि, अस्थिर वैश्विक वित्तीय बाजारों, मुख्य रूप से ईंधन की अंतरराष्ट्रीय कीमतों, अनाज और धातु की कीमतों से हुई मुद्रास्फीतिकारी जोखिमों में वृद्धि तथा देशी बाजार चलनिधि में अधिक उथल-पुथल की पृष्ठभूमि में की गई। सब-प्राइम संकट के संदर्भ में वैश्विक वित्तीय बाजारों की और तीव्र निगरानी तथा सभी उपलब्ध साधनों के साथ त्वरित प्रतिसाद अपेक्षित था ताकि देशी समष्टि आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता परिरक्षित की जा सके और उसे बनाए रखा जा सके। समस्त मांग पर मौद्रिक नीति के विलंबित और संचयी प्रभावों को देखते हुए, नीति निर्माण करते समय इस बात का प्रयास किया गया कि मुद्रास्फीति को 7.0 प्रतिशत से अधिक के वर्तमान उच्च स्तर से कम करके 2008-09 में 5.5 प्रतिशत के आसपास लाया जाए और वैश्विक रूप से संचारित मुद्रास्फीति में मौजूद जटिलताओं को स्वीकार करते हुए यथाशीघ्र उसे 5.0 प्रतिशत के आसपास लाने को तरजीह दिया गया। पहली तिमाही की समीक्षा में यह नोट किया गया कि कम हो रही वैश्विक वृद्धि, कारोबार और उपभोक्ता विश्वास में कमी, कमजोर औद्योगिक कार्यकलाप, वित्तीय स्थिरता के प्रति बने हुए खतरों और मुद्रास्फीतिकारी दबावों जैसी वैश्विक गतिविधियों का प्रभाव भारत की समष्टि आर्थिक संभावना पर पड़ेगा तथा मौद्रिक नीति तैयार करने में तीव्र चुनौतियों और दुविधाओं का सामना करना होगा। समीक्षा में यह नोट किया गया कि मुद्रास्फीतिकारी दबावों में आनेवाली किसी और तीव्रता को दूर करना तथा मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं पर दृढ़तापूर्वक लगाम लगाना मौद्रिक नीति की अधिभावी प्राथमिकता होगी। इस संबंध में मौद्रिक नीति द्वारा मांग संबंधी समस्त दबाव, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा था, का तत्काल समाधान करने का प्रयास किया गया।

रिजर्व बैंक ने सीआरआर संबंधी विनिर्देशों तथा एमएसएस और एलएएफ सहित खुले बाजार परिचालनों (ओएमओ) का उचित उपयोग करते हुए, हालात द्वारा आवश्यकता पड़ने पर इसके पास उपलब्ध सभी नीतिगत लिखतों का उपयोग लचीलेपन के साथ करते हुए, चलनिधि के सक्रिय मांग प्रबंधन की अपनी नीति जारी रखी।

3.7 मध्यावधि समीक्षा में यह नोट किया गया कि वैश्विक आर्थिक स्थितियां बदतर हो गईं तथा उनके विकास का भविष्य काफी अनिश्चित हो गया। यथाशीघ्र मुद्रास्फीति को कम करके सहनीय स्तरों तक लाना तथा मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं पर लगाम लगाना प्रमुख चिंता की बात बनी रही। मौद्रिक स्थितियों की गतिविधियों के परिणामस्वरूप 2008-09 की दूसरी तिमाही में देशी वित्तीय बाजारों में चलनिधि की स्थितियां सख्त हो गईं। बैंक ऋण में विस्तार के बावजूद, ऋण की कम उपलब्धता की अवधारणा थी, जिसका कारण बैंकेतर स्रोतों, जिनमें पूंजी बाजार एवं बाह्य वाणिज्यिक उधार उल्लेखनीय हैं, से निधियों के प्रवाह में आई कमी थी। तीसरी तिमाही की समीक्षा के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में 2008-09 की पहली छमाही में उच्च मुद्रास्फीति के साथ वृद्धि में चक्रीय मंदी का अनुभव किया गया तथा वैश्विक मंदी के फलस्वरूप और अधिक मंदी के सबूत स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। रिजर्व बैंक ने परंपरागत और गैर-परंपरागत दोनों तरह के उपायों का प्रयोग करके बाजार में पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करने एवं एलएएफ कारिडोर के भीतर रात भर की मुद्रा बाजार दरें बनाए रखने के रुख का अनुसरण करना जारी रखा। अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के साथ बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे निचले स्तर पर चूक को रोकने के लिए, और इस प्रकार हाल के वर्षों में प्राप्त आस्ति गुणवत्ता में सुधार को बचाए रखने के लिए, अपने ऋण संविभाग की निगरानी करें।

3.8 2009-10 का वार्षिक नीतिगत वक्तव्य गंभीर वैश्विक आर्थिक मंदी तथा वित्तीय बाजार के उथल-पुथल के संदर्भ में बनाया गया। भारत पर संकट का प्रभाव पहले की गई आशा से काफी अधिक था। यद्यपि जीडीपी की वृद्धि दर कम हो गई, तथापि अच्छी तरह से कार्य कर रहे वित्तीय बाजार, सुदृढ़ ग्रामीण मांग, न्यूनतर हेडलाइन मुद्रास्फीति तथा विदेशी मुद्रा भंडार की अच्छी स्थिति

जैसे कुछ संतोषप्रद कारक थे, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को वैश्विक वित्तीय संकट के सबसे खराब प्रभाव से बचाये रखा। समग्र मूल्यांकन के आधार पर, मौद्रिक नीति का एक रुख इस तरह का नीतिगत युग सुनिश्चित करना था, जिसमें ऋण की गुणवत्ता बनाए रखते हुए अर्थक्षम दरों पर ऋण का विस्तार किया जा सके ताकि उच्च वृद्धि पथ पर अर्थव्यवस्था की वापसी को समर्थन दिया जा सके। पण्यों की कीमतों की वैश्विक प्रवृत्ति तथा देशी मांग-आपूर्ति संतुलन को ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान लगाया गया कि डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति मार्च 2010 के अंत तक लगभग 4.0 प्रतिशत होगी।

3.9 पहली तिमाही की समीक्षा में भारत में सुधार के कुछ प्रगामी संकेत नोट किए गए, यथा अन्य बातों के साथ अनाज के भंडार में वृद्धि, सकारात्मक औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, कंपनियों के कार्य-निष्पादन में सुधार, व्यावसायिक आत्मविश्वास सर्वेक्षण में आशावादिता। नकारात्मक संकेतों में विलंबित और कम मानसून, खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति, वैश्विक पण्य मूल्यों में उछाल, बाह्य मांग में कमजोरी बने रहना तथा उच्च राजकोषीय घाटा शामिल हैं। यह स्वीकार किया गया कि 2009-10 के मध्य से पहले वृद्धि की गति में उछाल आने की संभावना नहीं है। जहां तक मुद्रास्फीति की संभावनाओं का प्रश्न है, मार्च 2010 के अंत के लिए डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति अप्रैल 2009 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में दिए गए 4.0 प्रतिशत की तुलना में लगभग 5.0 प्रतिशत पर उच्चतर होने का अनुमान लगाया गया है। समग्र मूल्यांकन के आधार पर, 2009-10 की शेष अवधि के लिए मौद्रिक नीति का रुख चलनिधि के सक्रिय प्रबंधन से संबंधित था ताकि सरकार की ऋण संबंधी मांग पूरी करने के साथ अर्थक्षम दरों पर निजी क्षेत्र को ऋण का प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। समष्टि आर्थिक एवं मौद्रिक स्थिति के मूल्यांकन के अनुरूप, रिपो दर, रिवर्स रिपो दर तथा सीआरआर को अपरिवर्तित रखा गया। रिजर्व बैंक ने इस बात को दुहराया कि सुधार के निश्चित और सुदृढ़ संकेत मिलने तक यह निभावकारी मौद्रिक रुख बनाए रखेगा।

चलनिधि सुविधाएं

3.10 अनुरक्षण अवधि के अंतिम दिन बैंक आरक्षित निधियों के प्रबंधन को परिष्कृत करने के लिए रिजर्व बैंक ने 1 अगस्त 2008 से रिपोर्टिंग शुक्रवारों को दूसरी चलनिधि समायोजन सुविधा

(एसएलएएफ) दुबारा शुरू की। एसएलएएफ की प्रमुख विशेषताएं एलएएफ जैसी ही हैं, हालांकि एलएएफ और एसएलएएफ का निपटान अलग-अलग और सकल आधार पर किया जाता है। सितंबर 2008 में, चलनिधि की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने दैनिक आधार पर एसएलएएफ के संचालन का निर्णय लिया।

3.11 म्यूच्युअल फंडों की चलनिधि अपेक्षाएं पूरी करने के लिए बैंकों को समर्थ बनाने की दृष्टि से, रिजर्व बैंक ने एलएएफ तथा एसएलएएफ के तहत संचालित रिपो/रिवर्स रिपो नीलामियों के अलावा, 14 अक्टूबर 2008 को 20,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए पात्र प्रतिभूतियों की जमानत पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर पर एक विशेष निश्चित दर मीयादी रिपो के संचालन का निर्णय लिया। नवंबर 2008 में, रिजर्व बैंक ने अस्थायी आधार पर इस विशेष मीयादी रिपो सुविधा को लागू किया तथा बैंकों को इस बात की अनुमति प्रदान की कि वे अपने एनडीटीएल के 1.5 प्रतिशत तक एसएलआर के रखरखाव में छूट के जरिए वर्तमान रिपो दर पर एलएएफ के तहत चलनिधि समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। अप्रैल 2009 में, इस सुविधा का विस्तार 31 मार्च 2010 तक कर दिया गया तथा 14 दिवसीय मीयादी रिपो नीलामियां भी साप्ताहिक आधार पर की जाने लगीं।

3.12 साथ ही, रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों को अस्थायी उपाय के रूप में उनके एनडीटीएल के एक प्रतिशत तक एलएएफ के तहत अतिरिक्त चलनिधि समर्थन प्राप्त करने की अनुमति दी। तथापि, इस सुविधा को प्राप्त करने से एसएलआर के रखरखाव में किसी प्रकार की कमी आने पर, बैंक उस पर दंडिक ब्याज की अदायगी की मांग न किए जाने के अनुरोध के साथ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 की उपधारा (8) के तहत लिखित रूप में रिजर्व बैंक को आवेदन कर सकते थे।

3.13 नवंबर 2008 में, रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3बी) के तहत विशेष पुनर्वित्त सुविधा (एसआरएफ) की शुरुआत की। इस सुविधा के तहत, अनुसूचित वाणिज्य बैंक (एससीबी) (आरआरबी को छोड़कर) 90 दिनों की अवधि के लिए 24 अक्टूबर 2008 को प्रत्येक बैंक के एनडीटीएल के 1.0 प्रतिशत तक पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे। एसआरएफ के तहत पुनर्वित्त एलएएफ के तहत रिपो दर पर प्रदान

किया जाएगा। बैंकों को व्यष्टि तथा लघु उद्यमों को वित्त प्रदान करने के प्रयोजन के लिए इस सुविधा का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। बैंक इस सुविधा का रोल-ओवर कर सकते हैं। दिसंबर 2008 में, रिजर्व बैंक ने 30 जून 2009 तक तथा बाद में 31 मार्च 2010 तक इस सुविधा को जारी रखने का निर्णय लिया।

3.14 नवंबर 2008 में, निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा की पात्रता सीमा 15 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत में पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया रुपया निर्यात ऋण का 50 प्रतिशत कर दी गई। ईसीआर सुविधा पर लगायी जानेवाली ब्याज की दर रिजर्व बैंक के एलएएफ के तहत प्रचलित रिपो दर बनी रहेगी।

3.15 अधिक प्रभावी चलनिधि प्रबंधन के लिए, रिजर्व बैंक ने फरवरी 2009 से एनडीएस-ओएम के जरिए किए जानेवाले परिचालनों के अलावा नीलामी आधारित प्रक्रिया के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद को शामिल कर ओएमओ की व्याप्ति को बढ़ा दिया। इसके अलावा, चूंकि हाल की अवधि में बाह्य खातों में किए गए परिवर्तन के फलस्वरूप प्राथमिक चलनिधि का निष्कासन हुआ जो विदेशी मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक के परिचालनों के प्रभाव को दर्शाता है, अतः 26 फरवरी 2009 को एमएसएस संबंधी एमओयू में संशोधन करके निष्प्रभावित की गई चलनिधि का अंतरण एमएसएस नकदी खाते से सरकार के सामान्य नकदी खाते में करने की अनुमति दी गई।

3.16 रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न माध्यमों से अब तक (सितंबर 2008 के मध्य तक) प्रदान की गई वास्तविक/संभाव्य चलनिधि की कुल राशि सारणी III.1 में दी गई है।

ब्याज दर संरचना

3.17 1990 के दशक के आरंभ में शुरू किए गए वित्तीय क्षेत्र सुधार के अंग के रूप में भारत में ब्याज दरों को क्रमिक रूप से अविनियमित किया गया। वर्तमान में, बचत बैंक जमाराशियों, अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता [एनआर(ई)आरए] जमाराशियों, विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर)(बी) जमाराशियों, निर्यात ऋण और 2 लाख रुपये तक के अल्प ऋणों पर देय ब्याज दरों को

सारणी III.1 : प्राथमिक चलनिधि का वास्तविक / संभाव्य निर्माण - सितंबर 2008 के मध्य से

(करोड़ रुपये में)

उपाय / सुविधा	राशि
1. सीआरआर में कटौती	1,60,000
2. एमएसएस प्रतिभूतियों की अनवाइडिंग/वापसी-खरीद/ उन्हें मुक्त करना	1,55,544
3. खुला बाजार परिचालन (खरीद)	80,080
4. मीयादी रिपो सुविधा	60,000
5. निर्यात ऋण पुनर्वित्त में वृद्धि	26,576
6. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधा	38,500
7. सिडबी / एनएचबी / एक्विजम बैंक के लिए पुनर्वित्त सुविधा	16,000
8. एसपीवी के माध्यम से एनबीएफसी के लिए चलनिधि की सुविधा	25,000
9. कुल (1 से 8)	5,61,700
जापन: सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में कटौती	40,000
टिप्पणी:	1. मद 3 में 2009-10 की पहली छमाही के दौरान 80,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित ओएमओ खरीद की तुलना में 2009-10 के दौरान अब तक (27 जुलाई तक) ओएमओ की खरीद के 33,439 करोड़ रुपए शामिल हैं। 2. इसमें 5,000 करोड़ रुपए का एक ऑप्शन शामिल है।
स्रोत : वर्ष 2009-10 के लिए मौद्रिक नीति संबंधी वक्तव्य की पहली तिमाही की समीक्षा।	

छोड़कर, अन्य सभी ब्याज दरें अविनियमित हैं। इसने मौद्रिक संचारण प्रक्रिया में सुधार लाने के साथ वित्तीय प्रणाली में संसाधन आवंटन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा और दक्षता बढ़ा दी है।

जमा और उधार दरें

3.18 विभिन्न बैंक समूहों के बीच अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज दरों में वर्ष 2008-09 की पहली छमाही में सामान्य उछाल की प्रवृत्ति दिखायी दी। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतिगत कार्रवाइयों से सकेत लेने हुए, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने 2008-09 की दूसरी छमाही में अपनी जमा ब्याज दरों में कमी कर दी। एक से तीन साल की परिपक्वता वाली अनिवासी बाह्य जमाराशियों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा में सितम्बर-नवम्बर 2008 तक की अवधि के दौरान 175 आधार अंकों की वृद्धि की गयी। 24 अप्रैल 2007 को एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा में की गयी कटौती को 16 सितम्बर 2008 को उस समय पलट दिया गया जब एक समीक्षा के बाद ब्याज दर में 50 आधार अंकों की वृद्धि कर उसे लिबोर/स्वैप दर घटा 25 आधार अंक कर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वातावरण में आयी गिरावट के कारण देशी

मुद्रा और विदेशी मुद्रा बाजारों में देखी गई प्रतिकूल गतिविधियों के संदर्भ में, एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर देय ब्याज दरों में अक्टूबर-नवम्बर 2008 की अवधि के दौरान 125 आधार अंकों की और वृद्धि करके उसे लिबोर/स्वैप दर जमा 100 आधार अंक कर दिया गया। जमा दरों के अनुरूप, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की उधार दरों में भी 2008-09 के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी (देखें अध्याय IV में सारणी IV.20)।

3.19 यह प्रस्ताव है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (आरआरबी सहित) तथा यूसीबी द्वारा बचत बैंक खातों पर ब्याज की अदायगी की गणना 1 अप्रैल 2010 से दैनिक प्रोडक्ट के आधार पर की जाएगी।

बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) पर गठित कार्यदल

3.20 बीपीएलआर की संकल्पना वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋणों के मूल्यन के लिए नवम्बर 2003 में शुरू की गयी तथा इसका उद्देश्य उनके ऋण उत्पादों के मूल्यन में पारदर्शिता बढ़ाना था। वार्षिक नीतिगत वक्तव्य 2009-10 में नोट किया गया कि कुछ समय के बाद एक सार्थक संदर्भ दर के रूप में बीपीएलआर की सुसंगतता समाप्त हो गयी क्योंकि अधिकतर ऋण बीपीएलआर से नीचे की दर पर दिए जा रहे हैं। साथ ही, यह मौद्रिक संकेतों के कारगर संचारण में भी व्यवधान डालता है तथा ऋण मूल्यन प्रणाली को गैर पारदर्शी बना देता है। तदनुसार, बीपीएलआर की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने तथा ऋण संबंधी मूल्यन को और पारदर्शी बनाने के लिए परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए, रिजर्व बैंक ने 11 जून 2009 को बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) पर एक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री दीपक मोहन्ती) का गठन किया और उसे सौंपी गयी विषयवस्तु इस प्रकार है : (i) बीपीएलआर की संकल्पना तथा उसकी गणना की विधि की समीक्षा करना; (ii) बीपीएलआर से नीचे दिए गए उधार की मात्रा तथा उसके कारणों की जांच करना; (iii) प्रमुख बैंकों के बीपीएलआर में मौजूद व्यापक अंतर की जांच करना; (iv) अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर बैंकों के लिए उपयुक्त ऋण मूल्यन प्रणाली का सुझाव देना; (v) 2 लाख रुपए तक के अल्प ऋणों तथा निर्यातकों के लिए नियंत्रित उधार दरों की समीक्षा करना; (vi) खुदरा खण्ड में चल ऋण दरों के लिए उपयुक्त बेंचमार्क का सुझाव देना; और (vii) बैंकों की उधार दरों से संबंधित किसी

भी अन्य मुद्दे पर विचार करना। उक्त दल द्वारा शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

3. ऋण सुपुर्दगी

3.21 कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा महसूस की गयी ऋण की अत्यधिक कमी के विपरीत उथल-पुथल के इस दौर में भी भारत में ऋण बाजार सामान्य रूप से कार्य करते रहे। तथापि, वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के विकीर्ण प्रभावों के कारण आयी आर्थिक मंदी की वजह से ऋण की मांग में सामान्य गिरावट देखी गयी। वित्तीय उथल-पुथल के प्रतिसाद में, रिजर्व बैंक ने मुख्य रूप से बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि डालने के लिए तथा संकट से प्रभावित क्षेत्रों को ऋण की सुविधा पहुंचाने के लिए कई उपाय शुरू किए। विशिष्ट क्षेत्रों को ऋण के प्रवाह में सुधार लाने के लिए 2008-09 के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए प्रमुख नीतिगत पहलों में ये शामिल हैं - आवास वित्त कंपनियों को दिए जाने वाले ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी ऋण के तहत शामिल करना; कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण; तथा कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008 के तहत और अधिक राहत की घोषणा। रिजर्व बैंक ने सभी एसएलबीसी से यह सुनिश्चित करने के लिए भी अनुरोध किया कि उनके संबंधित राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में एमएसई क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया जाए।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार

3.22 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी दिशानिर्देशों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के कुछ ऐसे असुरक्षित क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना है, जो लाभप्रदता की दृष्टि से बैंकों के लिए आकर्षक न होते हुए भी आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारतीय बैंकों द्वारा कृषि, व्यष्टि तथा लघु (विनिर्माण और सेवा) उद्यम, व्यष्टि ऋण, शिक्षा और आवास को दिए गए ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार की परिधि में आते हैं। इन क्षेत्रों के अलावा, विदेशी बैंकों के मामले में निर्यात ऋण भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार का एक अंग है। 2007 में, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी आंतरिक कार्यदल (अध्यक्ष: श्री सी.एस.मूर्ति) की रिपोर्ट के आधार पर तथा सरकारों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, उद्योग संघों, मीडिया, जनता और भारतीय बैंक संघ

से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले उधार संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया। वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, देशी बैंकों तथा विदेशी बैंकों को पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार, समायोजित निवल बैंक ऋण¹ (एएनबीसी) अथवा तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजरों के समतुल्य ऋण राशि, जो भी अधिक हो, का क्रमशः 40 प्रतिशत और 32 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रदान करना होता है।

3.23 दिसम्बर 2008 में, रिजर्व बैंक ने उन आवास वित्त कंपनियों को स्वीकृत ऋण को वर्गीकृत करने की अनुमति बैंकों को देकर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार की व्याप्ति को बढ़ा दिया, जो आवास इकाइयों की खरीद/निर्माण के लिए व्यक्तियों को आगे उधार देने के प्रयोजन के लिए पुनर्वित्त के प्रयोजन से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा अनुमोदित हैं। तथापि ऐसे मामलों में, एचएफसी द्वारा स्वीकृत आवास ऋण प्रति परिवार प्रति निवास इकाई 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होते। साथ ही, इस उपाय के तहत पात्रता को सतत आधार पर अलग-अलग बैंक के कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के पांच प्रतिशत तक प्रतिबंधित किया जाएगा। यह विशेष व्यवस्था 31 मार्च 2010 तक बैंकों द्वारा एचएफसी को स्वीकृत ऋणों पर लागू होगी।

3.24 यह सुनिश्चित करने के लिए कि कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले उधार का उप-लक्ष्य प्राप्त हो जाए, देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि अप्रैल 2009 से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कमजोर वर्गों को दिए गए उधार में कमी को भी राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास रखी गयी ग्रामीण मूलभूत संरचना विकास निधि (आरआइडीएफ) में आबंटित की जानेवाली राशि अथवा रिजर्व बैंक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास रखी जानेवाली निधियों के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए ऋण

3.25 कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए ऋण का प्रवाह बढ़ाने हेतु वर्ष के दौरान कई उपाय किए गए। 2009-10 के केंद्रीय बजट

में वर्ष के लिए कृषि ऋण हेतु 3,25,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसकी तुलना में, बैंकों (सहकारी बैंकों तथा आरआरबी सहित) ने 92,070 करोड़ रुपए संवितरित किए जो अप्रैल-जुलाई 2009 के दौरान लक्ष्य का 28.3 प्रतिशत था।

3.26 दिसम्बर 2008 में, रिजर्व बैंक ने कृषि संबंधी परिचालनों के वित्तपोषण के लिए अस्थायी चलनिधि समर्थन की सुविधा को आशोधित किया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (3-बी) के तहत अनुसूचित बैंकों द्वारा तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4-ई) के तहत नाबार्ड द्वारा प्राप्त चलनिधि समर्थन की सीमाएं 6 दिसम्बर 2008 से क्रमशः 7,500 करोड़ रुपए और 17,500 करोड़ रुपए कर दी गयी हैं। इस सुविधा को 16 दिसम्बर 2008 तक बढ़ा दिया गया।

कृषि के लिए राहत उपाय - ब्याज दर सहायता

3.27 2009-10 के केंद्रीय बजट में यह प्रस्ताव किया गया कि प्रति किसान 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर किसानों को ब्याज सहायता योजना जारी रखी जाए। उक्त बजट में उन किसानों के लिए प्रोत्साहन के रूप में 1 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की गयी जो अपना अल्पावधि फसल ऋण समय पर चुका देंगे। इस प्रकार, इन किसानों के लिए ब्याज दर घटकर 6 प्रतिशत वार्षिक रह जाएगी।

मुर्गी पालन उद्योग के लिए राहत उपाय

3.28 देश के कुछ हिस्सों में पक्षी संबंधी इनफ्लूएंजा के संक्रमण के कारण मुर्गी पालन उद्योग की आय में आयी कमी को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ने फरवरी 2008 में इस उद्योग के लिए कई राहत उपायों की घोषणा की। उक्त राहत उपायों के अलावा, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुर्गी पालन इकाइयों को 1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए 1 जनवरी 2008 की स्थिति के अनुसार बकाया अतिदेय ऋण राशि पर 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर सहायता देने का निर्णय लिया। अनुवर्ती कार्रवाई

¹ निवल बैंक ऋण तथा परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में रखे गए गैर एसएलआर बांडों में बैंकों द्वारा किए गए निवेश।

के रूप में, फरवरी 2009 में रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) को (तथा मार्च 2009 में यूसीबी को) सूचित किया कि पश्चिम बंगाल की मुर्गी पालन इकाइयों को 1 जनवरी 2008 की स्थिति के अनुसार बकाया गैर-अतिदेय ऋण राशि पर ब्याज सहायता की गणना 1 जनवरी 2008 की स्थिति के अनुसार बकाया मीयादी ऋणों और कार्यशील पूंजी ऋणों पर 4 प्रतिशत अंक पर की जाएगी। इसमें मूल राशि का ऐसा कोई अंश शामिल नहीं होगा जो राज्य में बर्ड-फ्लू की पहली घटना अधिसूचित किए जाने के पहले अतिदेय हो गयी थी।

कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008

3.29 केंद्रीय बजट 2008-09 में कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना की घोषणा की गयी, जिसमें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, आरआरबी, सहकारी ऋण संस्थाओं और स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) द्वारा 'सीमान्त और लघु किसानों' तथा 'अन्य किसानों' को दिए गए प्रत्यक्ष कृषि ऋणों को कवर किया गया। इस योजना के तहत, माफ किए जाने वाले अतिदेय ऋणों का कुल मूल्य 50,000 करोड़ रुपए तथा अतिदेय ऋणों पर एकबारगी निपटान (ओटीएस) राहत 10,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकार ने रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के साथ परामर्श करके इस योजना की क्रियाविधियों को अंतिम रूप दिया है। यह घोषणा की गयी कि इस योजना की लागत लगभग 71,680 करोड़ रुपए होगी। जहां लघु अथवा सीमान्त किसानों के मामले में समस्त 'पात्र राशि' माफ की जाएगी, वहीं 'अन्य किसानों' के मामले में एक ओटीएस योजना होगी जिसके तहत किसान को 'पात्र राशि' के 25 प्रतिशत की छूट इस शर्त पर दी जाएगी कि वह किसान 'पात्र राशि' का शेष 75 प्रतिशत चुकाएगा।

ऋण माफी तथा ऋण राहत के अधीन लेखा संबंधी मानदण्ड

3.30 जहां तक ऋण माफी के लिए पात्र लघु और सीमान्त किसानों का संबंध है, भारत सरकार से प्राप्त होने तक माफी के लिए पात्र राशि बैंकों द्वारा "कृषि ऋण माफी योजना 2008 के तहत भारत सरकार से प्राप्य राशि" नामक अलग खाते में अंतरित की जाए। इस खाते की शेष राशि तुलनपत्र की अनुसूची 9 (अग्रिम) में दर्शायी

जानी चाहिए। इस खाते की शेषराशि को बैंकों द्वारा "अर्जक" आस्ति के रूप में माना जाए, बशर्ते वर्तमान मूल्य (पीवी) के रूप में हानि के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया हो, जिसकी गणना इस मान्यता के तहत की गयी हो कि इस प्रकार का भुगतान भारत सरकार से निम्नलिखित किस्तों में प्राप्त होगा : क) कुल राशि का 32 प्रतिशत 30 सितम्बर 2008 तक देय, ख) 19 प्रतिशत 31 जुलाई 2009 तक, ग) 39 प्रतिशत जुलाई 2010 तक, तथा घ) शेष 10 प्रतिशत जुलाई 2011 तक। तथापि, मानक आस्तियों के लिए वर्तमान मानदण्डों के तहत अपेक्षित प्रावधान इस खाते में शेष राशि के संबंध में करने की जरूरत नहीं है।

3.31 इस योजना के तहत, 'अन्य' किसानों के मामले में, किसान को सरकार द्वारा उसके खाते में राशि जमा करके "पात्र राशि" के 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, बशर्ते किसान द्वारा "पात्र राशि" के शेष 75 प्रतिशत की चुकौती की जाए। उक्त योजना में ऐसे किसानों द्वारा 75 प्रतिशत हिस्से की अदायगी तीन किस्तों में किए जाने का प्रावधान है तथा पहली दो किस्तें किसान के हिस्से के एक तिहाई से अन्यून राशि के लिए होंगी। तीनों किस्तों की अदायगी की अंतिम तारीखें क्रमशः 30 सितम्बर 2008; 31 मार्च 2009 तथा 30 जून 2009 होंगी। मार्च 2009 में, रिजर्व बैंक ने ऋण राहत योजना के तहत 'अन्य किसानों' द्वारा पहली किस्त की चुकौती की अंतिम तारीख 30 सितम्बर 2008 से बढ़ाकर 31 मार्च 2009 कर दी। दूसरी और तीसरी किस्तों की अदायगी की तारीखें 31 मार्च 2009 तथा 30 जून 2009 बनी हुई हैं। तथापि, मानसून के देरी से आने पर विचार करते हुए, यह अवधि छः माह बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2009 तक कर दी गयी।

3.32 जहां ऋण राहत योजना के तहत शामिल किए गए किसानों ने ओटीएस के तहत अपना हिस्सा चुकाने की सहमति देते हुए वचन दिया है, वहां उनके सुसंगत खातों को बैंकों द्वारा 'मानक'/'अर्जक' के रूप में माना जाएगा बशर्ते - (क) बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं और सरकार से प्राप्य सभी राशियों के लिए पीवी के रूप में हानि के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया हो; तथा (ख) ऐसे किसान देय तारीखों से एक महीने के भीतर निपटान राशि का अपना हिस्सा अदा कर दें। ऋणकर्ताओं से उक्त वचन प्राप्त होने के बाद ऋण राहत के अधीन

खातों को मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तदनुसार, ऐसे खातों पर भी मानक आस्तियों पर लागू विवेकपूर्ण प्रावधान लागू होंगे।

3.33 भारत सरकार ने “अन्य किसानों” के खातों को 25 प्रतिशत ऋण राहत के लिए पात्र बनाने का निर्णय लिया है, भले ही वे 75 प्रतिशत की संपूर्ण राशि एक किस्त में अदा करें, बशर्ते उस राशि को ऐसे किसानों द्वारा 31 दिसम्बर 2009 तक जमा कर दी जाए। बैंक 31 दिसम्बर 2009 तक पात्र राशि पर किसी तरह का ब्याज नहीं लगाएंगे। यदि भुगतान 31 दिसम्बर 2009 के बाद देरी से किया जाता है, तो सुसंगत खातों में बकाया राशि को अनर्जक आस्ति (एनपीए) माना जाएगा। भारत सरकार ने यह भी सूचित किया है कि बैंकों/उधारदात्री संस्थाओं को ओटीएस के तहत पात्र राशि के 75 प्रतिशत से कम राशि भी लेने की अनुमति है बशर्ते बैंक/ऋणदात्री संस्थाएं स्वयं अंतर का वहन करें तथा उसके लिए सरकार या किसान से दावा न करें। सरकार ऋण राहत के तहत वस्तुतः पात्र राशि के 25 प्रतिशत की ही अदायगी करेगी।

ऋण माफी और ऋण राहत योजना के तहत कवर किए गए उधाकर्ताओं को नए ऋणों की स्वीकृति

3.34 एक लघु या सीमांत किसान तथा अन्य किसान पात्र राशि माफ किए जाने पर नए कृषि ऋणों के लिए पात्र हो जाएंगे। ‘लघु अथवा सीमान्त किसान’ तथा ‘अन्य किसानों’ को स्वीकृत नए ऋण को ‘अर्जक आस्ति’ के रूप में माना जाए, भले ही ऋण का आस्ति वर्गीकरण क्रमशः ‘ऋण माफी’ और ‘ऋण राहत’ के अधीन हो, तथा इसका बाद का आस्ति वर्गीकरण वर्तमान आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आइआरएसी) मानदण्डों द्वारा नियंत्रित होना चाहिए।

पूंजी पर्याप्तता

3.35 “कृषि ऋण माफी योजना 2008 के तहत भारत सरकार से प्राप्य राशि” के रूप में खोले गए खाते में बकाया राशि को भारत सरकार पर दावा के रूप में माना जाएगा तथा उस पर पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के प्रयोजन के लिए शून्य जोखिम भार लागू होगा। तथापि, ऋण राहत योजना द्वारा समाविष्ट खातों में बकाया राशि को उधाकर्ताओं पर दावा तथा वर्तमान मानदंडों के अनुसार

जोखिम भार के रूप में माना जाएगा। यह व्यवहार बासेल I तथा बासेल II ढांचों के तहत लागू होगा।

योजना में आशोधन

3.36 सितंबर 2008 में, रिजर्व बैंक ने कार्यान्वयन के संबंध में बैंकों द्वारा व्यक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस योजना के तहत दावों की प्रतिपूर्ति तथा दावों की लेखा-परीक्षा के लिए निर्धारित क्रियाविधियों को अशोधित किया। बैंकों को इस बात की अनुमति दी गई कि वे योजना में की गई परिकल्पना के अनुसार हिताधिकारियों को लाभ का वास्तविक अंतरण करने के बाद ‘ऋण माफी’ तथा ‘ओटीएस के तहत ऋण राहत’ के लिए अलग-अलग समेकित दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। तथापि, बैंकों को मूल राशि से अधिक ब्याज, लागू न किए गए ब्याज, दांडिक ब्याज, विधि प्रभार, निरीक्षण प्रभार तथा विविध प्रभार का दावा केंद्र सरकार से करने अथवा उसे किसान से वसूलने की अनुमति नहीं है। ऐसे सभी ब्याज/प्रभारों का वहन ऋण देनेवाली संस्थाएं करेंगी। इस स्थिति को देखते हुए, बैंकों को सिर्फ उक्त ब्याज/ प्रभारों को पूरा करने के लिए ‘अग्रिम’ संविभाग के लिए धारित चल प्रावधानों का उपयोग अपने विवेक पर करने की अनुमति है। तथापि, चल प्रावधानों का उपयोग अन्य किसी प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं के लिए रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जाना चाहिए। नवंबर 2008 में, रिजर्व बैंक ने 364 दिवसीय भारत सरकार के खजाना बिलों पर परिपक्वता तक प्राप्ति (यील्ड-टू-मैच्यूरिटी) की प्रचलित दर पर दूसरी, तीसरी और चौथी किस्तों पर ब्याज का भुगतान करने का निर्णय लिया। साथ ही, आरआरबी सहित बैंकों को ऋण माफी योजना और ऋण राहत योजना के तहत समाविष्ट खातों के लिए सिर्फ भारत सरकार से प्राप्य राशियों के लिए पीवी के रूप में हुई हानियों के लिए किसी तरह का प्रावधान करने की जरूरत नहीं है।

व्यष्टि और लघु उद्यम क्षेत्र (एमएसई) को ऋण

3.37 एमएसई क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में उसकी रोजगार संभाव्यताओं तथा क्षेत्रीय वितरण के कारण महत्व है। यह क्षेत्र उत्पादक आर्थिक कार्यकलाप में निवेश करने के लिए न्यूनतर-मझौले वर्ग से भी पूंजी जुटाता है। इस प्रकार, यह उद्यम संबंधी कौशल के विकास को प्रोत्साहित करता है तथा अनेक प्रकार के उत्पादों के

उत्पादन के जरिए निर्यात संबंधी आय में वृद्धि करता है। लघु विनिर्माण और सेवा उद्यमों द्वारा ऋण प्राप्त करने में आनेवाली कठिनाइयों को कम करने के लिए एमएसई के प्रति बैंकों की वचनबद्धता संबंधी संहिता तैयार की गई। विशेष रूप से वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के अप्रत्यक्ष प्रभावों के संदर्भ में इस क्षेत्र को ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, रिजर्व बैंक ने कई उपाय किए (बॉक्स III.1)।

3.38 इस क्षेत्र को अबाधित ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) विशेषीकृत एमएसई बैंक शाखाएं परिचालित कर रहे हैं। मार्च 2009 के अंत में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 869 विशेषीकृत एमएसई बैंक शाखाएं परिचालित कीं।

3.39 इस क्षेत्र को ऋण का प्रवाह और सुगम बनाने के लिए, रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2008 में सभी एसएलबीसी से अनुरोध किया कि वे अपने संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एमएसई क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही, उनसे यह भी कहा गया कि वे भविष्य में एसएलबीसी की सभी बैठकों में इस क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा किया करें। अगस्त 2009 में बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे एमएसई क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए संपार्श्विक जमानत के लिए आग्रह न करें।

3.40 साथ ही, रुग्ण एमएसई के पुनर्वास पर गठित कार्यदल (अध्यक्ष: डॉ. के.सी.चक्रवर्ती) की सिफारिशों तथा एमएसई के उधारकर्ताओं के लिए भारतीय बैंकिंग कोड मानक बोर्ड की वचनबद्धता संबंधी संहिता के संदर्भ में, रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा कि वे स्थिति की समीक्षा करें तथा ऋण सुविधाएं प्रदान करने संबंधी ऋण नीति, संभाव्य रूप से रुग्ण इकाइयों/उद्यमों के पुनर्जीवन के लिए पुनर्विन्यास/पुनर्वास नीति तथा अनर्जक ऋणों की वसूली के लिए गैर विवेकाधीन ओटीएस योजना तैयार करें। एससीबी के बाद, जून 2009 में यूसीबी को भी सूचित किया गया कि वे एमएसई क्षेत्र को समय पर तथा पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में कार्यदल द्वारा की गयी सिफारिशों को तेजी से लागू करने पर विचार करें। रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को अप्रैल 2009 में सूचित किया गया कि वे इस संदर्भ में राज्य सरकारों/ एसएलबीसी के संयोजक बैंकों द्वारा शुरू की गई कार्रवाइयों की निगरानी करें तथा एसएलबीसी की बैठकों में प्रगति पर चर्चा करें।

3.41 2009-10 के केंद्रीय बजट में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के लिए 4,000 करोड़ रुपये की राशि की विशेष निधि का प्रावधान किया गया ताकि उचित दरों पर एमएसई क्षेत्र को ऋण का प्रवाह सुकर बनाया जा सके। इस निधि से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एमएसई को दिए गए वृद्धिशील उधार के 50 प्रतिशत के पुनर्वित्तीयन द्वारा एमएसई को उधार देने के लिए बैंक तथा राज्य वित्त निगम प्रोत्साहित होंगे।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा मूलभूत संरचना का वित्तपोषण

3.42 सरकारी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा ली गई मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के संबंध में, बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं सिर्फ कंपनियों को मीयादी ऋण इस शर्त पर स्वीकृत कर सकती हैं कि ये ऋण किसी के स्थान पर या किसी का एवजी नहीं हैं अपितु ये बजट संसाधनों के प्रतिपूरक हैं। साथ ही, बैंक और वित्तीय संस्थाएं यह सुनिश्चित करें कि विशिष्ट निगरानीयोग्य परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए इन ऋणों का उपयोग, किसी एसपीवी को ऋण प्रदान किए जाने की स्थिति में, राज्य सरकारों के बजट के वित्तपोषण के लिए न किया जाए। बैंक और वित्तीय संस्थाएं इन ऋणों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की अर्थक्षमता और व्यवहार्यता का उचित अध्ययन भी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस परियोजना से इतना राजस्व मिले जो ऋण चुकौती संबंधी दायित्व पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। बैंकों को पुनर्वास प्रयास के अंग के रूप में राज्यों के रुग्ण सरकारी उपक्रमों के बांडों में निवेश करते समय इन अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए सूचित किया जाता है।

3.43 2009-10 के केंद्रीय बजट में मूलभूत संरचना के क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ाने के लिए भारतीय मूलभूत संरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आइआइएफसीएल) को अधिक लचीलापन प्रदान किया गया है। बजट में कहा गया है कि आइआइएफसीएल बैंकों से परामर्श करके एक 'अंतरण वित्तपोषण' योजना तैयार करेगा जिससे मूलभूत संरचना क्षेत्र को वृद्धिशील उधार देना संभव हो। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आइआइएफसीएल अगले पंद्रह से अठारह महीनों में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकारी-निजी सहभागिता संबंधी परियोजनाओं के लिए वाणिज्य बैंक ऋणों के 60 प्रतिशत का पुनर्वित्तीयन करेगा।

बॉक्स III.1: व्यष्टि तथा लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को ऋण प्रवाह**एमएसई की भूमिका**

संभावित वृद्धि, कर्मचारी उत्पादन क्षमता, निर्यात उत्पादन तथा नई उद्यमवृत्ति के आधार की अपनी भूमिका के कारण व्यष्टि तथा लघु उद्यम भारत के उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण खंड है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एमएसई का अत्यधिक अंशदान रहा है। वर्तमान में इस क्षेत्र में विनिर्माण उत्पाद का प्रतिशत लगभग 39 है और देश के कुल निर्यात का प्रतिशत लगभग 33 है। इस क्षेत्र में लगभग 1.3 करोड़ व्यष्टि तथा लघु उद्यम हैं जिनमें प्रायः 3 करोड़ लोग काम करते हैं। जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान 7 प्रतिशत के आस-पास है। इस प्रकार, कर्मचारी उत्पादन, उद्योगों के क्षेत्रीय वितरण तथा उद्यमवृत्ति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार इस क्षेत्र को विशेष रूप से बढ़ावा देती आ रही है।

एमएसई क्षेत्र के लिए ऋण के स्रोत

एमएसई क्षेत्र के संस्थागत ऋण के मूल स्रोत हैं - सरकारी क्षेत्र के बैंक। इसके अलावा, इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के बैंकों (नए तथा पुराने दोनों) तथा भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की ओर से ऋण प्रदान किया जाता है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के प्रयासों को कुछ हद तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) द्वारा सहायता मिलती है। इस क्षेत्र को शहरी सहकारी बैंक, राज्य एवं जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, राज्य वित्त निगमों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

एमएसई क्षेत्र को ऋण प्रवाह**i) नीतिगत घोषणाएं**

10 अगस्त 2005 को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित नीतिगत पैकेज के आधार पर, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को एमएसई को उपलब्ध कराई जाने वाली निधि में अपना स्वयं का लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित करने के लिए सूचित किया गया ताकि एमएसई को दिए जाने वाले ऋण में वर्ष-दर-वर्ष न्यूनतम 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो। इसका उद्देश्य यह है कि इस क्षेत्र के ऋण में 2004-05 के 67,600 करोड़ रुपए के ऋण प्रवाह की तुलना में 2009-10 में अर्थात् 5 वर्ष की अवधि में दुगुना 135,200 करोड़ रुपए का ऋण प्रवाह उपलब्ध हो। इस लक्ष्य को मार्च 2008 को समाप्त वित्त वर्ष में ही पार कर लिया गया था।

वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के अंत में सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा एमएसई क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण की स्थिति तालिका में दी गई है।

ii) एमएसई के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं एवं निधि सहायता

वैश्विक गतिविधियों तथा देशी ऋण बाजारों पर हुए अप्रत्यक्ष प्रभाव के संदर्भ में, रिजर्व बैंक ने रोजगार बढ़ाने वाले एमएसई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण की सुपुर्दगी में बढ़ोत्तरी के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें से एक

सारणी : एमएसई क्षेत्र को बकाया ऋण

31 मार्च के अनुसार	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
2007	1,02,550 (24.40)	13,136 (26.05)	11,637 (38.04)
2008	1,51,137 (47.38)	46,912 (257.12)	15,489 (33.10)
2009 अ	1,91,307 (26.58)	47,916 (2.14)	18,138 (17.10)

अ : अनंतिम

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

उपाय के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(4एच) के उपबंधों के अधीन इस क्षेत्र को ऋण वितरण बढ़ाने के लिए 6 दिसंबर 2008 को सिडबी को 7,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त की राशि उपलब्ध कराई गई। यह पुनर्वित्त इनके लिए उपलब्ध होगा: (i) एमएसई को सिडबी द्वारा वृद्धिशील प्रत्यक्ष उधार, एवं (ii) सिडबी द्वारा बैंकों, एनबीएफसी तथा राज्य वित्तीय निगमों (एसएफसी) को, एमएसई को सिडबी के वृद्धिशील ऋण तथा अग्रिमों के स्थान पर, दिए गए ऋण। वृद्धिशील ऋणों तथा अग्रिमों को 30 सितंबर 2008 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि के संदर्भ में परिकलित किया जाएगा। यह पुनर्वित्त सुविधा 31 मार्च 2010 तक उपलब्ध होगी। निधि का उपयोग सिडबी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। 30 जून 2009 की स्थिति के अनुसार सिडबी द्वारा प्राप्त की गई पुनर्वित्त की बकाया राशि 6,095 करोड़ रुपए थी।

केंद्रीय बजट 2008-09 में की गई घोषणा के अनुसरण में, सिडबी के पास एमएसएमई (पुनर्वित्त) निधि तथा एमएसई (जोखिम पूंजी) निधि का गठन जून 2008 में किया गया। एससीबी, जो अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने का लक्ष्य पूरा करने में विफल हुए, ने निधि में अंशदान किया। एमएसएमई (पुनर्वित्त) निधि की वर्तमान राशि 1600 करोड़ रुपए तथा एमएसई (जोखिम पूंजी) निधि की राशि 1000 करोड़ रुपए है। रोजगार बढ़ाने वाले व्यष्टि तथा लघु उद्यम क्षेत्रों की वृद्धि की गति को सुनिश्चित करने की आवश्यकता तथा गवर्नर द्वारा 15 नवंबर 2008 को की गई घोषणा के अनुसार चलनिधि प्रबंधन तथा ऋण प्रवाह में सुधार के लिए कई उपाय किए गए। एमएसएमई (पुनर्वित्त) निधि, 2008-09 की मूल राशि में 2,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई।

iii) विशेष पुनर्वित्त सुविधा

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) को चलनिधि सहायता उपलब्ध कराने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(3बी) के अंतर्गत 1 नवंबर 2008 से एक विशेष पुनर्वित्त सुविधा आरंभ की गई, जिसके द्वारा बैंकों को सूचित किया गया कि वे 24 अक्टूबर 2008

(जारी...)

(.... समाप्त)

की स्थिति के अनुसार अपनी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं के 1 प्रतिशत तक की राशि 90 दिनों की अवधि के लिए आहरित करें। बैंकों को एमएसई को ऋण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए इस सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यह सुविधा 31 मार्च 2010 तक बढ़ाई गई है।

iv) 388 अभिज्ञात समूहों (क्लस्टर) पर ध्यान केंद्रित करना

इसके पूर्व ‘‘एमएसएमई को ऋण प्रदान करने के लिए नीतिगत पैकेज’’ के एक भाग के रूप में बैंकों को सूचित किया गया था कि बड़े-छोटी की संभावनावाले क्षेत्र के रूप में एमएसई क्षेत्र को वित्तपोषण के लिए वे समूह आधारित दृष्टिकोण पर विचार करें। भारतीय रिजर्व बैंक के 2007-08 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में यह घोषणा की गई कि बैंक एमएसई क्षेत्र, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआइडीओ) द्वारा देश के 21 राज्यों में फैले अभिज्ञात 388 समूहों को ऋण प्रदान करने के लिए अपनी संस्थागत व्यवस्थाओं की समीक्षा करें।

v) कमजोर एमएसई के पुनर्वास पर कार्यकारी दल

एमएसई क्षेत्र द्वारा जिन समस्याओं, विशेषकर संभाव्य रूप से अर्थक्षम रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास से संबंधित, का सामना करना पड़ता है उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने डॉ. के.सी. चक्रवर्ती की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया। कार्यकारी दल ने अप्रैल 2008 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में क्षेत्र के द्वारा सामना किए जाने वाले संपूर्ण मुद्दों तथा समस्याओं पर विचार किया। दल ने भारत सरकार द्वारा एमएसई क्षेत्र को ऋण प्रवाह की सुविधा प्रदान करने के लिए कई निधियों को स्थापित करने की सिफारिश की नामतः: (i) पुनर्वास निधि, (ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए निधि, (iii) बाजार विकास निधि और (iv) राष्ट्रीय इक्विटी निधि। इन सिफारिशों को भारत सरकार एवं सिडबी को उनके विचारार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे एमएसई क्षेत्र को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऋण नीति, पुनर्विन्यास / पुनर्वास नीति तथा गैर-विवेकाधीन ओटोसी बनाएं।

vi) एमएसई ग्राहकों के लिए ‘बैंकिंग संहिता’ का निरूपण

भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआइ) ने व्यष्टि और लघु उद्यमों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के लिए संहिता का निरूपण किया है। यह एक स्वैच्छिक संहिता है जिसमें बैंकों के लिए बैंकिंग व्यवहारों के न्यूनतम मानकों का निर्धारण किया गया है। एमएसएमई अधिनियम, 2006 में परिभाषित एमएसई के साथ कारोबार करते समय बैंकों को इस संहिता का अनुसरण करना है। इसमें एमएसई को संरक्षण प्रदान किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि दैनिक परिचालनों और वित्तीय कठिनाई के समय बैंकों द्वारा एमएसई के प्रति किस प्रकार का व्यवहार प्रत्याशित है। संहिता में प्रत्याशित है कि (क) दक्ष बैंकिंग सेवाओं तक

सहज पहुंच प्रदान करके एमएसई सेक्टर को सकारात्मक बल देना, (ख) एमएसई के साथ कारोबार करते समय न्यूनतम मानकों का निर्धारण करके अच्छी और उचित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना; (ग) पारदर्शिता बढ़ाना, (घ) प्रभावी संप्रेषण के माध्यम से कारोबार की समझ को बढ़ाना; (ङ) उच्चतर परिचालन मानक प्राप्त करने के लिए स्पर्धा के माध्यम से बाजार की शक्तियों को प्रोत्साहन देना; (च) एमएसई और बैंकों के बीच उचित और सौहार्द्रपूर्ण संबंध बनाना, (छ) बैंकिंग जरूरतों के लिए सामयिक और तीव्र प्रतिसाद सुनिश्चित करना, और (ज) बैंकिंग प्रणाली में आत्मविश्वास को बढ़ावा देना।

क्रेडिट गारंटी योजनाएं

संपार्श्विकों/तीसरे पक्ष की गारंटी की शर्तों के बिना बैंक ऋण की उपलब्धता पहली पीढ़ी के उद्यमियों को अपना एमएसई स्थापित करने में सहायता का एक बड़ा स्रोत होगी। इस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने क्रेडिट गारंटी योजना प्रारंभ की है ताकि ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जा सके और एमएसई सेक्टर को ऋण के प्रवाह को सुकर बनाया जा सके। इस योजना को परिचालित करने के लिए, भारत सरकार और सिडबी ने व्यष्टि और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) स्थापित किया है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि ऋणदाता संस्थाओं को चाहिए कि वे द्वितीयक स्तर की संपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर देने के बजाय परियोजना की सक्षमता को महत्व दें और पूर्णतया वित्तपोषित आस्तियों की प्राथमिक प्रतिभूति के आधार पर ऋण सुविधा को प्रतिभूत करें। पात्र संस्थाओं द्वारा सेवा उद्यम सहित किसी नए या फिर विद्यमान व्यष्टि और लघु उद्यम, जिनकी अधिकतम क्रेडिट सीमा एक करोड़ रुपये है, के लिए दी गई किसी भी संपार्श्विक / तीसरे पक्ष की गारंटी से मुक्त ऋण सुविधा (निधि और गैर निधि आधारित दोनों) सीजीएस में शामिल किए जाने की पात्र होगी। सीजीटीएमएसई के तहत शामिल इकाई यदि प्रबंधन के नियंत्रण से बाहर के कारकों की वजह से रुग्ण हो जाती है तो ऋणदाता द्वारा पुनर्वास के लिए दी गई सहायता को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, बशर्ते दी गई समस्त सहायता एक करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा के भीतर हो।

चूँकि सीजीटीएमएसई की क्रेडिट गारंटी योजना में अभी गति नहीं आई है, इसलिए 2009-10 के भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में यह घोषणा की गई कि एमएसई से संबंधित स्थायी सलाहकार समिति द्वारा सीजीटीएमएसई स्कीम की समीक्षा की जाएगी ताकि एमएसई सेक्टर को ऋण का प्रवाह बढ़ाया जा सके। तदनुसार, वर्तमान सीजीटीएमएसई स्कीम की समीक्षा करने, कमजोरियों का पता लगाने और स्कीम के तहत कवर प्राप्त करने तथा दावे प्रस्तुत करने की विद्यमान क्रियाविधि को सरल बनाने के उपाय सुझाने और व्यष्टि तथा लघु उद्यमों के लिए समग्र पण्यवर्त कवर शुरू करने की व्यवहार्यता और इनकी कार्यप्रणालियों का परीक्षण करने के लिए एक कार्यदल (अध्यक्ष: श्री वी.के. शर्मा) का गठन किया गया है। कार्यदल द्वारा रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

आइआइएफसीएल तथा बैंक अब इस स्थिति में हैं कि वे मूलभूत संरचना के क्षेत्र में 100 हजार करोड़ रुपए के कुल निवेश वाली परियोजनाओं का समर्थन कर सकें।

निर्यात क्षेत्र का वित्तपोषण

3.44 जून 2009 में, रिजर्व बैंक ने यह दुहराया कि एसएलबीसी के संयोजक बैंकों को निर्यात वित्त संबंधी निर्यातकों की समस्याओं तथा अन्य बैंक संबद्ध मुद्दों पर राज्य स्तर पर चर्चा करने के लिए एसएलबीसी के तहत एक उप समिति का गठन करना है तथा उक्त प्रयोजन के लिए निर्धारित अंतराल पर उसकी बैठकें करानी हैं। उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए भी अनुरोध किया गया कि आगामी बैठकें आयोजित करने की तारीखों की सूचना सभी संबंधितों को काफी पहले प्रेषित की जाए ताकि निर्यात क्षेत्र संबंधी मुद्दों का भलीभांति प्रतिनिधित्व हो सके।

3.45 भारत सरकार ने कतिपय रोजगार उन्मुख निर्यात क्षेत्रों यथा (i) वस्त्र (हथकरघा सहित); (ii) हस्तशिल्प; (iii) कालीन; (iv) चमड़ा; (v) रत्न और आभूषण; (vi) समुद्री उत्पाद; तथा (vii) लघु और मझौले उद्यमों के लिए पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर 1 दिसंबर 2008 से 31 मार्च 2009 तक 2 प्रतिशत अंकों की ब्याज दर सहायता प्रदान की। इस व्यवस्था के तहत, बैंकों को 270 दिनों तक के पोतलदानपूर्व ऋण तथा 180 दिनों तक के पोतलदानोत्तर ऋण पर 1 दिसंबर 2008 से 31 मार्च 2009 तक, जिसे बाद में 30 सितंबर 2009 तक और उसके बाद 31 मार्च 2010 तक बढ़ा दिया गया था, उक्त क्षेत्रों को बकाया राशि पर बीपीएलआर घटा 4.5 प्रतिशत अंक से अनधिक दर पर ब्याज लगाने की अनुमति प्रदान की गई। तथापि, कुल सहायता इस शर्त के अधीन होगी कि सहायता मिलने के बाद ब्याज की दर 7 प्रतिशत, जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के तहत कृषि क्षेत्र पर लागू दर है, से नीचे नहीं जाएगी। बैंकों को यह सुनिश्चित करना है कि 2 प्रतिशत ब्याज सहायता का लाभ पूरी तरह से पात्र निर्यातकों को अंतरित कर दिया जाए।

3.46 बाह्य मांग में आई कमजोरी के कारण तथा निर्धारित समय के भीतर देय राशियों की वसूली में निर्यातकों के सामने मौजूद

कठिनाइयों को देखते हुए, सितंबर 2009 में यह निर्णय लिया गया कि निर्यातकों के लिए बनायी गयी स्वर्ण कार्ड योजना के तहत एक वर्ष के लिए अर्थात् 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 तक पिछले साल के निर्यात पण्यवर्त के 10 प्रतिशत से अनधिक अतिदेय निर्यात बिलों की अपेक्षा को समाप्त कर दिया जाए।

गुजरात में हीरा उद्योग के लिए राहत उपाय

3.47 गुजरात में संकटग्रस्त हीरा उद्योग की समस्याओं के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यबल ने त्वरित पुनर्विन्यास के लिए किए जानेवाले उपायों की संस्तुति की है, जिनमें शामिल हैं - रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान उधार खातों का नया वित्तपोषण, पहले वित्तपोषित न की गई हीरा क्षेत्र की इकाइयों का वित्तपोषण, सेवामुक्त किए गए हीरा कामगारों का पुनःप्रशिक्षण/पुनः कौशल वृद्धि/पुनर्वास तथा हीरा कामगारों को वित्तीय राहत का प्रावधान। उक्त कार्यबल ने इन उपायों की संस्तुति विभिन्न पणधारियों के साथ हुई चर्चा तथा बैठक में हुए विचार-विमर्श के आधार पर की।

4. वित्तीय समावेशन

3.48 औपचारिक वित्तीय प्रणाली से अलग रखे जाने की प्रवृत्तिवाले लोगों को वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान कर वित्तीय समावेशन भारत में दीर्घावधि समतापूर्ण विकास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां एक बड़ा वर्ग और क्षेत्र ऐसा है जिसे बैंकिंग सुविधा प्राप्त नहीं है। पिछले चार दशकों में बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार करने के बावजूद, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों के एक बड़े हिस्से के पास कोई बैंक खाता नहीं है। इस प्रकार, सरकार और रिजर्व बैंक इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि औपचारिक वित्तीय सेवाएं अब तक बैंक सुविधारहित/ कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों तक ले जायी जाएं। रिजर्व बैंक ने पहली बार 2005-06 के वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य में 'वित्तीय समावेशन' शब्दावली का प्रयोग किया। तब से रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए कई उपाय किए हैं यथा 'नो फ्रिल्स' खाते खोलने के लिए बैंकों को सलाह देना, व्यवसाय संपर्क (बीसी)/बैंकिंग सुसाध्यकर्ता (बीएफ) मॉडल लागू करना, वित्तीय साक्षरता का

संवर्धन, तथा व्यापक पहुंच के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संबंधी समाधान अपनाना (वार्षिक रिपोर्ट 2008-09 के बॉक्स IV.3 तथा IV.4 भी देखें)।

3.49 2009-10 के केंद्रीय बजट में इस बात का उल्लेख किया गया कि एसएलबीसी अपने संबंधित राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों में कम बैंक-सुविधा वाले अथवा बैंकरहित क्षेत्रों का पता लगाएंगे तथा अगले तीन वर्षों के भीतर इन सभी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्ययोजना तैयार करेंगे। उक्त बजट में देश के बैंक सुविधारहित प्रत्येक प्रखंड में बैंकिंग सेवाओं के लिए कम-से-कम एक केंद्र/ बिक्री केंद्र (पीओएस) का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए 100 करोड़ रुपये की एक बार की अनुदान राशि रखने का प्रस्ताव किया गया।

3.50 रिजर्व बैंक के वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में इस बात की घोषणा की गई कि 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन सूचित करनेवाले जिलों में की गई प्रगति का मूल्यांकन स्वतंत्र बाह्य एजेंसियों द्वारा कराया जाएगा। तदनुसार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों में 26 जिलों में अध्ययन किया गया। इन अध्ययनों के आधार पर, बैंकों को जनवरी 2009 में यह सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि नो-फ्रिल्स खाता रखनेवालों के निवासस्थान के पास में सटेलाइट कार्यालयों, मोबाइल कार्यालयों तथा व्यवसाय संपर्कियों जैसे विभिन्न माध्यमों से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं। बैंक नो-फ्रिल्स खातों के साथ सामान्य क्रेडिट कार्ड(जीसीसी)/अल्प ओवरड्राफ्टों की सुविधा देने पर भी विचार कर सकते हैं ताकि खातेदार सक्रिय रूप से खाते के परिचालन के लिए प्रोत्साहित हों; जागरूकता अभियान चला सकते हैं ताकि 'नो-फ्रिल्स' खातेदारों को दी गई सुविधाओं के बारे में जानकारी हो; वित्तीय रूप से 100 प्रतिशत समावेशित घोषित किए गए जिलों में व्याप्ति की मात्रा की समीक्षा करें ताकि ऐसी सुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को मिलनेवाली बैंकिंग सुविधाओं में मौजूद अंतराल, यदि कोई हो, को दूर किया जा सके; रिजर्व बैंक के समर्थन से विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित हो रहे प्रौद्योगिकी समर्थित वित्तीय समावेशन संबंधी पहलों का दक्षतापूर्वक लाभ उठा सकते हैं।

3.51 सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित वित्तीय समावेशन को गति प्रदान करने के लिए, रिजर्व बैंक ने एक योजना तैयार की है जिसके द्वारा बैंक बायोमेट्रिक अभिगम/ स्मार्ट कार्ड आधारित इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) प्रक्रिया तेजी से अपनाएंगे तथा उन राज्यों में ईबीटी प्रणाली शुरू की जाएगी जो राज्य इस योजना को अपनाने के लिए तैयार हैं। योजना के अनुसार, रिजर्व बैंक उन खातों के लिए; जिनके माध्यम से सामाजिक सुरक्षा लाभ संबंधी भुगतान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) संबंधी भुगतान और सरकारी लाभ के अन्य कार्यक्रमों के तहत भुगतान किए जाएंगे; प्रति खाता 50 रुपए के दर से बायोमेट्रिक अभिगम/स्मार्ट कार्ड से युक्त खाता खोलने की लागत की आंशिक प्रतिपूर्ति एक सीमित अवधि के लिए बैंकों को करेगा। बैंकों को भुगतान एक ऐसा लेनदेन शुल्क, जिसके बारे में राज्य सरकारें और बैंक परस्पर सहमत हों, लेनदेनकर्ता बैंकों को अदा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा सहमत होने पर निर्भर होगा। इस योजना का मूल रूप से कार्यान्वयन 1 जुलाई 2008 से 30 जून 2009 तक आंध्र प्रदेश में किया गया तथा तब से इसे 30 जून 2010 तक पूरे देश में लागू कर दिया गया है।

3.52 हाल ही में रिजर्व बैंक ने विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में बैंकिंग सेवाएं सुधारने के लिए बैंकों और उनकी सेवाओं की व्याप्ति में सुधार लाने के लिए तथा बिहार,उत्तराखंड, छत्तीसगढ़,हिमाचल प्रदेश, झारखंड, लक्षद्वीप जैसे कुछ कम विकसित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और उत्तरपूर्वी क्षेत्र में वित्तीय समावेशन का संवर्धन करने के लिए कार्यदलों का गठन किया है। इन कार्यदलों ने बैंकों की व्याप्ति बढ़ाने और वित्तीय समावेशन के संवर्धन, वित्तीय संस्थाओं के सुदृढीकरण, मुद्रा और भुगतान प्रणाली में सुधार लाने, तथा संबंधित क्षेत्रों में आरआरबी और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को पुनः सशक्त बनाने के लिए विशिष्ट सिफारिशों की हैं। इन दलों की सिफारिशें लागू की जा रही हैं।

3.53 वित्तीय क्षेत्र सुधार संबंधी समिति (अध्यक्ष: प्रो.रघुराम राजन) की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ देश में चल रही वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को और सघन बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। वित्तीय समावेशन के संबंध में रिपोर्ट की संस्तुतियां बॉक्स III.2 में दी गई हैं।

3.54 अगस्त 2008 में, आरआरबी तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनियों को बीसी के रूप में नियोजित कर सकते हैं बशर्ते वे कंपनियां अकेली संस्थाएं हों अथवा उनकी इक्विटी के 10 प्रतिशत से अनधिक भाग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, बैंकों, टेलीकॉम कंपनियों तथा अन्य कारपोरेट संस्थाओं अथवा उनकी धारक कंपनियों के पास हो। धारा 25 की कंपनियों को बीसी के रूप में नियोजित करने के लिए, बैंकों को बीसी के कारोबार स्थल तथा शाखा के बीच 15 कि.मी./5 कि.मी., जैसा लागू हो, की दूरी संबंधी मानदंड का कड़ाई से अनुपालन करना था। अप्रैल 2009 में, रिजर्व बैंक ने ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी क्षेत्रों

के लिए बीसी के परिचालन हेतु दूरी संबंधी अधिकतम मानदंड वर्तमान 15 कि.मी. से बढ़ाकर 30 कि.मी. कर दिया।

3.55 अगस्त 2008 में बैंकों को सूचित किया गया कि बीसी संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए यदि बैंकों के सम्यक रूप से नियुक्त बीसी निचले स्तर पर उप-एजेंट नियुक्त करना चाहें, तो बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि (i) बीसी के उप-एजेंट रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार बीसी के निर्धारित सभी सुसंगत मानदंड पूरे करें; (ii) उनके द्वारा नियुक्त बीसी प्रतिष्ठात्मक तथा अन्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए उप एजेंट के संबंध में उचित जांच पड़ताल कर ले; तथा (iii) सभी उप-एजेंटों के मामले में मूल

बॉक्स III.2 : वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति (सीएफएसआर) की रिपोर्ट - वित्तीय समावेशन संबंधी सिफारिशें

वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति (सीएफएसआर) की रिपोर्ट में देश में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया तेज करने के लिए कई सिफारिशों की गई हैं। वित्तीय समावेशन सिर्फ ऋण के लिए नहीं है, अपितु इसमें बचत खाता, बीमा और विप्रेषण उत्पादों सहित अनेक प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करना शामिल है। समिति की यह राय थी कि असुरक्षितता को कम करने वाली लिखतें गरीबों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वित्तीय सेवा है। इस प्रकार बचत, विप्रेषण, बीमा और पेंशन जैसी सुरक्षित और लाभकारी पद्धतियों तक पहुंच में काफी वृद्धि करने की जरूरत है।

सीएफएसआर ने यह भी सिफारिश की है कि एक ओर लघु वित्त बैंकों का सृजन और संवर्धन करके तथा दूसरी ओर बड़े बैंकों एवं छोटी स्थानीय संस्थाओं के बीच सुदृढ़ संबद्धता स्थापित करके अर्थव्यवस्था के भीतर समावेशक बैंकिंग ढांचे का विकास किया जाए। इन सहबद्धताओं से छोटे ग्राहकों को बड़े बैंकों की वित्तीय उत्पादों की खुदरा बिक्री में सहायता मिलेगी। सीएफएसआर ने यह भी दुहराया कि वित्तीय समावेशन पर गठित रंगराजन की सिफारिशों के अनुसरण में ‘‘बैंकिंग संपर्क’’ की परिभाषा को व्यापक बनाने की जरूरत है।

‘नो-फ्रिल्स’ खाते अधिक संख्या में खोले जाएं ताकि 90 प्रतिशत भारतीयों की पहुंच औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक हो सके। इन खातों का उपयोग एनआरईजीएस जैसे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत गरीबों को वर्तमान सब्सिडी तथा नकदी अंतरणों के वितरण के लिए भी किया जा सकता है। नो-फ्रिल्स खाते जोड़कर राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय समावेशन प्रणाली (एनईएफआइएस) की स्थापना भी की जा सकती है ताकि इन खातों में निधियों का इलेक्ट्रॉनिक अंतरण किया जा सके।

समिति की राय थी कि देशी और विदेशी दोनों बैंकों के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी अपेक्षाएं एकसमान करने की जरूरत है। विभिन्न बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार का लक्ष्य पूरा करने में मौजूद कमी को देखते हुए,

सीएफएसआर ने प्रस्ताव किया कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) लागू किया जाए। समिति ने बताया कि पीएसएलसी को एमएफआइ, एनबीएफसी, सहकारी संस्थाओं और पंजीकृत साहूकारों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के विभिन्न वर्गों को उधार दी गई राशि के बदले में जारी किया जाएगा। ये प्रमाणपत्र बैंकों द्वारा भी जारी किए जा सकेंगे जिनकी रकम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार मानदंडों में निर्धारित रकम के अलावा दिए गए ऋण की राशि के बराबर होगी। ये प्रमाणपत्र खुले बाजार में ट्रेड किए जा सकेंगे और जो बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधारों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उन्हें इन प्रमाणपत्रों की खरीदने की अनुमति दी जा सकती है, और इस प्रकार वे भी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधारों के मानदंड पूरे कर सकेंगे।

समिति ने यह भी बताया है कि बैंकों द्वारा पीएसएलसी की खरीद की प्रक्रिया में, वास्तविक ऋण मूल ऋणदाता की बहियों में ही रहेगा, ऋण-आस्तियों की एकमुश्त खरीद से ठीक विपरीत, और क्रेता बैंक इस राशि को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार अपेक्षाओं में दिखाएंगे।

समिति की यह भी राय थी कि गरीबों तक पहुंचने के लिए वाणिज्यिक अर्थक्षमता बढ़ाने की स्पष्ट जरूरत है। वर्जित लोगों तक पहुंचने तथा उनके उपयोग के लिए वांछित वित्तीय सेवाएं उन्हें प्रदान करने के लिए उत्पाद का नवोन्मेष, संगठनात्मक लचीलापन, तथा उच्चस्तरीय लागत दक्षता आवश्यक हैं। तथापि समिति का यह मानना है कि सभी गरीब वर्गों के लिए गुरुतर वाणिज्यिक अर्थक्षमता सही मायने में प्राप्त नहीं की जा सकती, अतः कुछ प्रकार की अधिविष्ट व्याप्ति की जरूरत हमेशा रहेगी।

समिति ने यह भी विचार व्यक्त किया कि वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए विभिन्न पहलों का कारगर उपयोग गरीब जनता द्वारा किए जाने के लिए वित्तीय साक्षरता में उल्लेखनीय निवेश अपेक्षित है।

शाखा से 15 कि.मी. / 5 कि.मी., जैसा लागू हो, की दूरी संबंधी मानदंड का हमेशा अनुपालन किया जाए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि जहां अनुमत श्रेणी के तहत आने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति बीसी के रूप में की गयी हो, वे बदले में उप-एजेंटों की नियुक्ति नहीं कर सकते।

3.56 बीसी के रूप में कार्य करने के लिए पात्र संस्थाओं का विस्तार करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों से की जा रही मांग को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने 2009-10 की वार्षिक नीति में व्यवसाय संपर्की मॉडल की समीक्षा हेतु एक कार्यदल का गठन किया। उक्त कार्यदल (अध्यक्ष: श्री पी. विजय भास्कर) ने अन्य बातों के साथ-साथ बीसी मॉडल लागू करने में प्राप्त अनुभवों की समीक्षा की तथा उक्त मॉडल संबंधी विभिन्न विनियामक और अन्य प्रासंगिक मुद्दों की जांच करने के बाद बैंकों के बीसी के रूप में कार्य कर सकनेवाले व्यक्तियों/संस्थाओं की श्रेणी का विस्तार करने के लिए उपाय सुझाए (बॉक्स III.3)

वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श

3.57 रिजर्व बैंक वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए कई उपाय शुरू कर रहा है। वित्तीय मामलों के बारे में आम आदमी को शिक्षित करने के लिए 'वित्तीय साक्षरता परियोजना' शुरू की गयी है। रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए की गई पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ बैंकिंग और वित्तीय समावेशन से संबंधित विषयों पर विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए निबंध/क्विज/अंतर-विद्यालय वादविवाद प्रतियोगिता कराना, वित्तीय साक्षरता के बारे में हास्यकर (कॉमिक) पुस्तकें, पैम्फलेट और पोस्टर जैसी सामग्रियां निःशुल्क वितरित करना, एक केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक की भूमिका के बारे में जानकारी देने के लिए मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति, करेंसी नोटों की सुरक्षा विशेषताओं और जाली नोटों का पता लगाने के बारे में आम आदमी को शिक्षित करना शामिल हैं। रिजर्व बैंक ने मुंबई में वित्तीय शिक्षा के बारे में एक स्थायी प्रदर्शन केंद्र स्थापित करने की परियोजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार के सहयोग से विद्यालयों के पाठ्यक्रम के अंग के रूप में वित्तीय शिक्षा के बारे में अध्याय तैयार करने और शामिल करने की एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गयी है।

3.58 2007-08 की मध्यावधि समीक्षा में की गयी घोषणा के अनुसार, रिजर्व बैंक ने 3 अप्रैल 2008 को 'वित्तीय साक्षरता और परामर्श केंद्र' विषय पर एक संकल्पना पत्र अपनी वेबसाइट पर डाला। प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर, एफएलसीसी के लिए एक मॉडल योजना तैयार की गयी है तथा फरवरी 2009 में इसकी जानकारी बैंकों को दी गयी। इस मॉडल योजना का मुख्य उद्देश्य निःशुल्क वित्तीय साक्षरता/शिक्षा और ऋण परामर्श देना है। योजना के विशिष्ट उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ आमने-सामने की अंतःक्रिया के माध्यम से वित्तीय परामर्श सेवा प्रदान करना, विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करना तथा औपचारिक वित्तीय क्षेत्र के साथ संबद्ध करने के लाभ के बारे में लोगों को जागरूक बनाना शामिल है (बॉक्स III.4) (वार्षिक रिपोर्ट 2008-09 का बॉक्स IV.6 भी देखें)।

अग्रणी बैंक योजना

3.59 'अग्रणी बैंक योजना' की संकल्पना पहली बार गाडगीळ स्टडी ग्रुप द्वारा शुरू की गयी, जिसने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1969 में प्रस्तुत की। गाडगीळ स्टडी ग्रुप की सिफारिश तथा बैंकिंग और ऋण संरचना के विकास के लिए ऋण योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने में 'क्षेत्र दृष्टिकोण' अपनाने के बारे में नरीमन समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसरण में, रिजर्व बैंक ने दिसम्बर 1969 में अग्रणी बैंक योजना शुरू की। इस योजना में बैंकों को जिलों के आबंटन की परिकल्पना की गयी ताकि वे संबंधित जिलों में बैंकिंग संबंधी विकास लाने के बारे में नेतृत्व संभाल सकें।

3.60 2008-09 (जुलाई-जून) तथा 2009-10 (अगस्त 2009 तक) के दौरान, छः राज्यों तथा एक केंद्र शासित क्षेत्र में नए बनाए गए आठ जिलों को विभिन्न अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अग्रणी बैंकों के रूप में कार्य करने के लिए सौंप दिया गया, यथा क्रमशः (i) छत्तीसगढ़ में नारायणपुर और बीजापुर भारतीय स्टेट बैंक को; (ii) मध्यप्रदेश में अलिराजपुर और सिंगरौली बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को; (iii) हरियाणा में पलवल ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को; (iv) दक्षिण अंडमान, और उत्तर तथा मध्य अंडमान (अंडमान को दो जिलों में बाँटा गया) भारतीय

बॉक्स III.3 : व्यवसाय संपर्कों (बीसी) मॉडल की समीक्षा के लिए गठित कार्यदल : प्रमुख सिफारिशें

वर्ष 2009-10 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक ढांचे को एवं उपभोक्ता संरक्षण मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बीसी के रूप में कार्य कर सकनेवाले व्यक्तियों की श्रेणी बढ़ाने के लिए, बीसी मॉडल के अद्यतन अनुभव की जांच करने तथा उपाय सुझाने हेतु एक कार्यदल (अध्यक्ष: पी.विजय भास्कर) का गठन किया गया।

उक्त कार्यदल ने 18 अगस्त 2009 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यदल की प्रमुख सिफारिशों का सार नीचे दिया गया है:

बीसी के रूप में पात्र अतिरिक्त संस्थाएं

वर्तमान में अनुमत संस्थाओं के अलावा, ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में बीसी के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित संस्थाओं के बारे में विचार किया जाए: i) अलग-अलग किराना/चिकित्सा/ उचित मूल्य दुकान के मालिक, ii) अलग-अलग पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) परिचालक, iii) भारत सरकार/बीमा कंपनियों की अल्प बचत योजनाओं के एजेंट, iv) पेट्रोल पंप के मालिक व्यक्ति, v) सेवानिवृत्त अध्यापक, vi) बैंकों से संबद्ध भलीभांति कार्य कर रहे स्वयं सहायता दलों (एसएचजी) के प्राधिकृत कार्यकर्ता। साथ ही, ऋण कंपनियों के स्वरूप वाली जमा स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जिनका व्यष्टि वित्त संविभाग उनके बकाया ऋण के 80 प्रतिशत से कम न हो, को वित्तीय समावेशन समिति (अध्यक्ष : डॉ. सी. रंगराजन) द्वारा अभिज्ञात वित्तीय रूप से बहिष्कृत जिलों में सिर्फ देयता उत्पादों के लिए बीसी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है।

जहां तक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का संबंध है, रिजर्व बैंक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए गठित वित्तीय क्षेत्र योजना समिति (सीएफएससी) (अध्यक्ष: श्रीमती उषा थोरात) द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए बैंकों को इस आशय का उपयुक्त अनुदेश जारी कर सकता है कि जहां उचित छानबीन के बाद किसी बैंक द्वारा किसी ऐसे स्थानीय संगठन/संस्था का प्रस्ताव किया गया हो, जो रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध किसी प्रकार के संगठन के तहत नहीं आता हो, और जहां उसे बीसी के रूप में अनुमोदित करने की संस्तुति डीएलसीसी द्वारा की गई हो, वहां रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों से उपयुक्त छूट देने के अधिकार दिए जाएं।

बीसी मॉडल की अर्थक्षमता सुनिश्चित करना

बैंकों को बीसी मॉडल के माध्यम से सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए ग्राहक से पारदर्शी रूप में उचित सेवा प्रभार वसूलने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में, विशेष रूप से इन सेवाओं का उपयोग करनेवाले ग्राहकों की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक द्वारा उपयुक्त दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

बैंक बीसी की आरंभिक स्थापना लागत का वहन करें तथा कम-से-कम आरंभिक अवस्थाओं के दौरान बीसी को पूरा समर्थन दें। बैंकों द्वारा बीसी द्वारा संभाली जानेवाली नकदी की मार्गस्थ बीमा संबंधी लागत का वहन किए जाने की भी जरूरत है।

बीसी मॉडल की व्यवहार्यता सुधारने के लिए, बैंक ब्याज प्रभार रहित उचित अस्थायी ओवरड्राफ्ट बीसी को देने पर विचार करें।

बैंकों द्वारा बीसी के क्षतिपूर्ति ढांचे का पुनरावलोकन किए जाने की जरूरत है। बीसी के माध्यम से दी जानेवाली सेवाओं का दायरा बढ़ा दिया जाना चाहिए

ताकि उसमें उपयुक्त अल्प बचत, व्यष्टि ऋण, व्यष्टि वित्त तथा छोटी राशि के विप्रेषण शामिल किए जा सकें।

विनियामक मुद्दे

रिजर्व बैंक बैंकों को इस बात की अनुमति दे कि वे उपयुक्त सुरक्षोपायों के साथ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बीसी को लेनदेन की तारीख से दूसरे कार्यदिवस के अंत तक बैंक की बहियों में लेनदेन का हिसाब करने की इजाजत दें।

जहां तक दूरी संबंधी मानदंडों को शिथिल करने के लिए मामले डीसीसी को भेजने का संबंध है, उन्हें अपना निर्णय यथाशीघ्र तथा किसी भी स्थिति में उन्हें मामला भेजने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर दे देना चाहिए। यदि इस अवधि के भीतर डीसीसी द्वारा कोई निर्णय सूचित नहीं किया जाए, तो बैंकों को दूरी संबंधी मानदंड शिथिल करने के लिए इसे 'अनापत्ति' के रूप में मानने की अनुमति दी जाए।

वित्तीय शिक्षा और उपभोक्ता संरक्षण

बैंकिंग आदत के फायदे के बारे में बैंकों द्वारा ग्राहकों को संबंधित स्थानीय भाषा में शिक्षित करने के प्रति अपने प्रयासों में काफी वृद्धि किए जाने की जरूरत है। इस प्रयोजन के लिए नाबार्ड द्वारा नियंत्रित वित्तीय समावेशन निधि से आवश्यक वित्तीय समर्थन दिए जाने पर विचार किया जाए।

बैंकों द्वारा नियुक्त बीसी संबंधी जानकारी बैंकों की वेबसाइटों पर डाला जाए। बैंकों की वार्षिक रिपोर्टों में बीसी मॉडल के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के बारे में की गई प्रगति तथा इस संबंध में बैंकों द्वारा की गई पहलों को भी शामिल किया जाए। बैंक उनके द्वारा बीसी मॉडल के कार्यान्वयन के बारे में व्यापक प्रचार करने के लिए प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (स्थानीय भाषा सहित) का भी उपयोग करें।

बैंकों द्वारा बीसी अभिरक्षा या उसके कब्जे में मौजूद ग्राहक संबंधी जानकारी की सुरक्षा और गोपनीयता के परिरक्षण और संरक्षण को सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है।

बैंक उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र तैयार करें, उसका व्यापक प्रचार करें तथा उसे पब्लिक डोमेन पर भी डालें। शिकायत निवारण अधिकारी के ब्यौरे बीसी के परिसरों में तथा मूल शाखा में दर्शाए जाने चाहिए और ग्राहक के अनुरोध पर बैंक/बीसी द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

शिकायत उपशमन संबंधी उपाय

बीसी मॉडल के जरिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में शामिल विभिन्न जोखिमों को दूर करने के लिए, बैंकों द्वारा उपयुक्त और पर्याप्त जोखिम उपशमन उपाय किए जाने की जरूरत है। साथ ही, बैंकों को बीसी मॉडल लागू करते समय 3 नवंबर 2006 को रिजर्व बैंक द्वारा जारी 'वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग' संबंधी दिशानिर्देशों में निहित सुसंगत अनुदेशों द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए।

अन्य

रिजर्व बैंक इस आशय का उपयुक्त स्पष्टीकरण बैंकों को जारी करे कि ग्राहक की इच्छानुसार उसे मूल शाखा में लेनेदेन करने की अनुमति दी जाए।

बॉक्स IV.4 : वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श (एफएलसीसी) केंद्र

वित्तीय बाजारों की जटिलता बढ़ जाने और सूचना की असममिति से जन-सामान्य के लिए सूचनायुक्त चुनाव करना कठिन हो जाने के कारण, वित्तीय शिक्षा/साक्षरता को हाल के वर्षों में बहुत अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। भारत में, वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता बहुत अधिक है क्योंकि साक्षरता का स्तर बहुत कम है और जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग औपचारिक वित्तीय संरचना से अभी भी बाहर है। वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बैंक अपने ग्राहकों के साथ-साथ दूसरों को भी वित्तीय शिक्षा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श (एफएलसीसी) केंद्रों के बारे में एक मॉडल योजना बनाई गई और फरवरी 2009 में सभी एससीबी और आरआरबी को संप्रेषित की गई और उन्हें सूचित किया गया कि वे इन केंद्रों की स्थापना बैंक से दूरी बनाए रखते हुए विशेष संस्था के रूप में करें ताकि एफएलसीसी सेवाएं उस जिले के अन्य बैंकों के ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध हों।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं:

उद्देश्य

एफएलसीसी का मुख्य लक्ष्य मुफ्त वित्तीय साक्षरता/शिक्षा तथा ऋण परामर्श उपलब्ध कराना होगा। एफएलसीसी के विशिष्ट लक्ष्य निम्नलिखित होंगे:

- इच्छुक व्यक्ति की सुविधानुसार आमने-सामने बातचीत के साथ ही ई-मेल, फैक्स और मोबाइल, आदि जैसे मीडिया के अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से वित्तीय परामर्श सेवा प्रदान करना, जिसमें औपचारिक और / या अनौपचारिक वित्तीय क्षेत्र के प्रति ऋणग्रस्त व्यक्तियों को दायित्वपूर्ण उधार लेने, सक्रिय और शीघ्र बचत तथा ऋण परामर्श शामिल होगा;
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं संबंधी शिक्षा देना;
- औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से जुड़ने के लाभों से लोगों को अवगत कराना;
- विपदाग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए ऋण पुनर्निर्धारण योजना बनाना और उसे विचारार्थ सहकारी संस्थाओं सहित औपचारिक वित्तीय संस्थाओं को संस्तुत करना;
- ऐसी कोई भी कार्रवाई करना जो वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय आयोजना का संवर्धन करे और किसी व्यक्ति की ऋण संबंधी परेशानी को दूर करने में सहायक हो।

किंतु, एफएलसीसी को किसी विशेष बैंक/बैंकों के उत्पादों के लिए निवेश सूचना केंद्र/मार्केटिंग केंद्र के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। परामर्शदाताओं को बीमा पालिसियों में निवेश, प्रतिभूतियों में निवेश, प्रतिभूति मूल्य और प्रतिभूति के क्रय/विक्रय संबंधी सूचना देने/मार्केटिंग करने से या संबंधित बैंक के अपने उत्पादों में ही निवेश को प्रोत्साहित करने से बचना चाहिए।

संगठन/प्रशासनिक संरचना

प्रारंभ में, बैंक एफएलसीसी चलाने के लिए अकेले या अन्य बैंकों के साथ संयुक्त रूप से न्यास/समितियां स्थापित कर सकते हैं। बैंक ऐसे न्यासों/समितियों के बोर्डों पर किसी सम्मानित स्थानीय नागरिक को शामिल कर सकते हैं। सेवारत बैंकों को बोर्ड में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। न्यास में वरिष्ठ नागरिकों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

शुरू में, एफएलसीसी का पूरा निधीयन बैंक/बैंकों द्वारा किया जाएगा। प्रारंभ में, यदि लागत कम रखने के लिए शाखा परिसर का उपयोग किया जाता है तो एफएलसीसी को अलग प्रवेश द्वार के साथ बिल्कुल अलग रखना चाहिए तथा उसका स्वरूप और अनुभव बैंक की शाखा से एकदम अलग होना चाहिए ताकि उसकी मूल बैंक से पृथक पहचान हो। ऐसे न्यासों/समितियों के कार्यों के प्रभावी पर्यवेक्षण और निगरानी की दृष्टि से बैंक के अधिकारियों को डमी कॉल्स या औचक मुआयना करना चाहिए।

यह आवश्यक है कि इन केंद्रों को संबंधित बैंक के वसूली या मार्केटिंग एजेंट के रूप में नहीं, बल्कि ऐसा होना चाहिए ताकि सामान्य जनता / बैंकों के ग्राहक इन केंद्रों में स्वैच्छिक रूप से आने में परेशानी महसूस न करें। परामर्श केंद्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि ग्राहकों को निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मार्गदर्शन मिल सके।

व्याप्ति (कवरेज)

यद्यपि ऋण परामर्श सेवाएं ग्रामीण, अर्ध शहरी, शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा सकती हैं, तथापि बैंक व्यापक आधार वाले सामान्य प्रकार के दृष्टिकोण के स्थान पर उधारकर्ताओं के विभिन्न वर्गों के लिए विशिष्ट रूप से खंडवार दृष्टिकोण अपनाएं। उदाहरण के लिए, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के केंद्र कृषि और उससे संबद्ध कार्य करने वाले कृषक समुदाय के लोगों के लिए वित्तीय साक्षरता और परामर्श पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

कवरेज को अधिकतम करने की दृष्टि से, एफएलसीसी की स्थापना खंडों, जिलों, कस्बों और शहरों जैसे सभी स्तरों पर की जा सकती है। किंतु, प्रारंभ में, अग्रणी बैंक जिला मुख्यालयों में एफएलसीसी की स्थापना के लिए पहल कर सकते हैं। एसएलबीसी एफएलसीसी के कार्यों का पर्यवेक्षण करके आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध करा सकती है।

एफएलसीसी को जानबूझकर चूक करने वालों के मामले नहीं लेने चाहिए।

प्रभार

ग्राहकों को परामर्श और ऋण प्रबंधन सेवाएं मुफ्त में देनी चाहिए ताकि उन पर कोई अतिरिक्त भार न पड़े।

बुनियादी सुविधाएं

बैंकों द्वारा पर्याप्त संप्रेषण और नेटवर्किंग सुविधाओं के साथ उचित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

(जारी...)

(.... समाप्त)

ऋण परामर्श के प्रकार

डेट कौंसलिंग / क्रेडिट कौंसलिंग निवारक और सुधारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। निवारक परामर्श के मामले में केंद्र आवश्यकतानुसार ऋण की लागत, बैकवर्ड और फॉर्वार्ड लिंकेज आदि संबंधी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। ग्राहकों को उनकी चुकौती क्षमता के अनुसार ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। निवारक परामर्श मीडिया, कार्यशाला और संगोष्ठियों के माध्यम से दिया जा सकता है।

एफएलसीसी स्थानीय भाषा में जेनेरिक वित्तीय शिक्षा प्रणाली शुरू करने पर विचार कर सकती है। व्यापक तौर पर, इस प्रणाली में बचत, बजटिंग की आवश्यकता, औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के साथ बैंकिंग करने के लाभ, जोखिम तथा प्रतिफल की धारणा और मुद्रा के समयगत-मूल्य, बैंकों और बीमा कंपनियों आदि द्वारा प्रस्तुत विभिन्न उत्पाद शामिल होंगे।

जागरूकता बढ़ाना एक प्राथमिक उद्देश्य होने के कारण, एफएलसीसी द्वारा उचित व्यवहार संहिता के तहत ग्राहकों के अधिकार, नामांकन सुविधा के लाभ और खाता-परिचालन पर बल दिया जाना चाहिए।

सुधारात्मक परामर्श के मामले में, ग्राहक अपने अप्रबंधनीय ऋण संविभाग के समाधान के लिए वैयक्तिक ऋण प्रबंधन योजना बनवाने के लिए परामर्श केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं।

निवारक परामर्श वैयक्तिक उधारकर्ताओं के लिए उनके आय-स्तर या ऋण की मात्रा के आधार पर अनिवार्य किया जा सकता है। ऐसे अधिदेशात्मक ऋण परामर्श को बैंकों की उचित उधार प्रथा का एक भाग बनाया जा सकता है।

ऋण परामर्श और ऋण निपटान प्रणाली

बैंक स्वयं द्वारा स्थापित एफएलसीसी में आने के लिए अपने विपदाग्रस्त ग्राहकों या अन्य बैंकों के ग्राहकों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऐसी एफएलसीसी संबंधी जानकारी अग्रणी बैंक योजना के तहत उपलब्ध विभिन्न मंचों के माध्यम से दी जा सकती है। बैंकों को चाहिए कि वे आरंभिक पूर्व-चेतावनी के संकेत मिलने की स्थिति में वसूली के उपाय करने से पहले मामले परामर्श केंद्र को भेजने के लिए ट्रिगर पॉइंट बनाएं।

परामर्शदाताओं के लिए यह अधिदेशात्मक होना चाहिए कि वे विपदाग्रस्त उधारकर्ताओं के मामले बैंकों को भेजें और उनके लिए ऋण प्रबंधन योजनाएं बनाएं ताकि उनके ऋण का पुनर्विन्यास / पुनर्निर्धारण किया जा सके।

एफएलसीसी द्वारा सुझाया गया ऋण पुनर्विन्यास प्रस्ताव अंतिम रूप से स्वीकारने या अस्वीकृत करने का विकल्प संबंधित बैंक/बैंकों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

किंतु, एफएलसीसी वसूली या धन के सवितरण का कार्य नहीं करेंगे। यह कार्य संबंधित बैंक या सभी बैंकों की ओर से उस बैंक पर छोड़ा जाना चाहिए जिसका सर्वाधिक एक्सपोजर हो।

परामर्शदाताओं की अर्हता और प्रशिक्षण

यह आवश्यक है कि इन केंद्रों में पूर्णकालिक आधार पर कार्य करने के लिए उपयुक्त शिक्षा प्राप्त/ प्रशिक्षित परामर्शदाताओं का ही चयन किया जाए। एफएलसीसी को कृषि और संबंधित कार्यों संबंधी परामर्श के लिए कृषि क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले लोगों की नियुक्ति पर विचार करना चाहिए।

हितों के टकराव से बचाव सुनिश्चित करने के लिए, एफएलसीसी के प्रबंधन में बैंक स्टाफ नहीं रखा जाना चाहिए।

ऋण परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के लिए अन्य के साथ ही सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों और भूतपूर्व सेना कर्मियों को अनुमति होनी चाहिए।

रिजर्व बैंक कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे, ग्रामीण विकास बैंकर संस्था, लखनऊ या बैंकों के प्रशिक्षण महाविद्यालय परामर्शदाताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार कर सकते हैं।

इंटरफेस के प्रकार

परामर्श केंद्रों में निजी तौर पर, फोन, ई-मेल और डाक से प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई करने की सुविधा होनी चाहिए। सुलभ संपर्क के लिए उनके पास टोल फ्री लाइन, ई-मेल और फैक्स सुविधा होनी चाहिए।

निगरानी

प्रत्येक राज्य में एफएलसीसी के कार्य की निगरानी एक समिति द्वारा की जाएगी जिसके अध्यक्ष रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक होंगे और बैंकों को प्रतिसूचना नियमित आधार पर दी जाएगी। इस समिति में एफएलसीसी संयोजक बैंक, अन्य बैंक, नाबार्ड, आइबीए, उपभोक्ता संगठन और संबंधित क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ शामिल हो सकते हैं।

पारदर्शिता/सूचना का प्रकटीकरण

सभी बैंकों द्वारा शुल्क और प्रभारों की आवश्यक जानकारी अपनी वेबसाइट पर दर्शाई जानी चाहिए ताकि ग्राहक सूचनायुक्त निर्णय ले सकें। बैंकों द्वारा खोली गई एफएलसीसी द्वारा प्रस्तुत सेवाओं का ब्योरा भी संबंधित बैंकों की वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए।

प्रचार

बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परामर्श केंद्रों की सूची का उपयुक्त रूप से प्रचार किया जाए।

प्रगति

बैंकों ने मार्च 2009 तक विभिन्न राज्यों में 148 ऋण परामर्श केंद्र खोले जाने की सूचना दी है।

स्टेट बैंक को; (v) तमिलनाडु में तिरुपुर केनरा बैंक को, और (vi) उत्तर प्रदेश में कांशीराम नगर केनरा बैंक को।

अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय समिति

3.61 रिजर्व बैंक के 2007-08 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गयी घोषणा के अनुसरण में, वित्तीय समावेशन एवं बैंकिंग क्षेत्र की हाल की गतिविधियों पर फोकस करते हुए, अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा करने तथा उसकी प्रभावशालिता को सुधारने के लिए नवंबर 2007 में एक उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष: श्रीमती उषा थोरात) का गठन किया गया। इस समिति ने विभिन्न राज्य सरकारों, बैंकों और अन्य पणधारियों, शिक्षाविदों, व्यष्टि वित्त संस्थाओं और एनजीओ सहित, के साथ कई दौर में चर्चा की। स्थूल राय यह उभर कर आयी कि जहां समावेशक वृद्धि को सुकर बनाने के लिए औपचारिक वित्तीय संस्थाओं का बैंकिंग एवं ऋण के क्षेत्र में गुरुतर प्रवेश इस योजना का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, वहीं उन संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं को भी सुदृढ़ बनाने की जरूरत है जिनके माध्यम से योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। समिति ने 21 मई 2009 को रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत किया तथा इसे जनता के अभिमत के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया। जनता, बैंकों, संस्थाओं से प्राप्त प्रतिपुष्टि/ अभिमत/ सुझाव के आधार पर समिति ने 20 अगस्त 2009 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे 24 अगस्त 2009 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया। समिति की प्रमुख सिफारिशें बॉक्स III.5 में प्रस्तुत की गई हैं (रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2008-09 में बॉक्स IV.2 'अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट का मसौदा' भी देखें)।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में गठित विशेष कार्य बल

3.62 सार्वजनिक नीति के अनुसार आवश्यक समझे गए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अतिरिक्त केंद्रों में बैंकिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए नयी गति देने हेतु एक विशेष कार्यबल (अध्यक्ष : श्रीमती उषा थोरात) का गठन किया गया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित केंद्रों में बैंकिंग सुविधाओं (करेंसी चेस्ट, विदेशी मुद्रा एवं सरकारी कारोबारी सुविधाओं का विस्तार) की स्थापना के लिए रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को वित्तीय समर्थन प्रदान करने की योजना, जिसे बैंकों द्वारा वाणिज्यिक

दृष्टि से अर्थक्षम नहीं पाया गया, तैयार की गयी, जिसके लिए राज्य सरकारों से अपेक्षा की गयी कि वे आवश्यक परिसर तथा अन्य मूलभूत संरचना संबंधी समर्थन उपलब्ध कराएं। रिजर्व बैंक अपने अंशदान के रूप में बैंक द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम बोली के अनुसार एक समय की पूंजी लागत तथा पांच वर्षों की सीमित अवधि के लिए आवर्ती व्ययों का वहन करेगा।

3.63 शुरुआती तौर पर, मेघालय राज्य सरकार द्वारा अभिज्ञात 'सहमत केंद्रों' के लिए प्रायोगिक आधार पर बोलियां आमंत्रित की गयीं। मेघालय सरकार परिसर और सुरक्षा प्रदान करने के प्रस्ताव पर सहमत हुई। आठ केंद्रों में शाखाएं स्थापित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों से बोलियां प्राप्त हुई हैं तथा इन्हें न्यूनतम बोली लगाने वालों को आबंटित कर दिया गया है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

3.64 2009-10 के केंद्रीय बजट में 'स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना' नामक योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह बनाने पर बल दिया गया। बढ़ी हुई दर पर पूंजी सब्सिडी प्रदान करने के अलावा, यह प्रस्ताव है कि बैंकों से 1 लाख रुपए तक के ऋण के लिए गरीब परिवारों को ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाए। साथ ही, अगस्त 2009 में रिजर्व बैंक ने आरआरबी को छोड़कर सभी पीएसबी को सूचित किया कि इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत ऋण तथा 10 लाख रुपए तक के समूह ऋण को द्वितीयक संपाश्विक प्रतिभूति से छूट प्राप्त होगी।

राष्ट्रीय महिला कोष

3.65 अगले कुछ वर्षों में 'राष्ट्रीय महिला कोष' की मूल राशि गरीब महिलाओं को ऋण समर्थन अथवा व्यष्टि वित्त की सुविधा देने में इसके महत्व को स्वीकार करते हुए, बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है।

शारीरिक सफाईकर्ताओं के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस)

3.66 सफाईकर्ताओं के उद्धार और पुनर्वास की योजना (एसएलआरएस) के स्थान पर भारत सरकार ने "शारीरिक

बॉक्स III.5: अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट

पृष्ठभूमि : अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) रिजर्व बैंक द्वारा 1969 में शुरू की गई। एलबीएस शुरू होने के चार दशकों में, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण की शुरुआत के साथ विशेष रूप से 1991 के बाद देश में कई बदलाव आए हैं। ये सुधार वित्तीय क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में हुए हैं। आज वाणिज्य बैंक अपनी वित्तीय स्थिति की ओर काफी अधिक फोकस कर रहे हैं तथा उन्होंने अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता में सुधार किया है। हालांकि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र संबंधी दायित्व निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र दोनों के बैंकों पर लागू है, तथापि इस तथ्य की ओर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है कि आबादी का बड़ा भाग अभी भी औपचारिक बैंकिंग ढांचे के बाहर है तथा कुछ क्षेत्रों में वास्तविक और वित्तीय क्षेत्र पीछे चल रहे हैं। यद्यपि समाज के अधिक असुरक्षित क्षेत्रों/वर्गों तक ऋण का प्रवाह सुकर बनाने के लिए नीतियां बनी हुई हैं, तथापि इस बात की जरूरत है कि परिणामों के बारे में समय पर जानकारी लेने और उनके बेहतर आकलन के अलावा निचले स्तर पर इन नीतियों का अधिक प्रसार और इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

अतः इस बात की जरूरत महसूस की गई कि एलबीएस की व्यापक समीक्षा की जाए। तदनुसार, वर्ष 2007-08 की रिजर्व बैंक की वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसार वित्तीय समावेशन तथा बैंकिंग क्षेत्र की हाल की गतिविधियों पर फोकस करते हुए एलबीएस की समीक्षा के लिए एक समिति (अध्यक्ष: श्रीमती उषा थोरात) गठित की गई।

वित्तीय समावेशन के लिए रूपरेखा: समिति ने नोट किया कि यह महत्वपूर्ण है कि बैंकिंग सेवाओं को एक सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में देखा जाए तथा यह वहनीय लागत पर आबादी के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को उपलब्ध हो। अतः समिति ने सिफारिश की कि समावेशक वृद्धि के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैंकों और राज्य सरकारों को मिलकर कार्य करने में समर्थ बनाना एलबीएस का व्यापक उद्देश्य होगा।

ग्रामीण आबादी के निकटवर्ती स्थलों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की व्यापक जरूरत पर विचार करते हुए, समिति ने सिफारिश की कि प्रत्येक जिले में डीसीसी की एक उप समिति द्वारा विभिन्न रूपों में अर्थात् मोबाइल बैंकिंग, विस्तार काउंटर्स, सेटलाइट कार्यालयों तथा बीसी के माध्यम से नियमित आधार पर सप्ताह में कम-से-कम एक बार 2000 से अधिक आबादीवाले प्रत्येक गांव में बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए रूपरेखा तैयार की जाए। मार्च 2010 तक, उक्त उप समिति को एक ऐसी समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके भीतर यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए तथा बैंकिंग आउटलेट के साथ 2000 से अधिक आबादीवाले सभी गांवों को शामिल करने की समय-सीमा मार्च 2011 के बाद की नहीं हो। जिन राज्यों में वर्तमान व्यापक की स्थिति अच्छी हो, उनमें उपयुक्त रूप से लक्ष्य को पहले लाया जा सकता है।

उक्त रूपरेखा द्वारा निर्धारित लक्ष्य के संबंध में स्थिति का समय-समय पर आकलन करने और उसकी सूचना डीसीसी की प्रत्येक बैठक में देने के लिए डीसीसी द्वारा एक निगरानी प्रणाली गठित की जाए।

आइटी आधारित वित्तीय समावेशन: बैंकिंग की व्यापकता का लक्ष्य पाने में, बैंकों को उपलब्ध आइटी समाधानों का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। चूंकि राज्य सरकारें नरेगा (एनआरईजीए) और सामाजिक सुरक्षा निधियों का संवितरण बैंक खातों के माध्यम से करने के लिए उत्सुक हैं, अतः बैंकों और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी की तलाश की जाए और उस मूलभूत संरचना का उपयोग वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाए। इस प्रयोजन के लिए वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (नाबार्ड के पास) के तहत उपलब्ध निधायन व्यवस्थाओं अथवा अन्य विकल्पों यथा रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी भुगतानों के वितरण के लिए प्रस्तावित समर्थन की तलाश की जाए।

राज्य सरकारों की भूमिका: राज्य सरकारों की भूमिका का दायरा समर्थक कानून और व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करने से लेकर जल आपूर्ति और सिंचाई की व्यवस्थाओं, सड़क और डिजिटल संबद्धता, उचित भूमि अभिलेख तैयार करने, पहचान की प्रक्रिया में मदद करने, प्रचार अभियान तथा वसूली तक फैला हुआ है। जिन केंद्रों में सामान्य बैंकिंग, मुद्रा, विदेशी मुद्रा और सरकारी कारोबार के लिए सार्वजनिक नीति के अनुसार बैंक शाखाओं की अपेक्षा है परंतु बैंक मूलभूत संरचना की कमी, व्यवहार्यता के अभाव तथा सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण शाखाएं खोलने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, वहां राज्य सरकारों द्वारा परिसर तथा सुरक्षा प्रदान करके समर्थन दिए जाने की जरूरत है। राज्य सरकारों को भी बैंकों को मिलनेवाले सरकारी कारोबार के लाभ का फायदा उठाते हुए उन्हें सरकार द्वारा प्रायोजित उन योजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिनमें हमेशा व्यावसायिक लाभ नहीं होता।

राज्यस्तरीय/जिलास्तरीय विकास योजना: उक्त समिति ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए वित्तीय क्षेत्र योजना संबंधी समिति द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए तैयार किए गए अनुसार प्रत्येक राज्य और जिले के लिए एकबारगी व्यापक राज्यस्तरीय/जिलास्तरीय विकास योजना (एसडीपी/डीडीपी) तैयार करने की सिफारिश की है। इस योजना द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को उधार देने और बैंकिंग के विकास में 'समर्थक' एवं 'बाधक' तत्वों की पहचान की जानी चाहिए और साथ ही बैंकों, राज्य सरकारों और विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए नियत अन्य पणधारियों की भूमिका और उनके उत्तरदायित्व का उल्लेख किया जाना चाहिए, जिनकी समय-समय पर निगरानी राज्यस्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) तथा जिला परामर्श समिति (डीसीसी) की बैठकों में की जानी चाहिए। एसएलबीसी के संयोजक की अध्यक्षता में गठित उप समिति द्वारा राज्य स्तरीय योजना तैयार की जाए तथा इसमें प्रमुख प्रतिभागी बैंकों के अलावा राज्य सरकार, आरबीआई और नाबार्ड के अधिकारियों को शामिल किया जाए। जिला स्तर पर डीसीसी की उप समिति, जिसके संयोजक एलडीएम हों तथा जिसमें नाबार्ड के डीडीएम, जिलास्तरीय सरकारी अधिकारी, बैंक कार्यकर्ता तथा अन्य लोग सदस्य के रूप में शामिल हों, ऐसी योजना तैयार करे। रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय आवश्यक दिशानिर्देश उपलब्ध कराएं।

(जारी...)

(.... समाप्त)

एसएलबीसी तथा डीसीसी तंत्र : अतः एसएलबीसी /डीसीसी तंत्र के समय का अधिकाधिक उपयोग सरकार प्रायोजित योजनाओं तक सीमित रहने के बजाए, राज्यस्तरीय/जिलास्तरीय विकास योजना में यथावर्णित वित्तीय समावेशन में बाधक और साधक विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया जाए।

एसएलबीसी की बड़ी सदस्य संख्या को देखते हुए, एसएलबीसी के लिए यह वांछनीय है कि वे विशिष्ट कार्यों के लिए उप समितियों का गठन करें। ये उप समितियां विशिष्ट मुद्दों की गहराई से जांच करें तथा एसएलबीसी के विचारार्थ समाधान/सिफारिशें लेकर आगे आए। एसएलबीसी के सचिवालय/कार्यालय को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया जाए ताकि एसएलबीसी के संयोजक बैंक अपना कार्य कारगर तरीके से कर सकें। डीसीसी के स्तर पर, उपयुक्त समझी गई उप समितियों का गठन किया जाए जो विशिष्ट मुद्दों पर गहन रूप में कार्य करके अपनी रिपोर्टें डीसीसी के विचारार्थ उसके समक्ष प्रस्तुत करें।

राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, रिजर्व बैंक मुख्य सचिवों/विकास आयुक्तों, एसएलबीसी के संयोजक बैंकों के सीएमडी का एक वार्षिक सम्मेलन बुलाए।

एक छोटी समिति, जिसमें रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, आइबीए, आरबीआइ के क्षेत्रीय निदेशक तथा संबंधित राज्य के नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक शामिल हों, एसएलबीसी के संयोजक बैंकों और अग्रणी बैंकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करे ताकि जरूरत पड़ने पर एसएलबीसी/डीसीसी के संयोजकत्व में बदलाव सहित सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) कार्यालय - भूमिका और ढांचा: समिति ने नोट किया कि समग्र अग्रणी बैंक योजना की प्रभावशालिता जिला समाहर्ता अथवा एलडीएम की गतिशील भूमिका तथा क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालय की समर्थक भूमिका पर निर्भर है। एलडीएम के लिए परिकल्पित नए कार्यों में बैंकिंग की व्याप्ति के लिए रूपरेखा तैयार करना, जिले के लिए एकबारगी व्यापक विकास योजना तैयार करना, वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्रों (एफएलसीसी) की स्थापना से जुड़ना, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना, एनजीओ/पीआरआइ की सहभागिता से बैंकों एवं सरकारी अधिकारियों के लिए वार्षिक सुग्राह्यता कार्यशालाएं आयोजित करना, तिमाही जागरूकता एवं प्रतिपुष्टि संबंधी सार्वजनिक बैठकों की व्यवस्था करना शामिल है।

वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श : प्रत्येक अग्रणी बैंक से यह प्रत्याशित है कि वह प्रत्येक जिले में एफएलसीसी केंद्र खोले, जहां इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी हाल के दिशानिर्देशों के अनुसरण में उसका अग्रणी उत्तरदायित्व हो।

क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण/सुग्राह्यता कार्यक्रम: समिति ने पाया कि अग्रणी बैंक योजना की विशिष्ट व्याप्ति और भूमिका के अलावा डीसी को बैंकों एवं बैंकिंग के बारे में सुग्राह्य बनाने की आम आवश्यकता है। एसएलबीसी अग्रणी बैंक योजना के प्रति सुग्राह्यता और समझ के लिए एसएलबीसी के संयोजक के कार्यालय में डीसी के लिए एक्सपोजर दौरों की व्यवस्था करे। इसी तरह, राज्य

सरकार की प्राथमिकताओं को समझने के लिए एलडीएम हेतु उनकी तैनाती के शीघ्र बाद राज्य की राजधानी, विकास विभागों/जेडपी और समाहरणालय के लिए एक्सपोजर दौरों की व्यवस्था की जाए।

अग्रणी बैंक योजना के कार्यान्वयन से संबद्ध बैंकों और सरकारी एजेंसियों के परिचालनात्मक स्तर के स्टाफ को नवीनतम गतिविधियों एवं उभरते अवसरों से अवगत कराने की जरूरत है। निरंतर और आवधिक अंतरालों पर स्टाफ सुग्राह्यता/प्रशिक्षण/संगोष्ठी की जरूरत है। रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के राष्ट्रस्तरीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों के साथ अलग-अलग बैंकों की प्रशिक्षण संस्थाओं और एनआइबीएम, आइआइबीएम तथा एनआइआरडी को चालू वर्ष से इसके लिए उपयुक्त मॉड्यूल तैयार करना चाहिए।

तिमाही सार्वजनिक बैठकें तथा शिकायत निपटान : हर तिमाही में अग्रणी बैंक अपने अग्रणी जिलों में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता और प्रतिपुष्टि संबंधी सार्वजनिक बैठकें आयोजित करें। इन बैठकों का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि इन जिलों में कार्यरत एनजीओ/पीएसओ तथा जनता, मीडिया के प्रतिनिधि, स्थानीय नेता इन बैठकों में भाग ले सकें।

निजी क्षेत्र के बैंकों की गुरुतर भूमिका: समिति ने पाया कि कमजोर वर्गों को ऋण देने सहित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के लक्ष्य निजी क्षेत्र के बैंकों पर भी समान रूप से लागू हैं, इसलिए एलबीएस के कार्यान्वयन में इन बैंकों की भूमिका उल्लेखनीय है। अतः समिति ने संस्तुति की है कि निजी क्षेत्र के बैंकों को रणनीति आयोजना तथा सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ संबंधी उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए स्वयं को अधिक सक्रिय रूप में इसमें शामिल करना चाहिए। अग्रणी बैंकों को अपने स्तर पर यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वार्षिक ऋण योजना तैयार करते समय और साथ ही उसे लागू करते समय निजी क्षेत्र के बैंक अधिक घनिष्ठ रूप में भाग लें।

शहरी क्षेत्रों के लिए पहल: शहरी क्षेत्रों में, राज्य सरकार का तंत्र उन क्षेत्रों में बैंक खाते खोलने में मदद करे जहां परिवारों की बड़ी बस्तियां हों तथा पता और पहचान के सबूत पाना कठिन हो। 10 लाख से अधिक आबादीवाले (शुरुआती तौर पर) प्रत्येक शहर में सर्वाधिक उपस्थिति रखनेवाले बैंक बैंकरों की बैठक बुलाने तथा विभिन्न बैंकों को विभिन्न वार्डों की जिम्मेदारी बांटने में नेतृत्व करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शहरी परिवारों की बैंक खातों तथा बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच हो। विभिन्न केंद्रों में रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक ऐसे मंच की स्थापना को सुकर बनाएं।

संशोधित प्राथमिकता क्षेत्र निगरानी और सूचना प्रणाली संबंधी रिपोर्टिंग प्रणाली: समिति ने सुझाव दिया कि आरंभ में एक/दो राज्यों में प्रायोगिक आधार पर संशोधित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र निगरानी और सूचना प्रणाली (पीएसएमआइएस) लागू की जाए तथा उसके बाद 1 अप्रैल 2010 से उसे पूरे देश में लागू कर दिया जाए। समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छोटे कार्यकारी दल का गठन किए जाने का भी सुझाव दिया ताकि कार्य-पद्धतियां तैयार की जा सकें और संशोधित ढांचे को लागू करने के बारे में कार्य किया जा सके।

सफाईकर्ताओं के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना'' (एसआरएमएस) नामक एक नयी और सुधरी हुई योजना को अनुमोदित किया, जिसका उद्देश्य मार्च 2009 तक शेष सफाईकर्ताओं और उनके आश्रितों का पुनर्वास करना था। इस योजना में शारीरिक सफाईकर्ताओं का पुनर्वास वैकल्पिक पेशों में करने के लिए पूंजी सब्सिडी, रियायती ऋण तथा क्षमता निर्माण के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं। इस योजना में 5 लाख रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए ऋण का प्रावधान है। इस योजना का विस्तार मार्च 2009 के आगे तक करने संबंधी भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में, जून 2009 में रिजर्व बैंक ने बैंकों को अनुदेश दिया कि वे 30 सितम्बर 2009 तक योजना के कार्यान्वयन को पूरा करें।

विभेदक ब्याज दर (डीआरआइ) योजना

3.67 2008-09 के केंद्रीय बजट में यह प्रस्ताव किया गया कि विभेदक ब्याज दर (डीआरआइ) योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए उधारकर्ताओं के पात्रता मानदंडों को बढ़ा दिया जाए। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2008 में बैंकों को सूचित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18,000 रुपया तथा शहरी क्षेत्रों में 24,000 रुपया वार्षिक पारिवारिक आय वाले उधारकर्ता इस सुविधा को प्राप्त करने के पात्र होंगे जबकि इससे पहले वार्षिक आय संबंधी मानदंड ग्रामीण क्षेत्रों में 6,400 रुपया तथा शहरी क्षेत्रों में 7,200 रुपया था। अगस्त 2008 में, रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि शहरी क्षेत्रों के लिए 24,000 रुपए का संशोधित पात्रता आय मानदंड अर्द्धशहरी क्षेत्रों के लिए भी लागू है। डीआरआइ योजना के तहत उधार का लक्ष्य पिछले साल के कुल अग्रिमों के एक प्रतिशत पर बनाए रखा गया।

5. विवेकपूर्ण विनियमन

3.68 अमरीका में चल रहे वित्तीय उथल-पुथल द्वारा प्रेरित वित्तीय स्थिरता की बढ़ी हुई चिंताओं के संदर्भ में, वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विनियामक पहलों में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाने पर फोकस करना जारी रहा। वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली का अंतरण बासेल II ढांचे में किए जाने के संदर्भ में वर्ष के दौरान काफी प्रगति की गयी। वर्ष के दौरान की गई एक महत्वपूर्ण पहल बैंकिंग प्रणाली में अग्रिमों के

पुनर्विन्यास से संबंधित थी। उन लिखतों को व्यापक बनाने के उपाय भी किए गए, जो बैंकों की टियर I तथा टियर II पूंजी का अंग बन सकती हैं। बैंकिंग प्रणाली के तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजरों के लिए विवेकपूर्ण विनियमन को भी, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में इसके महत्व को देखते हुए, सुदृढ़ किया गया।

3.69 वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के प्रतिसाद में, जी-20 कार्यदल ने मार्च 2009 में 'विवेकपूर्ण विनियमन को सुदृढ़ करना तथा पारदर्शिता को बेहतर बनाना' नामक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट की सिफारिशें इस मान्यता के अनुरूप हैं कि भविष्य में वित्तीय स्थिरता के लिए प्रभावी वैश्विक मानदंडों के आधार पर प्रत्येक देश में सुदृढ़ विनियमन आवश्यक है। रिपोर्ट की सिफारिशें सार रूप में बाक्स III.6 में दी गयी हैं।

बासेल II - कार्यान्वयन

3.70 31 मार्च 2009 को आरआरबी तथा एलएबी को छोड़कर भारत के सभी वाणिज्य बैंकों ने बासेल II की अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया है। शुरुआत के तौर पर, भारत में ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत ड्यूरेशन दृष्टिकोण का कार्यान्वयन किया गया है। तथापि, बासेल II ढांचे के तहत उन्नत दृष्टिकोण लागू करने से भारतीय बैंकिंग प्रणाली में जोखिम प्रबंधन ढांचे के उन्नयन तथा पूंजी की दक्षता की आशा है। इन्हें तथा इस संबंध में उभरती अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ने इन दृष्टिकोणों को लागू करने के लिए एक समयसारणी तैयार की है, जिसे सारणी III.2 में दिया गया है।

3.71 बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे उपर्युक्त समयसारणी के अनुसार बासेल II प्रलेख में परिकल्पित मानदंडों के संदर्भ में उन्नत दृष्टिकोणों के प्रति अंतरण के लिए अपनी तैयारी का आंतरिक आकलन करें, तथा अपने बोर्डों के अनुमोदन से यह निर्णय लें कि क्या वे किसी उन्नत दृष्टिकोण की ओर अंतरित होना चाहेंगे। उन्नत दृष्टिकोणों के प्रति अंतरण का निर्णय लेने वाले बैंक विनिर्दिष्ट समयसारणी के अनुसार सही समय पर आवश्यक अनुमोदन के लिए रिजर्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

बॉक्स III.6: 'विवेकपूर्ण विनियमन को सुदृढ़ करने तथा पारदर्शिता को बेहतर बनाने' के संबंध में जी-20 कार्यदल की रिपोर्ट -सिफारिशों का सार

अंतरराष्ट्रीय विनियामक मानकों को सुदृढ़ बनाने तथा वैश्विक वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कार्य दल ने विनियमन और पारदर्शिता के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। उक्त दल ने निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया :

i) वित्तीय विनियमन के प्रति प्रणाली-व्यापी दृष्टिकोण, ii) विनियम की व्याप्ति, iii) साख निर्धारण एजेंसियों का पर्यवेक्षण, iv) पूँजी के निजी स्रोत, v) विनियामक व्यवस्थाओं का पारदर्शी मूल्यांकन, vi) प्रचक्रियता, vii) पूँजी, viii) चलनिधि, ix) ओवर-दि-काउंटर डेरिवेटिव के लिए मूलभूत संरचना, x) क्षतिपूर्ति योजनाएँ तथा जोखिम प्रबंधन, xi) लेखांकन-मानक, xii) पारदर्शिता, xiii) प्रवर्तन, और xiv) तकनीकी सहायता तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में क्षमता-निर्माण। दल की प्रमुख सिफारिशों का सार नीचे दिया गया है :

सुदृढ़ व्यष्टि-विवेकपूर्ण एवं बाजार अखंडता विनियम के पूरक के रूप में, राष्ट्रीय वित्तीय विनियामक ढांचे को ऐसे समष्टि-विवेकपूर्ण आवरण के साथ प्रबलित किया जाए जो वित्तीय विनियमन के प्रति प्रणाली-व्यापी दृष्टिकोण तथा पर्यवेक्षण को प्रोत्साहित करे और प्रणाली में अत्यधिक जोखिमों के निर्माण को कम करे। अधिकतर अधिकार-क्षेत्रों में, इसके लिए विभिन्न वित्तीय प्राधिकारियों के बीच सुदृढ़ समन्वय तंत्र, वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का ध्यान रखने के लिए सभी वित्तीय प्राधिकरणों के पास अधिदेश तथा प्रणालीगत जोखिमों के समाधान के लिए कारगर उपायों की अपेक्षा होगी। यह एक प्रभावपूर्ण वैश्विक मंच की भी अपेक्षा करेगी जहाँ राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरणों के लोग मिल-बैठकर संयुक्त रूप से वैश्विक वित्तीय प्रणाली में व्याप्त प्रणालीगत जोखिमों का आकलन करेंगे तथा नीतिगत प्रतिसादों में समन्वय स्थापित करेंगे।

विनियमन एवं पर्यवेक्षण की व्याप्ति को बढ़ाते हुए उसमें सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्थाओं, बाजारों तथा लिखतों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए वित्तीय प्राधिकारियों को पूँजी के निजी स्रोतों सहित सभी महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं तथा बाजारों के बारे में विस्तृत जानकारी अपेक्षित होगी। बड़ी जटिल वित्तीय संस्थाओं को उनके आकार तथा विश्व में उनकी पहुँच के प्ररिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से सघन पर्यवेक्षण की अपेक्षा रहेगी। विनियामक एवं पर्यवेक्षणात्मक ढांचा ऐसा होना चाहिए जिसमें समनुरूप संस्थाओं एवं उनके क्रियाकलापों के प्रति समान रूप से व्यवहार करते हुए, कानूनी हैसियत पर बल देने के बजाय उनके कार्यों और क्रिया-कलापों पर ज्यादा बल दिया जाए।

वित्तीय प्रणाली की स्थितियों में एक बार सुधार होते ही, पूँजी एवं चलनिधि के सुरक्षित भंडार से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानक ऊँचे उठाये जाने चाहिए तथा अनुकूल समय में पूँजी भंडार में वृद्धि तथा उनके लिए प्रावधान को और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि संकट काल में पूँजी द्वारा नुकसान की भरपाई की जा सके तथा उसका आहरण किया जा सके।

विस्तारित वित्तीय स्थिरता मंच (एफएसएफ) (भारत को एक सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया है) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारकों, समष्टिगत विवेकपूर्ण विनियम सहित अंतरराष्ट्रीय मानकों, विनियमन की व्याप्ति, पूँजी की पर्याप्तता और चलनिधि के सुरक्षित भंडार के संबंध में समन्वय होना चाहिए ताकि एक साझा एवं सुसंगत अंतरराष्ट्रीय ढांचा सुनिश्चित किया जा सके, जिसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरणों को अपने-अपने देश की राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप अपने देश में लागू करना चाहिए। सभी जी-20 देशों में वित्तीय विनियामक एवं पर्यवेक्षणात्मक ढांचों तथा उनके कार्यान्वयन की समीक्षा आवधिक तौर पर की जानी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे विधिमाम्य किया जाना चाहिए तथा सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

प्रभावी समष्टि-विवेकपूर्ण ढांचे के साथ अनुपूर्त सुदृढ़ व्यष्टि-विवेकपूर्ण तथा बाजार-आचरण विनियम के लिए कई समर्थक नीतियाँ तथा मूलभूत संरचना में वृद्धि अपेक्षित है, जिनमें शामिल हैं - क्षतिपूर्ति प्रथाएँ जो एफएसएफ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप विवेकपूर्ण जोखिम लेने को संवर्धित करती हैं; डेरिवेटिव संविदाओं का गुरुतर मानकीकरण तथा जोखिम-सह केंद्रीय प्रतिपक्षकारों का उपयोग; सुधरे हुए लेखांकन मानक, जो कि ऋण-जनित हानि के प्रावधानों की बेहतर पहचान रखते हैं तथा उचित मूल्यों के लेखांकन से जुड़े प्रतिकूल प्रभावों को कम करते हैं; अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित विनियमों का प्रभावी प्रवर्तन, जिसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रतिभूति आयोग के अंतरराष्ट्रीय संगठन की आचार संहिता का प्रभावी प्रवर्तन शामिल है; तथा राष्ट्रीय प्राधिकरणों एवं अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारकों का साथ-साथ कार्य करना और वित्तीय विनियामक एवं पर्यवेक्षण ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में परस्पर सहयोग करना तथा समग्र जी-20 में तथा इससे भी आगे उसका कार्यान्वयन।

3.72 पिछले दो वर्षों में नए पूँजी पर्याप्तता ढांचे (एनसीएएफ) को साथ-साथ चलाने से प्राप्त अनुभव के संदर्भ में, तथा बोर्डों को और रिजर्व बैंक को सूचना देने में मानकीकरण की मात्रा सुनिश्चित करने की दृष्टि से भी, एक रिपोर्टिंग फार्मेट तैयार किया गया है जिसे सभी बैंकों द्वारा अपनाया जाना है। उक्त फार्मेट में रिपोर्टिंग विवेकपूर्ण सतहों के अनुपालन की निगरानी के लिए किसी बैंक द्वारा एनसीएएफ में अंतरण किए जाने की तारीख के अनुसार मार्च 2011 / मार्च 2012 तक जारी रखने की आशा है। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे 31 दिसम्बर

2008 को समाप्त तिमाही से अपने बोर्डों को रिपोर्ट करने के लिए फार्मेट अपनाएं।

केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) के प्रति बैंकों के एक्सपोजर

3.73 करेंसी फ्यूचर्स तथा ब्याज दर फ्यूचर्स जैसी संविदाओं का निपटान करते समय बैंकों का एक्सपोजर शेयर बाजारों के साथ संबद्ध सीसीपी के प्रति होता है। वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, फ्यूचर्स और ऑप्शन्स एक्सचेंजों में ट्रेडिंग वाली लिखतें, जो दैनिक मार्क-टू-मार्केट तथा मार्जिन संबंधी भुगतानों के अधीन हैं, पूँजी संबंधी

सारणी III.2 : बासेल II के तहत उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए समयसारणी

दृष्टिकोण	बैंकों द्वारा आरबीआइ को आवेदन प्रस्तुत करने की सबसे पहली तारीख	आरबीआइ द्वारा अनुमोदन की संभावित तारीख
1	2	3
क. बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आइएमए)	अप्रैल 1, 2010	मार्च 31, 2011
ख. परिचालनात्मक जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए)	अप्रैल 1, 2010	सितम्बर 30, 2010
ग. परिचालनात्मक जोखिम के लिए उन्नत माप दृष्टिकोण (एएमए)	अप्रैल 1, 2012	मार्च 31, 2014
घ. ऋण जोखिम के लिए आंतरिक रेटिंग आधारित (आइआरबी) दृष्टिकोण (मूल तथा उन्नत आइआरबी)	अप्रैल 1, 2012	मार्च 31, 2014

अपेक्षाओं से मुक्त हैं। डेरिवेटिव ट्रेडिंग तथा उनके प्रति बकाया प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेनों (अर्थात् संपार्श्वकीकृत उधार लेने और उधार देने के संगठनों, रिपो) संबंधी सीसीपी के प्रति एक्सपोजर को प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम के लिए शून्य एक्सपोजर मूल्य दिया जाएगा, क्योंकि यह माना गया है कि सीसीपी के प्रतिपक्षकारों के प्रति उनके एक्सपोजर दैनिक आधार पर पूरी तरह से संपार्श्वकीकृत होते हैं, और इस प्रकार सीसीपी के ऋण जोखिम एक्सपोजरों के लिए संरक्षण प्रदान करते हैं। सीसीपी के पास बैंकों द्वारा रखी गयी जमाराशियों / संपार्श्वकों पर सीसीपी के स्वरूप के उपयुक्त जोखिम भार दिए जाएंगे। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के मामले में, जोखिम भार 20 प्रतिशत होगा तथा अन्य सीसीपी के लिए यह एनसीएएफ के अनुसार इन संस्थाओं को दी गयी रेटिंग के अनुसार होगा। मार्जिन की पर्याप्तता, संपार्श्वक की गुणवत्ता तथा समाशोधन गृह / सीसीपी की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के बारे में उक्त निर्धारणों की एक साल बाद समीक्षा की जाएगी।

वाणिज्यिक भूसंपदा (सीआरई) के प्रति एक्सपोजर

3.74 बैंकों और अन्य क्षेत्रों से प्राप्त इस आशय के विभिन्न प्रश्नों के संदर्भ में कि कतिपय एक्सपोजरों को सीआरई एक्सपोजर माना जाए अथवा नहीं, तथा साथ ही बासेल II मानदंड के प्रति स्वच-ओवर के संदर्भ में जिसमें ऐसे एक्सपोजरों से संबंधित विनिर्दिष्ट प्रावधान हैं, सीआरई एक्सपोजर की परिभाषा की समीक्षा की गयी तथा 9 सितंबर 2009 को एक परिपत्र जारी किया गया। तदनुसार, यदि चुकौती मूल रूप से अन्य कारकों यथा व्यावसायिक परिचालनों से प्राप्त परिचालनात्मक लाभ, माल और सेवाओं की गुणवत्ता, तथा पर्यटकों के आगमन पर निर्भर हो, तो एक्सपोजर को वाणिज्यिक भूसंपदा के

रूप में नहीं माना जाएगा। यह संभव है कि किसी एक्सपोजर को एक साथ एक से अधिक श्रेणी में वर्गीकृत किया जाए, क्योंकि अलग-अलग वर्गीकरण अलग-अलग विचारों द्वारा चालित होते हैं। ऐसे मामलों में, एक्सपोजर को उन सभी श्रेणियों के लिए, जिनके लिए एक्सपोजर समनुदेशित हो, रिजर्व बैंक अथवा स्वयं बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक/विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा, यदि कोई हो, के लिए हिसाब में लिया जाएगा। पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए, सभी श्रेणियों के बीच लागू सबसे बड़े जोखिम भार एक्सपोजर के लिए लागू होंगे।

बैंकों द्वारा अधिमान शेयरों का निर्गम

3.75 विनियामक पूंजी के अंग के रूप में अधिमान शेयर जारी करने संबंधी दिशानिर्देशों को अप्रैल 2009 में आंशिक रूप से आशोधित किया गया। टियर I पूंजी में शाश्वत असंचयी अधिमान शेयरों (पीएनसीपीएस) के लिए लाभांश की आंशिक अदायगी तथा ऊपरी टियर II पूंजी में शाश्वत संचयी अधिमान शेयरों/मोचनीय असंचयी अधिमान शेयरों/मोचनीय संचयी अधिमान शेयरों पर ब्याज भुगतान की अनुमति उक्त आशोधन द्वारा दी गयी। साथ ही, सितम्बर 2009 में कुछ शर्तों के अधीन बैंकों को 'काल' और 'स्टेप अप' विकल्पों के साथ टियर II पूंजी के रूप में गौण ऋण जारी करने की अनुमति दी गयी है।

एसएलआर प्रतिभूतियां

3.76 सितम्बर 2009 में, रिजर्व बैंक ने आरआरबी सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह सूचित किया कि नकदी प्रबंधन बिल को भारत सरकार खजाना बिल के रूप में माना जाएगा और इस प्रकार इसे एसएलआर प्रतिभूति माना जाएगा।

बैंकों के प्राथमिक व्यापारी (पीडी) कार्यकलापों का विनियमन

3.77 गौण ऋण जारी करने संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों में यह विनिर्दिष्ट है कि इस लिखत पर ब्याज दर स्प्रेड निर्गम के समय भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूति की समतुल्य अवशिष्ट परिपक्वता पर होने वाले प्रतिफल की तुलना में 200 आधार अंकों से अधिक नहीं होगा। समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि पीडी द्वारा टियर II तथा टियर III पूंजी अपेक्षाओं के तहत गौण लिखतों के निर्गम के समय ब्याज दर स्प्रेड पर अधिकतम सीमा तत्काल प्रभाव से हटा दी जाए। इसके बाद पीडी अपने निदेशक मंडलों द्वारा निर्णीत ब्याज दरों पर गौण टियर II तथा टियर III बांड जारी कर सकते हैं। पीडी संबंधी कार्यकलाप करने वाले बैंकों को गौण ऋण लिखतें जारी करने के संबंध में इन अनुदेशों का पालन करना होगा।

परोक्ष स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) की स्थापना

3.78 जून 2009 में, रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उनके द्वारा अभिज्ञात केंद्रों/ स्थलों पर परोक्ष एटीएम लगाने की अनुमति, प्रत्येक मामले में रिजर्व बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना, प्रदान की। तथापि, यह अनुमति रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक माने जाने पर उसके द्वारा जारी किसी प्रकार के निदेश, इस प्रकार के किसी परोक्ष एटीएम को बंद करने / हटाने सहित, के अधीन होगी। बैंकों को चाहिए कि वे उक्त आम अनुमति के अनुसार उनके द्वारा स्थापित परोक्ष एटीएम के पूरे ब्यौरे उसके परिचालन के तुरंत बाद तथा किसी भी स्थिति में दो सप्ताह के भीतर रिजर्व बैंक को सूचित करें।

बैंकों द्वारा पूंजी की प्रति-धारिता

3.79 अक्टूबर 2008 में, बैंकों के बीच पूंजी की प्रति-धारिता के संबंध में, रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया कि किसी बैंक अथवा उसके समूह की संस्थाओं की सकल 'स्वाम्य' धारिताएं निवेशिती बैंक की प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत तक सीमित होनी चाहिए। 5 प्रतिशत की इस सीमा की गणना करते समय, समूह से संबंधित आस्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) की 'प्रत्ययी' धारिताओं को हिसाब में नहीं लिया जाएगा। निवेशिती बैंक स्वीकृति के लिए रिजर्व बैंक

से संपर्क कर सकता है, यदि प्रत्ययी धारिताओं सहित कुल धारिताएं इस सीमा से अधिक हैं। साथ ही, एएमसी को निवेशिती बैंक में अपनी धारिताओं पर मताधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा निवेशिती बैंक के बोर्ड में अपना कोई प्रतिनिधि नहीं रखना चाहिए।

3.80 रिजर्व बैंक ने बैंकों को दिसम्बर 2008 में (यूसीबी को जनवरी 2009 में) सूचित किया कि लेखा-परीक्षा फर्मों को उस वर्ष के दौरान बैंक में आंतरिक कार्यों से जुड़े होने पर सांविधिक लेखा-परीक्षा संबंधी कार्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि उक्त फर्मों आंतरिक कार्य से संबद्ध हों, तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा-परीक्षा संबंधी कार्य स्वीकार करने के पहले वे आंतरिक कार्य त्याग दें।

कंपनियों, वाणिज्यिक भू-संपदा तथा एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को एक्सपोजरों के लिए जोखिम भार

3.81 कंपनियों पर रेटिंग न किए गए सभी दावों, दीर्घावधि अथवा अल्पावधि, पर चाहे दावे की राशि कुछ भी हो, एससीबी के लिए नवम्बर 2008 से 100 प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाएगा। वाणिज्यिक भू-संपदा द्वारा प्रतिभूत दावों पर तथा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी के प्रति एक्सपोजर पर एससीबी और यूसीबी दोनों के लिए जोखिम भार 100 प्रतिशत निर्धारित किया।

बैंकों के तुलनपत्र-बाह्य एक्सपोजर

3.82 रिजर्व बैंक ने बैंकों के तुलनपत्र के एक्सपोजरों के संबंध में विवेकपूर्ण ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु हाल में कई उपाय शुरू किए हैं। इन उपायों में विशिष्ट क्षेत्रों के प्रति एक्सपोजर के लिए अतिरिक्त जोखिम भार और प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाएं शामिल हैं। वैश्विक वित्तीय बाजारों की हाल की गतिविधियों के संदर्भ में, यह जरूरी समझा गया कि बैंकों के विशिष्ट तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजरों के लिए परिवर्तन कारकों, अतिरिक्त जोखिम भार तथा प्रावधानीकरण अपेक्षाओं के संबंध में चालू विनिर्देशों की समीक्षा की जाए तथा उपयुक्त विवेकपूर्ण अपेक्षाएं निर्धारित की जाएं। तदनुसार, मई 2008 में अपेक्षित आशोधनों को शामिल करते हुए दिशानिर्देशों का मसौदा जनता से अभिमत प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया। प्राप्त प्रतिपुष्टि

के आधार पर अगस्त 2008 में दिशानिर्देश जारी किए गए। इन दिशा-निर्देशों के बारे में भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2007-08 में चर्चा की गई है।

3.83 अक्टूबर 2008 में, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि किसी डेरिवेटिव संविदा के बाजार भाव पर धनात्मक मूल्य को दर्शाने वाली अतिदेय प्राप्य राशियों को अनर्जक आस्ति के रूप में माना जाएगा। तदनुसार, वर्तमान आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार, ग्राहक को स्वीकृत सभी अन्य निधिकृत सुविधाओं को भी अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

3.84 बैंकिंग उद्योग के बदले परिदृश्य में, जिसके तहत बैंक विभिन्न परियोजनाओं के लिए 10 वर्षों से अधिक अवधि के लिए दीर्घावधि ऋण प्रदान करते हैं, रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2009 में 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए गारंटी जारी करने की अनुमति बैंकों को दी। तथापि, बैंकों को सूचित किया जाता है कि ऐसी गारंटियां जारी करते हुए वे अपने आस्ति देयता प्रबंधन पर बहुत लम्बी अवधि की गारंटियों के प्रभाव को ध्यान में रखें। साथ ही, बैंक अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से 10 वर्ष से अधिक की गारंटी जारी करने के बारे में उपयुक्त समझी गयी नीति तैयार करें।

3.85 यह देखा गया है कि कुछ बैंक कंपनियों द्वारा जारी अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के संबंध में उन कंपनियों की ओर से गारंटी जारी कर रहे हैं। इस संबंध में, मई 2009 में रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया कि वर्तमान अनुदेश सिर्फ ऋणों पर लागू हैं तथा बांडों या कर्ज लिखतों पर वे लागू नहीं हैं। बैंकिंग प्रणाली द्वारा कंपनी बांड अथवा किसी कर्ज लिखत के लिए जारी गारंटियों का न सिर्फ महत्वपूर्ण प्रणालीगत निहितार्थ होता है अपितु वे वास्तविक कंपनी कर्ज बाजार के विकास में भी बाधा डालते हैं। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे वर्तमान विनियमों का अनुपालन कड़ाई से करें तथा विशेष रूप से बांडों अथवा किसी प्रकार की कर्ज लिखतों के निर्गम के लिए गारंटी या समतुल्य वचनबद्धताएं न दें।

बैंकों द्वारा अग्रिमों का पुनर्विन्यास

3.86 अगस्त 2008 में, रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा अग्रिमों के पुनर्विन्यास के बारे में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। जहां रिज़र्व

बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि उन्हें 'मानक', 'अवमानक' तथा 'संदिग्ध' श्रेणियों के तहत वर्गीकृत अर्थक्षम संस्थाओं के खातों का पुनर्विन्यास करना है, इसने यह स्पष्ट किया कि बैंक पूर्वव्यापी प्रभाव से इन खातों का पुनर्विन्यास नहीं कर सकते। योजना के तहत आस्ति वर्गीकरण, आय निर्धारण और प्रावधानीकरण संबंधी मानदंडों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

आस्ति वर्गीकरण मानदंड

3.87 पुनर्विन्यास के प्रस्ताव पर विचार करते हुए बैंकों को सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंडों का अनुसरण करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्विन्यस्त पैकेज के अनुमोदन की तारीख को आस्ति वर्गीकरण की स्थिति पुनर्विन्यास / पुनर्निर्धारण / पुनर्वार्ता के बाद खाते के आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के बारे में निर्णय लेने के लिए सुसंगत होगी। पुनर्विन्यास के लिए खाते पर विचार करने के पहले, बैंक मामला-दर-मामला आधार पर कुछ स्वीकार्य अर्थक्षमता बेंचमार्क लागू करके खाते की वित्तीय अर्थक्षमता निर्धारित करें। गैर-अर्थक्षम खातों के मामले में, बैंकों को वसूली की प्रक्रिया तेज करनी होगी तथा वे पुनर्विन्यास की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते। उधारकर्ता के नकदी प्रवाह पर विचार किए बिना तथा बैंकों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं / कार्यकलाप की अर्थक्षमता का आकलन किए बिना किए गए किसी तरह के पुनर्विन्यास को कमजोर ऋण सुविधा को सदाहरित करने का प्रयास माना जाएगा तथा यह पर्यवेक्षणात्मक चिंताओं / कार्रवाई को निमंत्रण देगा। उधारकर्ताओं को जानबूझकर चूक करने वालों के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर, बैंक को अपने आप को इस बात से संतुष्ट करना होगा कि उधारकर्ता पुनर्विन्यास शुरू किए जाने के पहले जानबूझकर चूक करने को सुधारने की स्थिति में होगा। ऐसे मामलों में पुनर्विन्यास बोर्ड के अनुमोदन से किया जाना चाहिए।

3.88 रिज़र्व बैंक ने विनिर्दिष्ट किया कि 'मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत खातों को पुनर्विन्यास के बाद तत्काल 'अवमानक आस्तियों' के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाना चाहिए। अनर्जक आस्तियों का आस्ति वर्गीकरण पुनर्विन्यास से पहले के अनुसार किया जाता रहेगा तथा पुनर्विन्यास से पहले की चुकौती अनुसूची के संदर्भ में वर्तमान आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार वे और न्यूनतर

आस्ति वर्गीकरण श्रेणियों में चली जाएंगी। तथापि, पुनर्विन्यास के बाद अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत सभी खाते पुनर्विन्यास पैकेज की शर्तों के तहत ब्याज या मूलधन की किस्त की पहली अदायगी देय होने की तारीख से एक साल की अवधि के दौरान 'संतोषजनक कार्यनिष्पादन' देखे जाने के बाद 'मानक' श्रेणी में उन्नयन के लिए पात्र होंगे। तथापि, इस अवधि के बाद 'संतोषजनक कार्यनिष्पादन' दिखायी न पड़ने पर, पुनर्विन्यस्त खाते का आस्ति वर्गीकरण पुनर्विन्यास से पहले की अदायगी अनुसूची के संदर्भ में लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार नियंत्रित होगा। साथ ही, किसी तरह के अतिरिक्त वित्त को अनुमोदित पुनर्विन्यास पैकेज के तहत पहले ब्याज / मूलधन की अदायगी, जो भी पहले हो, देय होने के बाद एक साल की अवधि तक 'मानक आस्ति' के रूप में माना जाएगा। तथापि, 'अवमानक' तथा 'संदिग्ध' पुनर्विन्यास-पूर्व सुविधाओं के मामले में अतिरिक्त वित्त पर ब्याज आय का निर्धारण सिर्फ नकदी आधार पर किया जाना चाहिए।

आय निर्धारण मानदंड

3.89 'मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत पुनर्विन्यस्त खातों के संबंध में ब्याज आय का निर्धारण प्रोद्भवन के आधार पर किया जाएगा तथा 'एनपीए' के संबंध में अन्यथा विनिर्दिष्ट न होने पर उक्त निर्धारण नकदी आधार पर किया जाएगा।

प्रावधानीकरण मानदंड

3.90 वर्तमान प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार बैंकों को पुनर्विन्यस्त अग्रिमों के प्रति प्रावधान करना होता है। इसके अलावा, बैंकों को पुनर्विन्यास के अंग के रूप में ब्याज दर में की गयी कटौती अथवा मूलधन की चुकौती के पुनर्निर्धारण के कारण अग्रिमों के उचित मूल्य में हुई किसी प्रकार की कमी को मापना पड़ता है। इस प्रकार की कमी का प्रभाव बैंक की इक्विटी के बाजार मूल्य पर पड़ेगा तथा यह बैंक के लिए आर्थिक हानि है। "अग्रिमों के उचित मूल्य में हुए क्षय का परिकलन पुनर्विन्यास के पहले और बाद में ऋण के उचित मूल्य के बीच अंतर के रूप में किया जाना चाहिए। पुनर्विन्यास के पहले ऋण के उचित मूल्य का परिकलन नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य के अनुसार किया जाएगा जो पुनर्विन्यास के पहले अग्रिम पर लागू

वर्तमान दर पर ब्याज को तथा पुनर्विन्यास की तारीख को बैंक के बीपीएलआर की समतुल्य दर पर भुनाई गयी मूल राशि को तथा पुनर्विन्यास की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उपयुक्त मीयाद प्रीमियम और ऋण जोखिम प्रीमियम को दर्शाएगा"। पुनर्विन्यास के बाद ऋण के उचित मूल्य का परिकलन "नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य के अनुसार किया जाएगा जो पुनर्विन्यास पर अग्रिम पर लागू दर पर ब्याज को तथा पुनर्विन्यास की तारीख को बैंक के बीपीएलआर की समतुल्य दर पर भुनाई गयी मूल राशि को तथा पुनर्विन्यास की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उपयुक्त मीयाद प्रीमियम और ऋण जोखिम प्रीमियम को दर्शाएगा"। बैंकों को प्रावधानीकरण संबंधी वर्तमान मानदंडों के अनुसार किए गए प्रावधानों के अलावा इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट प्रावधान करने होंगे। साथ ही, इसे सामान्य प्रावधान के लिए बनाए गए खाते से अलग खाते में रखना होगा। एक खाते के प्रति अपेक्षित कुल प्रावधान की अधिकतम सीमा बकाया ऋण राशि का 100 प्रतिशत होगी।

मूलधन को ऋण/इक्विटी में परिवर्तित करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

3.91 बकाया मूलधन के हिस्से को परिवर्तित करके बनायी गयी ऋण/इक्विटी लिखतों का वर्गीकरण उसी आस्ति श्रेणी में किया जाएगा जिसमें पुनर्विन्यस्त अग्रिम को वर्गीकृत किया गया है। इन लिखतों को 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के तहत रखा जाना चाहिए और सामान्य मूल्यन मानदंडों के अनुसार इनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

अप्रदत्त ब्याज को 'निधिकृत ब्याज मीयादी ऋण' (एफआइटीएल), ऋण या इक्विटी लिखतों में परिवर्तित करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

3.92 अप्रदत्त ब्याज को परिवर्तित करके बनायी गयी एफआइटीएल/ ऋण अथवा इक्विटी लिखतों का वर्गीकरण उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में किया जाएगा जिसमें पुनर्विन्यस्त अग्रिम का वर्गीकरण किया गया है। एफआइटीएल/ ऋण अथवा इक्विटी लिखतों द्वारा दर्शायी गयी वसूल न की गयी आय की जवाबी जमा प्रविष्टि 'विविध देयता खाता (ब्याज पूंजीकरण)' नामक खाते में दर्ज की जाएगी। मूल्यन तथा प्रावधानीकरण मानदंड मूल धन के

ऋण/इक्विटी में परिवर्तन के मामले के अनुसार होंगे।

3.93 नवम्बर 2008 में, पुनर्विन्यस्त अग्रिमों की चुकौती अवधि के लिए 10 वर्षों की अधिकतम सीमा को हटाकर आवास ऋणों पर विशेष विनियामक व्यवहार लागू किया गया। तथापि, पुनर्विन्यस्त आवास ऋणों पर 25 प्रतिशत अंकों के अतिरिक्त जोखिम भार सहित जोखिम भार लगाया जाना चाहिए। दिसम्बर 2008 में, 30 जून 2009 तक पुनर्विन्यस्त वाणिज्यिक भू-संपदा एक्सपोजरों पर भी विशेष विनियामक व्यवहार लागू किया गया। साथ ही, अर्थक्षम इकाइयों तक के द्वारा अस्थायी नकदी प्रवाह की समस्या का सामना किए जाने को देखते हुए, 30 जून 2009 तक बैंकों द्वारा एक्सपोजरों के बारे में किए गए दूसरे पुनर्विन्यास को भी एक बार के उपाय के रूप में अपवादात्मक / विशेष विनियामक व्यवहार के लिए पात्र बनाया गया।

3.94 जनवरी 2009 में, रिजर्व बैंक ने 1 सितम्बर 2008 को मानक माने गए सभी खातों पर अपवादात्मक / विशेष विनियामक व्यवहार लागू किया। तथापि, इस विस्तार का लाभ उठाने के लिए, बैंक को 31 जनवरी 2009 को या उससे पहले पुनर्विन्यास शुरू करना है तथा इसे बाद में 31 मार्च 2009 तक बढ़ाया गया। साथ ही, पुनर्विन्यास पैकेज शुरू करने की तारीख से 120 दिनों की अवधि के भीतर पुनर्विन्यास पैकेज लागू करना था। यह भी स्पष्ट किया गया कि जिन मामलों में 1 सितम्बर 2008 तक खाते मानक स्थिति में थे परंतु 31 मार्च 2009 से पहले अनर्जक आस्ति श्रेणी में चले गये, उन्हें 31 मार्च 2009 को मानक के रूप में तभी सूचित किया जाएगा यदि पुनर्विन्यास पैकेज का कार्यान्वयन 31 मार्च 2009 से पहले किया जाए तथा अब तक इस संबंध में निर्धारित सभी शर्तें पूरी हों।

3.95 अपवादात्मक/विशेष विनियामक व्यवहार सभी 'मानक' तथा 'अवमानक' खातों पर भी लागू किए गए, भले ही कार्यशील पूंजीगत मीयादी ऋण (डब्ल्यूसीटीएल) के लिए उन पर पूर्ण प्रतिभूति रक्षा उपलब्ध न हो। तथापि, यह इस शर्त के अधीन है कि बैंक के पास इन ऋणों के लिए पर्याप्त प्रावधान हो अर्थात् मानक आस्तियों के लिए 20 प्रतिशत, अवमानक आस्तियों के लिए पहले साल 20 प्रतिशत जिसे हर साल 20 प्रतिशत बढ़ाया जाना है, तथा विनिर्दिष्ट

अवधि के बाद उन्नयन के लिए अपात्र खातों के अप्रतिभूत भाग के लिए 100 प्रतिशत। ये सभी रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए एक बार के उपाय थे, जो 30 जून 2009 तक कार्यान्वित पुनर्विन्यास पैकेजों पर लागू थे।

जोखिम प्रबंधन

3.96 चल रहे वैश्विक वित्तीय संकट के संदर्भ में जोखिम प्रबंधन एक बार फिर महत्वपूर्ण हो गया है। इसे देखते हुए रिजर्व बैंक आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के बारे में विभिन्न दिशानिर्देश जारी कर रहा है। बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष के दौरान कई पहलें की गयीं यथा प्रावधानीकरण में आशोधन।

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

आस्ति वर्गीकरण

3.97 आस्ति वर्गीकरण संबंधी मानदंड अपरिवर्तित बने रहे, उन्हें छोड़कर जो कार्यान्वयनाधीन उन परियोजनाओं पर लागू थे जिनमें अपेक्षा से अधिक समय लग रहा था, जहां परियोजनाएं मूलभूत संरचना से संबंधित थीं। सिर्फ मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए आस्ति वर्गीकरण संबंधी मानदंडों को 31 मार्च 2008 से आशोधित किया गया। फलस्वरूप, मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं को उस स्थिति में अवमानक माना जाएगा यदि वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख परियोजना पूरी होने के लिए मूल रूप से परिकल्पित तारीख के बाद पहले विनिर्दिष्ट एक साल की तुलना में दो वर्ष की अवधि के भी बाद की हो। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा 28 मई 2002 के बाद वित्तपोषित मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए, यदि वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन प्रारंभ होने की तारीख, परियोजना की आरंभिक वित्तीय लेखाबंदी के समय मूल रूप से परिकल्पित किए गए अनुसार, मूलभूत संरचना संबंधी परियोजना पूरी होने की तारीख के बाद दो वर्षों की अवधि के बाद की हो, तो उस खाते को 31 मार्च 2008 से अवमानक आस्ति के रूप में माना जाना चाहिए। इस प्रकार, यदि परियोजना की उक्त दो वर्ष की अवधि पूरी होने जा रही हो, तो बैंकों से यह प्रत्याशित होगा कि वे पुनर्विन्यास के लिए पात्रता का आकलन करने के लिए उस

परियोजना की अर्थक्षमता का अध्ययन करें तथा जरूरत पड़ने पर आस्ति पुनर्विन्यास पर विचार करें ताकि आस्ति की गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके।

मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण

3.98 प्रतिचक्रिय उपाय के रूप में, वर्तमान आर्थिक मंदी के प्रभाव को कम करने के लिए, सभी प्रकार की मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं को 15 नवम्बर 2008 से घटाकर 0.40 प्रतिशत के एक समान स्तर पर ला दिया गया, कृषि तथा एसएमई क्षेत्रों को दिए गए प्रत्यक्ष अग्रिम इसके अपवाद थे जिनके मामले में अब तक की तरह 0.25 प्रतिशत का प्रावधानीकरण लागू रहेगा।

प्रावधानों का विवेकपूर्ण व्यवहार

3.99 प्रावधानीकरण के लिए विनियामक मानदंड न्यूनतम अपेक्षा को दर्शाते हैं। बैंक स्वेच्छा से एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान ऐसी दरों पर कर सकते हैं जो वर्तमान विनियमनों के तहत निर्धारित दरों से उच्चतर हों, यदि ऐसी उच्चतर दरें वसूली योग्य राशि में अनुमानित वास्तविक हानि के लिए प्रावधान करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति पर आधारित हों तथा यह नीति निरंतर साल-दर-साल अपनायी गयी हो। इस संबंध में, मार्च 2009 में, रिजर्व बैंक ने कहा कि मानक आस्ति की बिक्री के मामले में यदि बिक्री संबंधी प्रतिफल बही मूल्य से उच्चतर हो, तो अतिरिक्त प्रावधान लाभ और हानि खाते में जमा किए जाएं। साथ ही, एससीबी और यूसीबी एनपीए की बिक्री में से प्राप्त अतिरिक्त प्रावधानों को कुल जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की समग्र अधिकतम सीमा के अधीन टियर II पूंजी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं।

3.100 चल प्रावधानों को लाभ और हानि खाते में जमा करके प्रतिवर्तित नहीं किया जा सकता, पर इसका उपयोग असाधारण परिस्थितियों में विशिष्ट प्रावधान करने के लिए ही किया जा सकता है। अगस्त 2009 में, रिजर्व बैंक ने कहा कि इस प्रकार का उपयोग किए जाने तक निवल एनपीए के प्रकटीकरण तक आने के लिए इन प्रावधानों को सकल एनपीए से घटाया जा सकता है, अथवा वैकल्पिक

रूप से उन्हें कुल जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर टियर II पूंजी के अंग के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तथापि, एफएसबी, बीसीबीएस, सीजीएफएस तथा प्रतिचक्रिय प्रावधानीकरण सहित प्रतिचक्रियता को कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में लेखांकन मानक रखनेवालों द्वारा चल रहे कार्य को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद इस नीति को आशोधित कर दिया जाएगा।

अप्रतिभूत अग्रिमों पर विवेकपूर्ण मानदंड

3.101 पारदर्शिता बढ़ाने तथा बैंकों के तुलनपत्र की अनुसूची 9 में अप्रतिभूत अग्रिमों की सही स्थिति दर्शाना सुनिश्चित करने के लिए, अप्रैल 2009 में यह सूचित किया गया कि प्रकाशित तुलनपत्र की अनुसूची 9 में दर्शाने के लिए अप्रतिभूत अग्रिमों की राशि निर्धारित करने हेतु, बैंकों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं सहित) के संबंध में संपार्श्विक के रूप में उन्हें प्रभारित अधिकार, लाइसेंस, और प्राधिकारों को मूर्त प्रतिभूति के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए। अतः ऐसे अग्रिमों की गणना अप्रतिभूत अग्रिम के रूप में की जाएगी। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे अग्रिमों की उस कुल राशि को प्रकट करें जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां यथा अधिकार, लाइसेंस, और प्राधिकार पर प्रभार प्राप्त किए गए हों तथा ऐसी अमूर्त संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य भी प्रकट करें।

भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति

3.102 जून 2009 के अंत में, भारत में 293 शाखाओं सहित 32 विदेशी बैंक कार्यरत थे। इसके अलावा, 43 विदेशी बैंक प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से भारत में कार्यरत थे। फरवरी 2005 में, भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक ने द्विमार्गीय और क्रमिक दृष्टिकोण निर्धारित करते हुए 'भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के लिए रूपरेखा' जारी की, जिसका उद्देश्य भारत में बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता और स्थिरता बढ़ाना था। एक मार्ग निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में देशी बैंकिंग प्रणाली के समेकन से संबंधित था, तथा दूसरा मार्ग समक्रमित रूप में विदेशी बैंकों की उपस्थिति की क्रमिक वृद्धि से संबंधित था। उक्त रूपरेखा को दो चरणों में बांटा गया था, पहला

चरण मार्च 2005 - मार्च 2009 अवधि से संबंधित था, तथा पहले चरण में प्राप्त अनुभव की समीक्षा के बाद दूसरा चरण अप्रैल 2009 से शुरू होना था। वर्तमान वैश्विक वित्तीय बाजार उथल-पुथल के संदर्भ में, विश्व भर में बैंकों की वित्तीय शक्ति के बारे में अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। साथ ही, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक नीतियों की समीक्षा की जा रही है। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि फिलहाल भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति संबंधी वर्तमान नीति तथा प्रक्रियाएं जारी रखी जाएं। पणधारियों के साथ उचित परामर्श करने के बाद प्रस्तावित समीक्षा उस समय की जाएगी जब विश्वभर में स्थिरता, वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार, तथा विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक ढांचे की साझेदारीपूर्ण समझ के बारे में अधिक स्पष्टता सामने आ जाए।

वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति

3.103 सितम्बर 2006 में भारत सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति (सीएफएसए) (अध्यक्ष : डॉ. रakesh मोहन) ने भारत के वित्तीय क्षेत्र का स्वमूल्यांकन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2009 में प्रस्तुत की। यह स्वमूल्यांकन अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के साथ भारतीय वित्तीय क्षेत्र की अनुरूपता सुनिश्चित करने तथा उसकी समग्र स्थिरता का आकलन करने की इच्छा द्वारा प्रेरित था। वित्तीय मूल्यांकन की प्रक्रिया तीन परस्पर प्रबलित करने वाले स्तंभों पर आधारित है : स्तंभ I (वित्तीय स्थिरता का मूल्यांकन और तनाव परीक्षण), स्तंभ II (संस्थागत और विधिक मूलभूत संरचना संबंधी मुद्दे) तथा स्तंभ III (वित्तीय मानकों और कोडों का मूल्यांकन)। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए, चार स्वतंत्र सलाहकार पैनलों की नियुक्ति की गयी। इन सलाहकार पैनलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में अन्य बातों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मानकों और कोडों के अनुपालन में मौजूद अंतरालों की पहचान की गयी तथा संभावित नीतिगत कार्रवाई का सुझाव दिया गया। इन सलाहकार पैनलों की रिपोर्टों की समकक्ष समीक्षा इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा भी करायी गयी। इन स्वतंत्र समीक्षाओं द्वारा वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष मूल्यांकन को और अधिक सुनिश्चित किया गया है। भारत में वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली के संबंध में समिति की टिप्पणियां बॉक्स III.7 में दी गयी हैं।

6. पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षणात्मक नीति

3.104 वित्तीय संस्थाओं का पर्यवेक्षण विनियमन जैसा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विभिन्न विनियामक नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित होगा। वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण के प्रति पूरा ध्यान देने के लिए 1994 में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) का गठन किया गया। 2008-09 के दौरान बीएफएस द्वारा निपटाए गए कुछ प्रमुख मुद्दों में अन्य बातों के साथ-साथ धोखाधड़ी की निगरानी, बैंकों के विदेशी परिचालनों का पर्यवेक्षण, वित्तीय संगठनों का पर्यवेक्षण शामिल हैं (अनुबंध III.1 भी देखें)।

भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों का पर्यवेक्षण

3.105 वर्तमान में, भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालन का पर्यवेक्षण, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों, मोटे तौर पर भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के पर्यवेक्षण के बारे में गठित अनौपचारिक कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। बैंकों के विदेशी परिचालनों का पर्यवेक्षण करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जा रहे पर्यवेक्षण संबंधी विभिन्न साधन निम्नानुसार हैं।

परोक्ष निगरानी

3.106 बैंकों द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27(2) के तहत सात तिमाही डीएसबी(ओ) विवरणियां प्रस्तुत की जाती हैं। इन विवरणियों द्वारा प्राथमिक तौर पर विदेशी शाखाओं की स्थिति के वित्तीय पहलुओं को समाविष्ट किया जाता है यथा आस्तियां, देयताएं तथा तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर, संरचनागत चलनिधि, समस्यापूर्ण क्रेडिट और निवेश, बड़े एक्सपोजर, देश के एक्सपोजर तथा परिपक्वता, लाभप्रदता और धोखाधड़ी।

3.107 वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण और विनियमन के प्रभारी कार्यपालक निदेशक को संबोधित अर्धशासकीय पत्र द्वारा तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसमें विदेशी शाखाओं के कार्यों पर फोकस करते हुए तिमाही की गतिविधियां शामिल की जाती हैं। इसमें बैंकों को प्रभावित करने

बॉक्स III.7: भारत में वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली के संबंध में सीएफएसए की टिप्पणियां

वित्तीय संस्थाओं के स्थिरता मूल्यांकन और तनाव परीक्षण के आधार पर, सीएफएसए ने यह पाया कि भारत में वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली मोटे तौर पर सुदृढ़ है। जहां बैंक ऋण, चलनिधि और बाजार जोखिमों के कारण होने वाले बड़े आघातों को सामान्य तौर पर आत्मसात करने की स्थिति में थे, वहीं बैंकों के तुलनपत्रों में बढ़ती हुई अंतरलता के कारण चलनिधि जोखिम के संबंध में कुछ चिंताएं थीं। अतः इस बात की जरूरत है कि चलनिधि प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाए। आगे चल कर, तनाव परीक्षण अधिक व्यवस्थित आधार पर करने की जरूरत है ताकि दूसरे दौर की और संक्रमणकारी जोखिमों को पकड़ा जा सके।

वाणिज्य बैंकों का सरकारी स्वामित्व दुविधा उत्पन्न करता है क्योंकि यह दलील दी जाती है कि इससे भूमिकाओं और विनियामक परिहार के बीच टकराव उत्पन्न हो सकता है। समान स्तरीय विनियमन के माध्यम से हितों के टकराव की संभावना को न्यूनतम किया जा सकता है जैसी कि स्थिति भारत में है। साथ ही, भारतीय सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनःपूँजीकरण की लागत भी अपेक्षाकृत कम है।

अतीत में सरकार ने पूँजी अंशदान करने में हमेशा इच्छा दर्शायी है तथा अब तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वृद्धि पूँजी की कमी के कारण बाधित नहीं हुई है। परंतु भविष्य में इन बैंकों की पूँजी को बढ़ाना एक चुनौती बन सकती है। इसका प्रबंधन कई तरीकों से किया जा सकता है, यथा समामेलन जिसमें वाणिज्यिक सहक्रिया हो, नयी लिखतों (जैसे विदेशी मुद्रा में शाश्वत अधिमान शेयर जारी करने) के जरिए पूँजी जुटाना। यदि कोई अन्य विकल्प उपलब्ध न हो, तो सरकारी इक्विटी में चयनात्मक कमी के बारे में सोचा जा सकता है जिसके लिए वर्तमान कानून में संशोधन करना अपेक्षित होगा।

वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र में क्षमता निर्माण की जरूरत है जिसमें प्रशिक्षण, उत्तराधिकार आयोजना, पार्श्वक भर्ती तथा पारिश्रमिक में सुधार (विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए) पर बल दिए जाने के साथ एक उपयुक्त और संतुलित प्रोत्साहन ढांचे के माध्यम से अधिक जोखिम उठाने को हातोत्साहित करना शामिल है। भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश के लिए डब्ल्यूटीओ की वचनबद्धता और मानदंडों का अनुपालन करते हुए एक सुविचारित दृष्टिकोण का अनुसरण करने की जरूरत है। सीएफएसए ने प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने की सिफारिश करते हुए बैंकों के बाजार आधारित समेकन को प्रोत्साहित करने की सलाह दी है।

सीएफएसए ने यह नोट किया है कि संयोजन के संबंध में प्रतिस्पर्धा आयोग की शक्तियों के कारण बैंकों के समामेलन में देरी हो सकती है। साथ ही, प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 के कुछ प्रावधानों से विनियामक ओवरलैपिंग तथा आयोग और सांविधिक विनियामक प्राधिकरणों के बीच टकराव हो सकता है। सीएफएसए की राय में, केंद्र सरकार विनियामक टकराव टालने के लिए बैंकों के संबंध में प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 की धारा 54 के तहत आवश्यक छूट दे सकती है।

सीएफएसए जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता पूर्ण क्षेत्र मानती है तथा यह नोट करती है कि रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिचक्रीय विवेकपूर्ण मानदंडों का फायदा हाल में हुआ है। इसने उपयुक्त लेखांकन और प्रकटीकरण मानदंडों की बढ़ती अपेक्षा पर बल दिया है, विशेष रूप से डेरिवेटिव लेनदेनों तथा चलनिधि जोखिम के बेहतर प्रबंधन के संबंध में। इस संदर्भ में, उक्त रिपोर्ट में उस स्थिति में एक विशिष्ट पूँजी प्रभार निर्दिष्ट करने की सिफारिश की गयी है, यदि एक वाणिज्य बैंक द्वारा खरीदी गयी चलनिधि पर निर्भरता प्रवेश सीमा से अधिक हो रही हो।

वाले विनियामक ढांचे में परिवर्तन, मेजबान देश के विनियमनों का अनुपालन न किए जाने के ब्यौरे जिनमें उन परिस्थितियों का उल्लेख हो जिनके तहत अनुपालन में चूक हुई हो, व्यावसायिक माहौल, ऋण और नियंत्रण के क्षेत्रों, धोखाधड़ी/गंभीर अनियमितताओं की घटनाओं, लेखा-परीक्षा/निरीक्षण रिपोर्टों में उल्लिखित प्रमुख विशेषताओं तथा मामले को ठीक करने के लिए की गयी / करने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई जैसे क्षेत्रों को समाविष्ट किया जाता है।

3.108 कुछ मामलों में, भारतीय बैंकों की शाखाओं से संबंधित निरीक्षण रिपोर्टें / रेटिंग मेजबान देश के कुछ विनियामकों/पर्यवेक्षकों से प्राप्त होती हैं। बैंकों के अनुपालन अधिकारियों से भी यह अपेक्षित है कि वे विदेशी विनियामक उल्लंघनों की घटनाओं तथा संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट मासिक आधार पर अपने निदेशक मंडल तथा रिजर्व बैंक को किया करें तथा ऐसा उल्लंघन न होने पर भी एक शून्य रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया करें। भारतीय बैंकों के वित्तीय निरीक्षण के

दौरान, उनके विदेशी परिचालनों की जांच प्रधान कार्यालय में उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर की जाती है। रिजर्व बैंक प्रेस में सूचित गतिविधियों पर भी निगरानी रखता है।

प्रत्यक्ष निरीक्षण

3.109 रिजर्व बैंक आवश्यकतानुसार समय-समय पर विदेशी शाखाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण करता है। भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालन का वर्तमान पर्यवेक्षणात्मक ढांचा प्रमुख तौर पर परोक्ष निगरानी पर निर्भर है तथा प्रत्यक्ष निरीक्षण की प्रणाली का ब्यौरेवार उल्लेख औपचारिक तौर पर नहीं किया गया है। प्रत्यक्ष तथा तुलनपत्र बाह्य दोनों मद्दों के बढ़ते आकार और जटिलता को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जरूरत महसूस की गयी कि भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों से संबंधित वर्तमान पर्यवेक्षणात्मक और विनियामात्मक ढांचे की जांच की जाए। तदनुसार, 2008-09 में

वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में दो कार्यकारी दलों के गठन की घोषणा की गयी, एक कार्यकारी दल विधिक मुद्दों सहित विदेशी विनियामकों के साथ पर्यवेक्षणात्मक सहयोग तथा सीमापार पर्यवेक्षण के लिए उपयुक्त ढांचा अपनाने हेतु रूपरेखा तैयार करने से संबंधित था, तथा दूसरा परोक्ष रिपोर्टिंग प्रणाली सहित भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों के लिए विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक ढांचे की समीक्षा से संबंधित था।

3.110 दिसम्बर 2008 में, रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि यदि उनकी विदेशी शाखाएं तथा सहायक संस्थाएं ऐसा कोई कार्यकलाप कर रही हों जिसकी अनुमति बैंककारी विनियमन अधिनियम/पीएसबी के संबंधित कानून में न हो, तो उन्हें ऐसे कार्यकलाप करने के लिए रिजर्व बैंक/भारत सरकार से धारा 6(1)(एम) अथवा 19(1)(सी), जैसी स्थिति हो, के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही, उस स्थिति में रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा यदि इन शाखाओं अथवा सहायक संस्थाओं द्वारा सरल(प्लेन वैनिला) वित्तीय उत्पादों में लेनदेन किया जा रहा हो, भले ही ये उत्पाद भारतीय बाजार में उपलब्ध न हों तथा जिनके लिए रिजर्व बैंक द्वारा कोई विशिष्ट मनाही वर्तमान में न की गयी हो। तथापि, यदि वर्तमान विवेकपूर्ण मानदंड यह उल्लेख नहीं करते कि इन वित्तीय उत्पादों के साथ किस प्रकार का विवेकपूर्ण व्यवहार किया जाए तो बैंकों को रिजर्व बैंक से विशिष्ट दिशानिर्देश प्राप्त करना होगा। इन उत्पादों पर विवेकपूर्ण मानदंड लागू होंगे यथा पूंजी पर्याप्तता, ऋण एक्सपोजर, आवधिक मूल्यांकन तथा अन्य सभी प्रयोज्य मानदंड। बैंकों को इन एक्सपोजरों की रिपोर्ट रिजर्व बैंक को प्रस्तुत वर्तमान परोक्ष विवरणियों में भी करनी चाहिए। दूसरी ओर, बैंकों को उस स्थिति में रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए यदि उनकी शाखाएं अथवा सहायक संस्थाएं संरचनागत वित्तीय उत्पाद चलाने का प्रस्ताव करें। ऐसे मामलों में बैंकों को इन उत्पादों के पूरे ब्यौरे, जिनमें मेजबान देश के विनियामकों द्वारा विनियामक निर्धारण तथा ऐसे उत्पादों से निपटने के लिए शाखा/सहायक संस्था में मौजूद जोखिम प्रबंधन प्रणाली शामिल हों, रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करने चाहिए।

3.111 दिसम्बर 2008 में, रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि यदि बैंक भारतीय परिचालनों से संबंधित वित्तीय सेवाओं की अपतटीय

आउटसोर्सिंग का आश्रय ले रहे हों, तो उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि अपतटीय सेवा प्रदान करने वाला एक विनियमित संस्था हो, सुसंगत अपतटीय विनियामक न तो ऐसी व्यवस्था में रुकावट पैदा करेंगे तथा न ही वे रिजर्व बैंक के निरीक्षण दौरों/ बैंकों के आंतरिक और बाह्य लेखा-परीक्षकों के दौरों के प्रति आपत्ति उठाएंगे। साथ ही, अपतटीय स्थलों के विनियामक प्राधिकरण की पहुंच बैंक के भारतीय परिचालनों संबंधी आंकड़ों तक नहीं होनी चाहिए तथा अपतटीय स्थलों, जहां डेटा रखे जाते हैं, में स्थित न्यायालयों का क्षेत्राधिकार भारत में बैंक के परिचालनों तक सिर्फ इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि उनकी प्रोसेसिंग वहां की जा रही है (अपतटीय प्रोसेसिंग बैंक के गृह देश में किए जाने पर यह लागू नहीं होगा)। इसके अलावा, बैंकों को भारत में मूल रिकार्ड रखने चाहिए। अप्रैल 2009 में, बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे आउटसोर्सिंग संबंधी संविदाओं के ब्यौरे, आंतरिक/बाह्य लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा की निर्धारित आवधिकता, लेखा-परीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष तथा बोर्ड द्वारा की गयी कार्रवाई के ब्यौरे देते हुए वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करें।

समेकित पर्यवेक्षण तथा वित्तीय संगुट (एफसी) निगरानी प्रक्रिया

3.112 भारत में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यस्थों की निगरानी के बारे में गठित कार्यदल (संयोजिका : श्रीमती श्यामला गोपीनाथ) की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद जून 2004 से वित्तीय संगुट निगरानी प्रक्रिया लागू की गयी है। वर्तमान वित्तीय संगुट निगरानी प्रक्रिया के मूल रूप से दो प्रमुख घटक हैं - (i) तिमाही विवरणियां प्राप्त कर परोक्ष चौकसी तथा (ii) अन्य मूल विनियामकों के सहयोग से वित्तीय संगुट की प्रमुख संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ छमाही चर्चा। तिमाही रिपोर्टिंग प्रक्रिया में विनियमित संस्थाओं की बहियों में दिखायी दे रहे अंतर-समूह लेनदेनों और एक्सपोजरों (आइटीई) की निगरानी पर फोकस किया जाता है। अंतर-समूह लेनदेनों पर इसलिए निगरानी की जाती है ताकि 'हानियों' के अंतरण का पीछा किया जा सके, विनियामक/पर्यवेक्षणात्मक अंतरपणन की स्थितियों का पता लगाया जा सके तथा लम्बी दूरी के सिद्धांतों के अनुसार गैर-अनुपालन के संबंधी मामलों की पहचान की जा सके। आइटीई पर निगरानी रखने से गुप

के भीतर की संस्थाओं को, बाहरी प्रतिपक्षकारों को तथा विभिन्न वित्तीय बाजार खंडों (इक्विटी, ऋण, मुद्रा बाजार तथा डेरिवेटिव बाजार) को किए गए बड़े एक्सपोजरों के निर्माण का पीछा करने में भी मदद मिलती है।

वित्तीय संगुटों के पर्यवेक्षण के लिए हाल की पर्यवेक्षणात्मक पहलें

3.113 बीएफएस निदेशों के अनुसार, वित्तीय संगुटों के पर्यवेक्षण के लिए एक ढांचे की सिफारिश करने हेतु रिजर्व बैंक में एक आंतरिक दल का गठन किया गया। वित्तीय संगुट पर्यवेक्षण रिपोर्ट के अंग के रूप में आंतरिक दल द्वारा की गयी सिफारिशों की जांच बैंक में की गयी तथा अंतिम सिफारिशों विचारार्थ बीएफएस के समक्ष प्रस्तुत की गयीं। बीएफएस ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा उन्हें लागू करने के निदेश दिए हैं। आंतरिक दल द्वारा की गयी सिफारिशों दो उप शीर्षों के तहत समाविष्ट की गयी हैं - (i) बैंकों की अगुवाई वाले एफसी से संबंधित सिफारिशों तथा (ii) गैर-बैंकों की अगुवाई वाले एफसी से संबंधित सिफारिशों। जहां बैंकों की अगुवाई वाले एफसी पर लागू सिफारिशों के सेट का कार्यान्वयन रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक दिशानिर्देश/निदेश जारी करके किया जाएगा, अन्य एफसी के लिए रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं की तकनीकी समिति, जो एक अंतर-विनियामक मंच है, की सम्यक सहमति से सिफारिशों को लागू किया जाएगा।

3.114 उक्त दल ने एफसी के परिचालनों की स्पष्ट समझ विकसित करने की जरूरत पर बल दिया है, जिनमें शामिल हैं - उसके जोखिम प्रोफाइल में परिवर्तन, 'महत्वपूर्ण' अंतर्दल लेनदेन तथा जोखिम संकेंद्रण, जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की प्रभावकारिता तथा नियंत्रण प्रणालियों की गुणवत्ता। तदनुसार, उक्त दल ने प्रत्यक्ष और परोक्ष पर्यवेक्षण प्रक्रियाओं को, जिनमें बैंक विशिष्ट पर्यवेक्षण, 'बैंकिंग दल' का समेकित पर्यवेक्षण तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में एक अलग प्रभाग के भीतर अभिज्ञात एफसी का संगुट पर्यवेक्षण शामिल है, समन्वित करके बैंकिंग संगुटों के 'कड़े और सतत' पर्यवेक्षण की प्रणाली स्थापित करने की संस्तुति की है। दल द्वारा की गयी अन्य सिफारिशों में एफसी के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली और अभिशासन ढांचे पर गुरुतर/तीव्रतर बल दिए जाने पर फोकस किया गया है,

जिसमें 'उपयुक्त और उचित' सिद्धांतों को लागू करना, आइटीई से उत्पन्न जोखिम प्रबंधन और बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग दोनों संगुटों को समाविष्ट करते हुए ऋण संकेंद्रण शामिल हैं।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली और अभिशासन ढांचा

3.115 उक्त दल ने मोटे तौर पर समेकित पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुरूप बैंकिंग संगुटों के लिए एक संगुटव्यापी आधार पर पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन की संस्तुति की है। मूल बैंक/अग्रणी संस्था को एक अभिशासन ढांचा तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन दल उसके दलव्यापी कार्यकलापों, संसाधनों और जोखिमों के बारे में एक व्यापक राय बना सके। जहां दल ने उपयुक्त दलव्यापी अभिशासन ढांचा के बारे में निर्णय लेने की बात अलग-अलग एफसी तथा उनके प्रधान विनियामकों पर छोड़ दिया है, इसने ऐसी कतिपय उच्च स्तरीय सिद्धांतों की सिफारिश की है जिनका अनुपालन सर्वोत्तम प्रथाओं के अंग के रूप में संगुटों द्वारा किया जाना है। इस दल ने पर्यवेक्षकों के बीच वर्तमान कार्यकारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी सिफारिशों की हैं, जिनमें तिमाही विनियामक चर्चाओं के लिए प्रावधान शामिल हैं।

बैंकों में धोखाधड़ी की निगरानी की गतिविधि

धोखाधड़ी में शामिल मध्यस्थों के विरुद्ध बैंकों को सतर्क करना

3.116 हाल के वर्षों में बैंकों के खुदरा ऋण संविभाग में वृद्धि के साथ, इस खंड में सूचित धोखाधड़ियों में निरंतर वृद्धि हुई है। प्रवृत्ति के विश्लेषण से यह पता चला कि ऐसी धोखाधड़ियां काफी सीमा तक मध्यस्थों तथा तृतीय पक्ष के सेवाप्रदाताओं यथा वकीलों, मूल्यांकनकर्ताओं, सनदी लेखाकारों, सांविधिक लेखा-परीक्षकों, भू-संपदा एजेंटों, भू-संपदा डेवेलपर्स, बिल्डरों, भंडार मालिकों, मोटर वाहन डीलरों, कृषि उपस्कर डीलरों तथा यात्रा एजेंटों की मदद से की गयी थीं। बैंकों के हितों को खतरे में डालते हुए धोखाधड़ियों में मदद करने वाले ऐसे बेईमान मध्यस्थों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया कि बैंक आइबीए को ऐसी संस्थाओं के नाम बताएंगे ताकि आइबीए द्वारा सदस्य बैंकों के बीच

परिचालन के लिए एक सतर्कता सूची तैयार की जा सके। अब बैंक धोखाधड़ी में शामिल पेशेवरों सहित ऐसे मध्यस्थों के नाम आइबीए को प्रेषित करेंगे तथा ऐसा करने से पहले वे स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर लेंगे कि संबंधित तृतीय पक्ष शामिल था तथा उसे उसकी बात सुनने का अवसर प्रदान किया गया था। इस संबंध में बैंकों को सूचित किया गया है कि वे एक औपचारिक प्रक्रिया का अनुसरण करें तथा अनुसरण की गयी प्रक्रिया को उपयुक्त रूप से दर्ज किया जाना चाहिए।

धोखाधड़ियों के अधिक संकेंद्रण के कारण बहिर्वासियों के रूप में अभिज्ञात बैंकों के लिए विशेष निगरानी प्रक्रिया

3.117 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) ने यह निदेश दिया कि बहिर्वासी बैंकों के लिए एक 'विशेष निगरानी प्रक्रिया' लागू की जानी चाहिए। निदेशों के अनुसार, रिजर्व बैंक बहिर्वासी बैंकों की पहचान के लिए एक प्रक्रिया तैयार कर रहा है। इस प्रयोजन के लिए एक निश्चित अवधि के भीतर बैंकों में धोखाधड़ियों तथा धोखाधड़ियों के संकेंद्रण की घटनाओं की प्रवृत्ति को हिसाब में लेते हुए पहले सकल आधार पर "अवशिष्ट परिचालनात्मक जोखिम" का आकलन किया जाएगा। इसके बाद, की गयी वसूली, धोखाधड़ी में शामिल स्टाफ के विरुद्ध की गयी दंडात्मक कार्रवाई तथा धोखाधड़ी के संबंध में बैंक द्वारा उठाए गए अन्य कदमों को हिसाब में लेते हुए "निवल अवशिष्ट परिचालनात्मक जोखिम" ज्ञात करने के लिए इसे घटाया जाएगा। इसके अनुरूप, दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विशिष्ट रूप से "धोखाधड़ी जोखिम" तथा सामान्य रूप से "अवशिष्ट परिचालनात्मक जोखिम" के निर्धारण के प्रयोजन के लिए बैंकों में पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) करते हुए धोखाधड़ियों की घटनाओं को हिसाब में लिया गया है। इसके बाद, इस पहलू को बैंकों के साथ की जाने वाली तिमाही चर्चाओं तथा उनके साथ आयोजित एएफआई बैठकों में कवर किया जाएगा। इसी तरह, कैमैल्स (पूंजी, आस्ति, प्रबंधन, अर्जन, चलनिधि और प्रणाली) नामक रेटिंग ढांचे के प्रणाली तथा नियंत्रण घटक में सुसंगत मानदंडों में आवश्यक आशोधन किए जा रहे हैं जो एक बहिर्वासी अथवा धोखाधड़ियों की घटनाओं पर अनाधारित के रूप में बैंक की स्थिति तथा बैंकों की संबद्ध प्रणालियों

और नियंत्रणों की शक्ति/कमजोरी को दर्शाएगा। इन मानदंडों के आधार पर बैंकों को बहिर्वासी बैंक की श्रेणी में रखा जाएगा। उन्हें एक बार बहिर्वासी के रूप में श्रेणीबद्ध किए जाने पर, विनियामक प्रतिसाद, यदि कोई हो, के लिए रिजर्व बैंक को उन बैंकों से संबंधित सुसंगत जानकारी दी जाएगी।

करेंसी वितरण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं के बारे में गठित उच्चस्तरीय दल की रिपोर्ट

3.118 जुलाई 2008 में, उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल ने 500 रुपए तथा 1000 रुपए मूल्यवर्ग के जाली नोट बड़ी संख्या में जब्त किए। इस घटना द्वारा प्रस्तुत प्रणालीगत चिंताओं का समाधान करने के लिए, रिजर्व बैंक ने प्रणालियों और प्रक्रियाओं की अखंडता और दक्षता बढ़ाने के लिए तथा उपयुक्त उपाय सुझाने के लिए करेंसी नोटों के भंडारण और वितरण की वर्तमान व्यवस्थाओं की समीक्षा हेतु अगस्त 2008 में एक उच्चस्तरीय दल (अध्यक्ष : श्रीमती उषा थोरात) का गठन किया (बॉक्स III.8)।

धोखाधड़ी के मामले बंद करना - वर्तमान मानदंडों को शिथिल बनाना

3.119 बैंक रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जो नियमित आधार पर ऐसे मामलों की निगरानी करता है। बैंकों द्वारा ऐसे मामले तभी बंद किए जा सकते हैं जब सीबीआई/पुलिस/न्यायालय में लम्बित मामले पूरी तरह से निपटा दिए जाएं, स्टाफ की जवाबदेही पूरी हो जाए, जहां-कहीं बीमा संबंधी दावे हों उनका निपटान कर दिया जाए, धोखाधड़ी की राशि वसूल कर ली जाए अथवा उन्हें बट्टे खाते डाल दिया जाए तथा बैंक द्वारा प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा कर ली जाए, हेतुक कारकों की पहचान कर ली जाए, कमियों को दूर कर लिया जाए तथा संबंधित तथ्यों को उपयुक्त प्राधिकारी(बोर्ड/बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति) द्वारा प्रमाणित कर दिया जाए। समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया कि बैंकों को धोखाधड़ी के उन सभी पुराने मामलों को बंद करने की अनुमति दी जाए जिनमें सीबीआई/पुलिस द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण को छोड़कर उनके स्तर पर सभी कार्रवाइयां पूरी कर ली गयी हों अथवा जहां इन एजेंसियों द्वारा न्यायालय में मुकदमे दायर किए गए हों परंतु कई वर्षों से वे न्यायालयों में अभी भी लम्बित हों।

यह निर्णय लिया गया है कि सीमित सांख्यिकीय/रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए बैंकों को 25 लाख रुपए तक के धोखाधड़ी के उन मामलों को बंद करने की अनुमति दी जाएगी जिनमें अन्वेषण का कार्य जारी हो अथवा सीबीआइ/पुलिस द्वारा प्राथमिकी दायर किए जाने की तारीख से तीन वर्षों से अधिक समय तक न्यायालय में चालान/आरोप पत्र दायर न किया गया हो अथवा सीबीआइ/पुलिस द्वारा आरोप पत्र/चालान दायर किए जाने के बाद विचारण न्यायालयों (ट्रायल कोर्टों) ने कार्रवाई शुरू न की हो अथवा वह कुछ शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन प्रगति पर हो। तथापि, बैंकों को एक अलग प्रणाली में ऐसे सभी बंद मामलों से संबंधित सभी अभिलेख तब तक रखने होंगे जब तक उनका अंतिम निर्णय भारतीय विधिक प्रणाली द्वारा नहीं कर दिया जाता।

उसी संपत्ति के विरुद्ध आवास ऋणों का बहुल वित्तीयन

3.120 हाल में कई बैंकों ने अलग-अलग सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में उसी संपत्ति के बंधक के पंजीकरण के माध्यम से आवास ऋण के क्षेत्र में धोखाधड़ी की घटना सूचित की है। धोखाधड़ी करनेवालों द्वारा अपनायी गयी एक सर्वाधिक सामान्य कार्यप्रणाली बहुल वित्त प्राप्त करने के लिए उसी अचल संपत्ति के बारे में नकली हक विलेख प्रस्तुत करना है। इस संदर्भ में, विशिष्ट आवास/विकास परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए, आरआरबी सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित को शर्तों का एक अंग बनाएं : (i) बिल्डर/डेवलपर/ कंपनी उस बैंक (उन बैंकों) का (के) नाम पैम्फलेट/ब्रोशर में दर्शाएगा जिनके पास संपत्ति को बंधक रखा गया है, (ii) बिल्डर/डेवलपर/ कंपनी समाचार पत्रों/ पत्रिकाओं में विशेष योजना का विज्ञापन प्रकाशित करते समय बंधक संबंधी जानकारी देगा, तथा (iii) बिल्डर/डेवलपर/ कंपनी पैम्फलेट/ब्रोशर में यह दर्शाएगा कि वे फ्लैट/संपत्ति की बिक्री के लिए जरूरत पड़ने पर बंधक बैंक का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)/ अनुमति प्रस्तुत करेंगे।

सहायता संघ / बहुल बैंकिंग व्यवस्थाएं

3.121 'बहुल बैंकिंग व्यवस्था' के तहत ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने वाले उधारकर्ताओं के विरुद्ध सूचित किए जा रहे धोखाधड़ी संबंधी मामलों को देखते हुए, बैंकों को सूचित किया गया कि वे इस

प्रकार के धोखाधड़ी करने वालों के संबंध में जानकारी के आदान-प्रदान की व्यवस्था करें। उन सभी बैंकों को, जिन्होंने सहायता संघ/ 'बहुल बैंकिंग' व्यवस्थाओं के तहत किसी उधारकर्ता का वित्तपोषण किया हो, सामान्य रूप से सहमत रणनीति के आधार पर विधिक/ आपराधिक कार्रवाई के लिए, वसूली हेतु अनुवर्ती कार्रवाई के लिए, कार्यप्रणाली संबंधी ब्यौरों के आदान-प्रदान के लिए, रिजर्व बैंक को सूचित धोखाधड़ी संबंधी आंकड़ों/जानकारी में सुसंगति लाने के लिए समन्वित कार्रवाई करनी चाहिए। अधिमान्य तौर पर, समन्वय के प्रयास परिस्थितियों के अनुसार या तो उस बैंक द्वारा चालित होने चाहिए जो पहली बार धोखाधड़ी का पता लगाए अथवा उस बैंक द्वारा जिसका अधिकतम एक्सपोजर हो। साथ ही, सहायता संघ के नेता को इस मामले में रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार ग्राहकों के बचाव रहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों की निगरानी में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। जनवरी 2009 में यूसीबी को यह भी सूचित किया गया कि वे सहायता संघ/बहुल बैंकिंग व्यवस्थाओं के तहत उधार देते समय उचित जांच पड़ताल करें।

7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

3.122 एक ओर वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने में और दूसरी ओर कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र को ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का विशेष स्थान है। आरआरबी भी शून्य अथवा कम न्यूनतम शेष के साथ 'नो फ्रिल्स' खाते खोल रहे हैं तथा उन्हें यह सूचित किया गया है कि वे किसी प्रयोजन से जोड़े बिना ऐसे खातों में छोटी बेजमानती ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने की संभावना की तलाश करें। वे सामान्य प्रयोजन वाले क्रेडिट कार्ड भी जारी कर रहे हैं तथा उन्हें बीएफ और बीसी मॉडलों का उपयोग करते हुए वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में मध्यस्थों के रूप में गैर सरकारी संगठनों/ स्वयं सहायता समूहों/ व्यष्टि वित्त संस्थाओं/ तथा अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों की सेवाओं का उपयोग करने की भी अनुमति है। तीन वर्ष में कृषि क्षेत्र को बैंकों द्वारा ऋण का प्रवाह दुगुना करने के लिए जून 2004 में भारत सरकार द्वारा घोषित की गयी नीतियों के पैकेज में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के महत्व को समझते हुए, रिजर्व बैंक उन्हें सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ

बॉक्स III.8: मुद्रा वितरण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं के बारे में गठित उच्चस्तरीय दल की रिपोर्ट - सिफारिशों का सार

उक्त दल ने अगस्त 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ब्यौरेवार विचार-विमर्श करने तथा प्रमुख बैंकों, नोट छंटाई मशीनों (एनएसएम)/डेस्कटॉप सार्टरों के अग्रणी विनिर्माताओं तथा आपूर्तिकर्ताओं और मार्गस्थ नकदी (सीआइटी) कंपनियों के साथ अंतःक्रिया के बाद, उक्त दल ने मुख्यतः चार क्षेत्रों में सिफारिशों की यथा जाली नोटों को पता लगाने तथा संचलन में मौजूद नोटों की गुणवत्ता बनाए रखने को सुसाध्य बनाने के उपाय, नकदी धारण और वितरण संबंधी उपाय, सुरक्षा प्रणाली और प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के उपाय, तथा मानव संसाधन के विकास संबंधी उपाय।

जाली नोटों को पता लगाने तथा संचलन में मौजूद नोटों की गुणवत्ता बनाए रखने को सुसाध्य बनाने के उपाय

उक्त दल ने यह सिफारिश की कि जाली नोटों का शीघ्र पता लगाने के लिए चरणबद्ध रूप में सभी बैंक शाखाओं में एनएसएम/डेस्कटॉप सार्टर संस्थापित किये जाएं। एटीएम की फीडिंग के लिए बैंक 'कैसेट स्वैप' प्रणाली अपना सकते हैं। नए संस्थापित एटीएम में अंतर्निर्मित नोट डिटेक्टर हों। कुछ समय बाद यह अपेक्षा की जाए कि वर्तमान एटीएम में भी अंतर्निर्मित नोट डिटेक्टर लगाए जाएं। रिजर्व बैंक द्वारा एनएसएम के कार्य-निष्पादन मानदंडों को मानकीकृत किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थापित किए गए सभी एनएसएम में जाली नोटों का पता लगाने के लिए निर्धारित मानदंडों का अनुपालन किया गया हो। रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करे कि पुरानी शृंखलाओं के नोटों को वापस लेने की योजना का कार्यान्वयन बनाए गए नियम के अनुसार कड़ाई से किया जाए तथा अधिक सुदृढ़ सुरक्षा विशेषताओं वाले बैंक नोटों की नई शृंखलाएं यथाशीघ्र जारी की जाएं। रिजर्व बैंक नई सुरक्षा विशेषताओं के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों को भी सुकर बनाए। यदि कोई व्यक्ति पांच जाली नोट अनजान में किसी बैंक काउंटर पर प्रस्तुत करता हो, तो एफआइआर दायर करने संबंधी अपेक्षा को छोड़ दिया जाए। शाखा के पास एक सामान्य रिपोर्ट दायर की जाए जो बदले में इसे एफआइयू-आइएनडी/रिजर्व बैंक को प्रस्तुत जाली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर) में शामिल करेगी। जाली नोट बनाने और उसे वितरित करने में शामिल व्यक्तियों के साथ उचित रूप में निपटने के लिए रिजर्व बैंक प्रवर्तन एजेंसी की सहायता करने के साथ जाली नोटों का पता लगाने और उसे प्रकट करने के लिए लागू प्रोत्साहनों तथा गैर-प्रोत्साहनों की प्रणाली की समीक्षा करे।

नकदी धारण और वितरण संबंधी उपाय

रिजर्व बैंक सभी करेंसी चेस्टों के लिए उपयुक्त नकदी धारिता सीमाएं निर्धारित करे जिसके आगे नकदी को अनिवार्य रूप से बड़ी सीमावाले चेस्टों अथवा रिजर्व बैंक में रखा जाना चाहिए। रिजर्व बैंक का प्रत्येक कार्यालय लेनदेनों की मात्रा और उसके स्वरूप, चेस्ट तक पहुंच तथा सुरक्षा सहित अन्य कारकों के आधार पर अपने क्षेत्राधिकार में स्थित करेंसी चेस्टों की अपेक्षाओं की समीक्षा करे ताकि बेहतर सुरक्षा और दक्षता के लिए चेस्टों की संख्या युक्तियुक्त बनाई जा सके तथा वहां मौजूद सुविधाओं को अपग्रेड किया जा सके। बड़े पैमाने की किफायतों से मिलनेवाले फायदों का लाभ उठाने के लिए, बैंक शाखाओं में रातभर नकदी रखने की जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए तथा लाजिस्टिक्स संबंधी परिष्कृत

तकनीकों का लाभ उठाने के लिए बैंकों को मुद्रा प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे इस बात की अनुमति दी जाए कि वह प्रसंस्करण सेवाओं के लिए अन्य बैंकों से प्रभार वसूल कर सके। चूंकि वितरण से पहले नोटों की छंटाई करने के लिए सभी शाखाओं में एनएसएम संस्थापित किए जाने हैं, अतः बैंकों को इस बारे में आवश्यक निवेश करना होगा। ऐसे निवेशों की लागत बड़ी मात्रा में नकदी देनेवालों से वसूलने की जरूरत होगी। बैंक रिजर्व बैंक द्वारा पहले दी गई सलाह के अनुसार अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से नकदी हैंडल करने/प्रसंस्कृत करने से संबंधित इन प्रभारों के लिए एक पारदर्शी नीति तैयार करें। रिजर्व बैंक कार्डों तथा भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए पहल करे।

सुरक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने के उपाय

चेस्टों में सुरक्षा प्रदान करने तथा खजाने की आवाजाही के लिए रिजर्व बैंक विशेषज्ञ तथा समर्पित बलों/अन्य अनुमोदित एजेंसियों की सेवाएं प्राप्त करने की संभावनाओं की तलाश करे। रिजर्व बैंक इलेक्ट्रॉनिक बायो-मेट्रिक ऐक्सेस, बिनों की इलेक्ट्रॉनिक तालाबंदी, तथा क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) लगाकर चौकसी के जरिए करेंसी चेस्टों तथा रिजर्व बैंक के वॉल्टों में सुरक्षा प्रणालियों को अपग्रेड करने की संभावनाएं तलाशे। बेहतर चौकसी के लिए बैंक के नियंत्रक कार्यालय के क्षेत्राधिकार के भीतर चेस्टों में सीसीटीवी के नेटवर्किंग की संभावनाएं तलाशी जाएं। गंदे नोट विप्रेषित करनेवाली शाखा के ब्यौरों की बारकोडिंग सहित उनकी टैम्पर-प्रूफ थ्रिंक रैपिंग शुरू की जाए। नियंत्रक कार्यालय द्वारा करेंसी चेस्ट शाखाओं की तिमाही सुरक्षा लेखा-परीक्षा की प्रणाली शुरू की जाए। रिजर्व बैंक/आइबीए द्वारा व्यापक दिशानिर्देश/फार्मेट तैयार किया जाए। जोखिम की मात्रा के मूल्यांकन के लिए विभिन्न मानकों को हिसाब में लेते हुए बैंकों/ रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्टों के जोखिम आधारित निरीक्षण की प्रणाली शुरू की जाए। बैंक स्थानीय पुलिस के परामर्श से आकस्मिकता योजना/आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें। रिजर्व बैंक ऐसी संभावनाओं को तलाशे जिसमें मार्गस्थ अथवा चेस्ट में रखे बैंक नोटों में ऐसी व्यवस्था की जा सके जो हमले/डकैती/चोरी का प्रयास किए जाने पर स्वचालित रूप से सेल्फईकिंग/ मार्किंग के जरिये बैंक नोटों को खराब कर दे।

मानव संसाधन के विकास संबंधी उपाय

बैंक अपनी अंतरण मूल्यन नीति अथवा समतुल्य नीति को इस प्रकार आशोधित करें ताकि करेंसी चेस्ट रखने के कारण मिलनेवाले लाभ को उस शाखा को अंतरित किया जा सके जहां चेस्ट का रखरखाव किया जाता है। करेंसी चेस्टों में तैनात किए गए स्टाफ का रोटेशन सुनिश्चित किया जाए ताकि निहित स्वार्थ को और निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के गैर अनुपालन की गुटबंदी को रोका जा सके। विपथन और अनियमितताएं पाए जाने पर, जवाबदेही निर्धारित करने के बाद नियंत्रक कार्यालयों द्वारा तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाए। बैंक संवेदनशील तथा कुशल कार्यकलाप के रूप में करेंसी हैंडल करने के परिचालनों को स्वीकार करे तथा इस संबंध में आवश्यक प्रोत्साहन और प्रशिक्षण प्रदान करें।

उनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय करता रहा है। नये क्षेत्रों में उनके कारोबार परिचालनों का विविधीकरण सुकर बनाने के लिए कई पहलें भी की गयी थीं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में हाल ही की नीतिगत पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं - पुनःपूँजीकरण और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन, उदारीकृत शाखा लाइसेंसिकरण नीति और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनःपूँजीकरण और समामेलन

3.123 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन के माध्यम से समेकन की प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप 31 अगस्त 2009 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या गिरकर 84 रह गयी (जिसमें पुदुचेरी संघशासित क्षेत्र में गठित किया गया एक नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल है)। 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार ऋणात्मक निवल मालियत वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनःपूँजीकरण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है और 31 जुलाई 2009 की स्थिति के अनुसार 1,796 करोड़ रुपए की राशि के साथ 27 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पूरी तरह से पुनःपूँजीकृत हो चुके हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विस्तार के लिए शाखा लाइसेंसिकरण मानदंडों को उदार बनाना

3.124 वर्ष 2006-07 के लिए घोषित किये गये वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में की गयी घोषणा के अनुसरण में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं को लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया सरल बनाई गयी थी और उससे संबंधित कार्य 13 जून 2006 से क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित की गयी अधिकारप्राप्त समितियों को प्रत्यायोजित कर दिया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए शाखा लाइसेंसिकरण नीति को और उदार बनाने के लिए कतिपय उपाय किये गये। इन उपायों में अब तक कवर न किये गए जिलों में शाखाएं खोलने के लिए और सेवा शाखा / केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र / बैंक आफिस खोलने के लिए शर्तों में ढील देना शामिल थे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रमों को और गति प्रदान करने के उद्देश्य से तथा वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक नीतिगत वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गयी घोषणा के अनुसार, नई शाखाएं खोलने में क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंकों को पहले की अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन प्रदान किया गया है। यह लचीलापन उन्हें तभी तक मिलेगा जब तक कि वे नई शाखा/शाखाएं खोलने के लिए पात्र होने की निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों: (i) पिछले दो वर्ष के दौरान उसने एसएलआर और सीआरआर का निर्धारित स्तर बनाए रखने में कोई चूक न की हो और (ii) वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिचालनात्मक लाभ कमा रहा हो, उसकी निवल मालियत में सुधार दिखनी चाहिए और उसका निवल अनर्जक आस्ति अनुपात 8 प्रतिशत से अधिक न हो।

3.125 वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान, रिजर्व बैंक ने शाखाएं खोलने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 785 लाइसेंस प्रदान किये हैं, जिसमें से 734 शाखाएं खोली जा चुकी हैं। नये क्षेत्रों में उनके कारोबार परिचालनों का विविधीकरण सुसाध्य बनाने और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़, अर्थक्षम तथा स्व-समर्थ बनाने के लिए रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा की गयी विभिन्न नीतिगत पहलों ने अपने परिणाम दिखाने प्रारंभ कर दिये हैं। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक करेंसी चेस्ट खोलकर, एफसीएनआर(बी) जमाराशियां स्वीकार करके और एनआरई/एनआरओ खाते खोलकर, बीमा और म्यूच्युअल फंड उत्पादों के वितरण का एजेंसी कार्य प्रारंभ करके तथा लॉकर सुविधा उपलब्ध कराकर नये क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में निधीतर आय अर्जित कर रहे हैं।

3.126 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से तथा समग्र प्रणाली की वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में एवं वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गयी घोषणा के अनुसरण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने तुलनपत्र में 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी के अनुपात (सीआरएआर) के स्तर को प्रकट करें और उसके पश्चात हर वर्ष अपने तुलनपत्रों में 'लेखों पर टिप्पणियां' के अंतर्गत यह स्तर प्रकट करें। सीएफएसए (अध्यक्ष : डॉ. रakesh मोहन और सह अध्यक्ष : श्री अशोक चावला) ने इन संस्थाओं के समेकन के पश्चात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनःपूँजीकरण के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में सीआरएआर को चरणबद्ध रूप से लागू करने का सुझाव दिया है। अतः वर्ष 2009-10 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में पुनःपूँजीकरण

तथा सामेलन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए चरणबद्ध रूप में सीआरएआर लागू करने की घोषणा की गयी है। आरआरबी का सीआरएआर एक समयबद्ध रूप में कम-से-कम 9 प्रतिशत तक लाने के लिए, भारत सरकार ने एक समिति (अध्यक्ष : डॉ. के.सी.चक्रवर्ती) का गठन किया है, जो आरआरबी के सीआरएआर के वर्तमान स्तरों का अध्ययन करेगी तथा मार्च 2012 तक 9 प्रतिशत सीआरएआर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा का सुझाव देगी तथा तदनुसार यह भी सुझाव देगी कि आरआरबी के कारोबारी स्तर को देखते हुए उनके लिए अपेक्षित पूंजी ढांचा क्या होगा ताकि उनका सीआरएआर धारणीय हो और भविष्य की वृद्धि के लिए एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए प्रावधान हो। समिति द्वारा तीन महीनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की गयी है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रौद्योगिकी के उन्नयन के संबंध में कार्यदल

3.127 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बेहतर ग्राहक सेवाओं के लिए उचित प्रौद्योगिकी अपनाने और कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) में पदार्पण करने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से दिसंबर 2007 में एक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री जी. श्रीनिवासन) गठित किया गया था ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सीबीएस में पदार्पण हेतु एक रोडमैप तैयार किया जा सके। इस कार्यदल ने अगस्त 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस कार्यदल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कम्प्यूटरीकरण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और यह मत व्यक्त किया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बैंकिंग क्षेत्र में हो रही व्यापकस्तरीय प्रौद्योगिकीय गतिविधियों से अलग-थलग नहीं रह सकते और यह कि “सभी के लिए एक समान नीति” संबंधी दृष्टिकोण कार्य नहीं कर पाएगा। इस दल ने सुदूर क्षेत्रों में स्थित शाखाओं को बिजली प्रदान करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा के उपयोग की भी जांच की और सुझाव दिया कि यद्यपि सौर ऊर्जा इकाइयों की स्थापना में प्रारंभ में भारी लागत आएगी लेकिन सौर ऊर्जा से शाखाओं को बिजली प्रदान करने से मिलने वाले दीर्घावधि लाभों से इसे न्यायोचित ठहराया जा सकेगा। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सीबीएस में पदार्पण करने की दिशा में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए तय किया गया लक्ष्य सितंबर 2011 है तथा सितंबर 2009 के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा खोली जाने वाली सभी शाखाएं पहले

दिन से ही सीबीएस परिवेश में काम करने वाली होनी चाहिए। यह रिपोर्ट सभी प्रायोजक बैंकों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अप्रेषित कर दी गयी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मालिकों अर्थात् भारत सरकार, राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों के बीच सीबीएस परियोजना की निधीयन लागत के बंटवारे का मुद्दा नाबार्ड के परामर्श से जांचा-परखा जा रहा है।

आइसीटी आधारित समाधान लागू करने में अपने प्रारंभिक लागत के एक हिस्से का वहन करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के तौर-तरीकों की सिफारिश के लिए गठित कार्यदल

3.128 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए उपयुक्त विभिन्न वहन करने योग्य आइसीटी आधारित समाधानों का पता लगाने तथा लागत तत्व की पहचान करने एवं ऐसे आइसीटी समाधानों के निधीयन के तरीके और मानदण्डों की सिफारिश करने के लिए नवंबर 2007 में एक कार्यदल (अध्यक्ष : जी. पद्मनाभन) गठित किया गया। इस दल ने अगस्त 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समूह ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आवश्यकताओं की सूची निर्धारित करने के लिए उनके द्वारा वित्तीय समावेशन की पहलें शुरू करने में आ रही मौजूदा कठिनाइयों (वित्तीय और बुनियादी संरचनागत दोनों) की जांच की। इसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए जरूरी विभिन्न उपलब्ध प्रौद्योगिकीय विकल्पों और मॉडलों की भी खोज की। आइसीटी-समर्थित बनाने की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न लागत तत्वों का मूल्यांकन करने के पश्चात, समूह ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए आइसीटी समाधानों के वित्तपोषण में रिजर्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता के तौर-तरीके सुझाए। जनता के अभिमत के लिए अगस्त 2008 में समूह की यह रिपोर्ट रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाली गई। वर्ष 2009-10 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में यह घोषणा की गई कि वित्तीय समावेशन समिति द्वारा जिन जिलों में उच्चस्तरीय वित्तीय वंचन पाया गया है उनमें वित्तीय समावेशन हेतु आइसीटी समाधान अपनाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सहायता उपलब्ध कराने के तरीकों का पता नाबार्ड के परामर्श से लगाया जाएगा। जांच करने पर यह उपयुक्त महसूस किया गया कि आइसीटी का कार्यान्वयन सीबीएस के कार्यान्वयन के पहले करना होगा। आरआरबी में सीबीएस लागू करने के मामले पर प्रायोजक बैंकों के साथ बात की जा रही है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निवेश का वर्गीकरण

3.129 एसएलआर प्रतिभूतियों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निवेशों के संबंध में 'बाजार दर पर अंकित करने' के मानदंड से वित्त वर्ष 2007-08 तक उन्हें दी गई छूट एक और वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2008-09 के लिए बढ़ा दी गई है। तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह स्वतंत्रता रहेगी कि वे वित्त वर्ष 2008-09 के लिए बही-मूल्य आधार पर मूल्यन और प्रतिभूतियों की शेष अवधि के दौरान प्रीमियम, यदि कोई हो, के परिशोधन सहित 'परिपक्वता तक धारित' शीर्ष के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों के अपने समस्त निवेश संविभाग को वर्गीकृत कर सकें।

अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र

3.130 रिजर्व बैंक ने अगस्त 2009 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उनके बकाया अग्रिमों के 60 प्रतिशत से अधिक के लिए उनके प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के प्रति साझा जोखिम वहन करने के आधार पर 180 दिवसीय अवधि का अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दी। यह उन्हें उनकी अल्पावधि चलनिधि समस्याओं को दूर करने में सहायक होगी।

8. सहकारी बैंक

3.131 सहकारी बैंकिंग क्षेत्र, जिसमें शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) तथा ग्रामीण ऋण सहकारिताएं दोनों शामिल हैं, सबसे पुराना है हालांकि यह भारतीय बैंकिंग प्रणाली का कमजोर खंड है। यदि इन संस्थाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाया जाए तो व्यापक भौगोलिक क्षेत्र के कारण 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये महत्वपूर्ण साधन बनने की संभाव्यता रखते हैं। रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड ने हाल के वर्षों में यूसीबी तथा ग्रामीण ऋण सहकारिताओं के संबंध में विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं ताकि उन्हें वित्तीय सुदृढ़ता की दृष्टि से वाणिज्य बैंकों के समतुल्य किया जा सके।

शहरी सहकारी बैंक

3.132 हाल के वर्षों में यूसीबी क्षेत्र में लिए गए प्रमुख नीतिगत पहलों में विजन दस्तावेज - 2005 का कार्यान्वयन, वित्तीय पुनर्विन्यास तथा आस्ति देयता प्रबंधन के लिए पहल शामिल हैं।

विजन दस्तावेज - 2005

3.133 विजन दस्तावेज - 2005, जो रिजर्व बैंक द्वारा की गयी सबसे महत्वपूर्ण संरचनागत पहल है, का प्राथमिक उद्देश्य यूसीबी क्षेत्र के ऊपर रिजर्व बैंक तथा राज्य सरकारों के द्वैध विनियामक नियंत्रण के मुद्दे का समाधान करना है। दस्तावेज में की गयी सिफारिश के अनुरूप, भारत सरकार (बहु राज्यीय यूसीबी के लिए) तथा विभिन्न राज्य सरकारों (एकल राज्यीय यूसीबी के लिए) ने रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान विजन दस्तावेज के कार्यान्वयन में संतोषजनक प्रगति बरकरार रही। समझौता ज्ञापन पर रिजर्व बैंक के साथ उड़ीसा तथा झारखंड नामक दो और राज्यों तथा संघशासित क्षेत्र पुदुचेरी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों की कुल संख्या बढ़कर जुलाई 2009 के अंत तक 26 हो गयी (अध्याय V में बॉक्स V.1 भी देखें)।

3.134 विजन दस्तावेज की सिफारिश के अनुसरण में, समझौता ज्ञापनों के बाद शहरी सहकारी बैंकों के लिए राज्य स्तरीय कार्यबल (टीएफसीयूबी) का गठन किया गया ताकि संबंधित राज्यों में अर्थक्षम तथा गैर-अर्थक्षम यूसीबी की पहचान की जा सके तथा गैर-अर्थक्षम संस्थाओं के अविघटनात्मक निकासी का मार्ग तैयार करने के साथ अर्थक्षम यूसीबी के पुनर्जीवन के लिए समयबद्ध योजनाएं सुझायी जा सकें।

3.135 जून 2005 से उन सभी 26 राज्यों में, जिन्होंने रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, टीएफसीयूबी गठित किए गए हैं। रिजर्व बैंक द्वारा यूसीबी विलय प्रस्तावों को 'अनापत्ति' स्वीकृत किए जाने के लिए पारदर्शी तथा वस्तुनिष्ठ दिशानिर्देश जारी किए जाने से समेकन की प्रक्रिया को गति मिली है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य संबंधित यूसीबी द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया तथा सही अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट कर विलय की प्रक्रिया को कारगर बनाना है। विलय/समामेलन के प्रस्तावों पर विचार करते समय, रिजर्व बैंक जमाकर्ताओं के हितों तथा वित्तीय स्थिरता पर विचार करते हुए अपना अनुमोदन विलय के वित्तीय पहलुओं तक सीमित रखता है। जमाकर्ताओं के हितों तथा वित्तीय स्थिरता को ध्यान में

रखना इस तथ्य से स्पष्ट है कि विलय किए गए 71 यूसीबी में से, 50 (70.4 प्रतिशत) ग्रेड IV में थे जिसके बाद 9 यूसीबी ग्रेड III, 8 यूसीबी ग्रेड I में तथा 4 ग्रेड II में थे (बॉक्स III.9)।

ऋणात्मक निवल मालियत वाले यूसीबी

3.136 समूचे यूसीबी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से, 2005 से इस क्षेत्र में यूसीबी का विलय अथवा समामेलन चल रहा था। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, अधिग्राहक बैंक से यह प्रत्याशित है कि वह अपने स्तर पर अथवा राज्य सरकारों से प्राप्त प्रत्यक्ष वित्तीय समर्थन द्वारा अधिगृहीत बैंक की जमाराशियों को संरक्षित करे। तथापि जनवरी 2009 में, यह निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार ऋणात्मक निवल मालियत रखने वाले यूसीबी से संबंधित 'लेगैसी' के मामलों में, रिजर्व बैंक समामेलन की योजना पर भी विचार करे जिसमें निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) के तहत जमाकर्ताओं को भुगतान करने, अंतरिती बैंक द्वारा वित्तीय अंशदान तथा बड़े जमाकर्ताओं द्वारा बलिदान का प्रावधान है।

3.137 सुदृढ़ यूसीबी के साथ कमजोर तथा गैर-अर्थक्षम यूसीबी का विलय करने से हाल के वर्षों में गैर-अर्थक्षम यूसीबी के लिए अविघटनात्मक निकासी मार्ग प्रदान किया गया। तथापि, यह देखा गया है कि जहां - कहीं जमाराशि में बड़ी मात्रा में क्षय हुआ है, वहां वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़तर बैंक भी कमजोर बैंकों का अधिग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं। इस संदर्भ में, रिजर्व बैंक ने कुछ मानदंडों के अधीन ऋणात्मक निवल मालियत वाले यूसीबी के समाधान के लिए तथा जमा आधार में बड़ी मात्रा में क्षय के लिए एक अतिरिक्त विकल्प के तौर पर वित्तीय पुनर्विन्यास का सहारा लिया। इन मानदंडों के बारे में ब्यौरेवार चर्चा भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2007-08 में की गयी है।

पूंजी बढ़ाने के लिए नवोन्मेष विकल्प

3.138 रिजर्व बैंक यूसीबी के पूंजी आधार को सुदृढ़ करने में उनकी मदद करने के लिए कई संरचनागत पहल कर रहा है। इन पहलों के अनुरूप, 15 जुलाई 2008 को रिजर्व बैंक ने यूसीबी को अधिमान शेयर अर्थात् शाश्वत असंचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस),

शाश्वत संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस), मोचनीय असंचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस) तथा मोचनीय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस) जारी करने की अनुमति प्रदान की। एक अतिरिक्त लिखत के रूप में, यूसीबी को पांच साल से अन्यून न्यूनतम अवधि के लिए दीर्घावधि जमाराशियां जुटाने की भी अनुमति दी गयी। इसकी ब्यौरेवार चर्चा भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति की रिपोर्ट, 2007-08 में की गयी है।

नकदी आरक्षित अनुपात

3.139 रिजर्व बैंक ने वैश्विक वित्तीय संकट गहराने के साथ अक्टूबर 2008 से सीआरआर को क्रमिक रूप से घटाया। अनुसूचित यूसीबी (तथा अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों) के लिए नकदी आरक्षित अनुपात अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समान स्तर पर रखा गया है। 17 जनवरी 2009 से, यह अनुपात 5.0 प्रतिशत पर बना हुआ है।

3.140 जनवरी 2009 में, सीआरआर/ एसएलआर के प्रयोजन के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आइडीबीआई बैंक) लिमिटेड के साथ चालू खाते में रखी गयी शेष राशि की अपात्रता के संबंध में शहरी बैंकिंग क्षेत्र से प्राप्त अभ्यावेदनों को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने वर्तमान नीति की समीक्षा की तथा यूसीबी को यह सूचित किया कि वे चालू खाते में आइडीबीआई बैंक लिमिटेड के साथ उनके द्वारा जमा की गयी राशि की मात्रा तक, धारा 18 के तहत सीआरआर के रखरखाव के दायित्व से तथा धारा 24 (बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित) के तहत नकदी, स्वर्ण अथवा अभारग्रस्त अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में आस्तियों के रखरखाव के दायित्व से मुक्त हैं।

सांविधिक चलनिधि अनुपात

3.141 रिजर्व बैंक ने नवम्बर 2008 में गैर-अनुसूचित यूसीबी द्वारा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखे जाने वाले सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को निम्नानुसार संशोधित किया : (i) गैर-अनुसूचित टियर I यूसीबी को कहा गया कि वे 30 सितम्बर 2009 तक अपने एनडीटीएल के 7.5 प्रतिशत तथा 31 मार्च 2010 तक 15.0 प्रतिशत से अन्यून राशि सरकारी

बॉक्स III.9: यूसीबी क्षेत्र को समेकित और सुदृढ़ बनाना

विलय के प्रस्तावों को अनापत्ति देने के लिए पारदर्शी तथा वस्तुनिष्ठ दिशानिर्देश प्रदान कर कमजोर संस्थाओं का विलय सुदृढ़ संस्थाओं के साथ करने की प्रक्रिया के जरिए इस क्षेत्र में समेकन को गति प्रदान की गयी है। विलय/समामेलन के प्रस्तावों पर विचार करते समय, रिजर्व बैंक जमाकर्ताओं के हितों तथा वित्तीय स्थिरता पर विचार करते हुए अपना अनुमोदन विलय के वित्तीय पहलुओं तक सीमित रखता है। प्रायः हमेशा उन बैंकों का यह ऐच्छिक निर्णय होता है जो विलय के प्रस्ताव के लिए अनापत्ति प्राप्त करने हेतु रिजर्व बैंक से संपर्क करते हैं। विलय के बारे में बनाए गए दिशानिर्देशों द्वारा बैंकों के बीच विलय के लिए पूर्वापेक्षाओं तथा उपायों का उल्लेख कर प्रक्रिया को सुकर बनाना अभिप्रेत है।

यूसीबी के विलय के बारे में दिशानिर्देश जारी करने के उपरांत, रिजर्व बैंक को 113 बैंकों के बारे में विलय के लिए 128 प्रस्ताव प्राप्त हुए। रिजर्व बैंक ने 89 मामलों में अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया है। इनमें से 72 विलय सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस)/ संबंधित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) द्वारा सांविधिक आदेश जारी किए जाने पर प्रभावी हुए। रिजर्व बैंक ने विलय के 22 प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, चार प्रस्ताव बैंकों द्वारा वापस ले लिए गए तथा शेष 13 विचाराधीन हैं (सारणी 1 तथा 2)। जिन 72 बैंकों के लिए आरसीएस/ सीआरसीएस से विलय के आदेश प्राप्त हुए हैं, उनमें से 45 की निवल मालियत ऋणात्मक थी। लाभ कमाने वाले बैंकों को भी क्षेत्र के समेकन और सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से तथा कुछ मामलों में, जहां उन्हें दीर्घाविधि में स्टैंड-अलोन आधार पर अर्थक्षम नहीं पाया गया, विलय की अनुमति दी गयी।

सारणी 1: अधिग्राहक बैंकों के राज्यवार ब्यौरे
(सितंबर 2009 के अंत की स्थिति)

क्रम सं.	बहु-राज्य/ राज्य	अधिग्राहक बैंकों की संख्या	दिए गए प्रस्तावों की संख्या	जारी किए गए एनओसी की संख्या	वापस लिए गए प्रस्तावों की संख्या	विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या	अस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या
1	बहु-राज्य	13	61	46	2	4	9
2	महाराष्ट्र	18	30	16	-	5	9
3	गुजरात	6	14	11	1	1	1
4	आंध्र प्रदेश	7	8	6	-	2	-
5	कर्नाटक	3	4	3	-	-	1
6	राजस्थान	2	3	1	-	1	1
7	पंजाब	1	1	1	-	-	-
8	उत्तराखंड	2	3	2	1	-	-
9	मध्य प्रदेश	2	3	2	-	-	1
10	छत्तीसगढ़	1	1	1	-	-	-
	कुल	55	128	89	4	13	22

सारणी 2: लक्ष्य बैंकों के राज्यवार ब्यौरे
(सितंबर 2009 के अंत की स्थिति)

क्रम सं.	बहु-राज्य/ राज्य	लक्ष्य बैंकों की संख्या	दिए गए प्रस्तावों की संख्या	जारी किए गए एनओसी की संख्या	विलय किए गए बैंकों की संख्या	वापस लिए गए प्रस्तावों की संख्या	विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या	अस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या
1	बहु-राज्य	1	1	1	1	-	-	-
2	महाराष्ट्र	50	57	34	27	2	8	13
3	गुजरात	30	34	28	20	1	3	2
4	आंध्र प्रदेश	12	12	10	9	-	2	-
5	कर्नाटक	6	8	6	6	-	-	2
6	गोवा	1	1	1	1	-	-	-
7	राजस्थान	1	1	-	-	-	-	1
8	दिल्ली	1	1	-	-	-	-	1
9	पंजाब	1	1	1	1	-	-	-
10	मध्य प्रदेश	7	8	5	4	-	-	3
11	उत्तराखंड	2	3	2	2	1	-	-
12	छत्तीसगढ़	1	1	1	1	-	-	-
	कुल	113	128	89	72	4	13	22

और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखकर एसएलआर बनाएं रखें; (ii) टियर II में गैर-अनुसूचित यूसीबी को उनके

एनडीटीएल के 15.0 प्रतिशत तक वर्तमान एसएलआर अपेक्षा 31 मार्च 2010 तक बनाए रखने की अनुमति होगी; (iii) 31 मार्च

2011 से, सभी गैर-अनुसूचित यूसीबी को उक्त रूप में 25.0 प्रतिशत की एसएलआर अपेक्षा पूरी करनी होगी।

3.142 वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, एसएलआर अपेक्षा की गणना के लिए यूसीबी द्वारा डीसीसीबी/राज्य सहकारी बैंकों से, जिनके पास वे अपनी जमाराशियां रख रहे हैं, प्राप्त किए गए ऋण की राशि को जमाराशियों से घटा दिया जाएगा, चाहे ऐसी जमाराशियों पर ग्रहणाधिकार चिह्नित किया गया हो अथवा नहीं। तथापि, इस सूचना का अनुपालन करने में वेतन अर्जकों के सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्त की गयी कठिनाइयों को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने वेतन अर्जकों के सहकारी बैंकों के लिए इस सूचना के अनुपालन हेतु समयावधि 31 मार्च 2009 तक बढ़ा दी।

3.143 वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, टियर I यूसीबी को उनके एनडीटीएल के 15 प्रतिशत तक सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में एसएलआर का रखरखाव करने से मुक्त किया गया, बशर्ते वह राशि भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों और आइडीबीआई लिमिटेड सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास ब्याजवाही जमाराशियों के रूप में रखी गयी हो। यूसीबी तथा उनके संघों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि 1 अक्टूबर 2009 से छूट जारी रखी जाए, इस प्रकार की छूट एनडीटीएल के 7.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। साथ ही, यह छूट 1 अप्रैल 2010 से हटा ली जाएगी।

शाखा लाइसेंसिंग नीति को उदार तथा युक्तियुक्त बनाना

3.144 2008-09 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में की गयी घोषणा के अनुसरण में, रिजर्व बैंक ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में परिचालनरत सुप्रबंधित और वित्तीय रूप से सुदृढ़ यूसीबी के लिए शाखा लाइसेंसिकरण नीति को और उदार तथा युक्तियुक्त बनाया (बॉक्स III.10)।

आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण मानदंड

3.145 रिजर्व बैंक ने टियर II यूसीबी को सूचित किया कि वे सभी 'मानक आस्तियों' पर 0.40 प्रतिशत की एक समान प्रावधानीकरण अपेक्षा बनाए रखें, कृषि तथा लघु एवं मझौले उद्यम (एसएमई) को दिए गए प्रत्यक्ष अग्रिम इसके अपवाद होंगे, जिनके

लिए प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षा 0.25 प्रतिशत थी। इसकी तुलना में, टियर I यूसीबी से कहा गया कि वे सभी 'मानक आस्तियों' पर 0.25 प्रतिशत की दर पर न्यूनतर सामान्य प्रावधान करें।

3.146 2008-09 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में की गयी घोषणा के अनुसरण में, रिजर्व बैंक ने पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए जोखिम भारों की प्रयोज्यता हेतु आवास के लिए बैंक ऋणों के संबंध में सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर जून 2008 में 30 लाख रुपए कर दी। यह विनिर्दिष्ट किया गया कि ऐसे ऋणों पर 50 प्रतिशत का जोखिम भार होगा।

आस्ति देयता प्रबंधन

अनुसूचित यूसीबी

3.147 रिजर्व बैंक ने 2002 में अनुसूचित यूसीबी (सभी अनुसूचित यूसीबी टियर II यूसीबी हैं) के आस्ति-देयता प्रबंधन के बारे में ब्यौरेवार दिशा-निर्देश जारी किए। वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, 1-14 दिन तथा 15-28 दिन के कालखंडों के दौरान चलनिधि संबंधी बेमेल (ऋणात्मक अंतराल) संबंधित कालखंडों में नकदी बहिर्वाहों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। चलनिधि प्रबंधन की दक्षता के तीव्रतर आकलन के बारे में महसूस की गयी जरूरत को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे पहले कालखंड (1-14 दिन) को तीन कालखंडों अर्थात् अगले दिन, 2-7 दिन तथा 8-14 दिन में विभाजित करें। यह विवरण तैयार करते समय, बैंकों को सूचित किया गया कि वे समयबद्ध रूप में 100 प्रतिशत आंकड़ों की व्याप्ति सुनिश्चित करने के लिए समंजित और अपेक्षित प्रयास करें। साथ ही, यह भी सूचित किया जाता है कि अगले दिन, 2-7 दिन, 8-14 दिन तथा 15-28 दिन के कालखंडों के दौरान निवल संचयी ऋणात्मक बेमेल संबंधित कालखंडों में संचयी नकदी बहिर्वाहों के 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। ऐसा चलनिधि पर संचयी प्रभाव स्वीकार करने की दृष्टि से किया गया है। बैंकों को कहा गया है कि वे दैनिक आधार पर संरचनागत चलनिधि का विवरण तैयार करें, तथापि, रिजर्व बैंक को अब तक की तरह पाक्षिक आधार पर सूचित करना जारी रख सकते हैं।

बॉक्स III.10: यूसीबी के लिए शाखा लाइसेंसीकरण नीति का उदारीकरण

रिजर्व बैंक ने यूसीबी के लिए शाखा लाइसेंसीकरण मानदंडों को उदार तथा युक्तियुक्त बनाने के लिए कदम उठाए हैं ताकि वित्तीय रूप से सुदृढ़ यूसीबी को अपने शाखा नेटवर्क के विस्तार के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मई 2004 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में यह निर्दिष्ट किया गया था कि यूसीबी को नए लाइसेंस जारी करने पर यूसीबी के लिए व्यापक नीति, जिसमें इस क्षेत्र के लिए कानूनी और विनियामक रूपरेखा शामिल होगी तथा यूसीबी की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु एक नीति तैयार करना शामिल होगा, के बाद ही विचार किया जाएगा। इस घोषणा के बाद, यूसीबी को नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान करने पर रोक लगा दी गई। इसके पश्चात, 2007-08 के लिए वार्षिक नीति में यह निर्णय लिया गया कि उन बैंकों को नई शाखाएं / विस्तार पटल खोलने की अनुमति दी जाए, जो उन राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत और पंजीकृत हैं, जिन्होंने रिजर्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, अथवा कतिपय मानदंडों के अधीन बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम

2002 के अंतर्गत पंजीकृत हैं। 2008-09 के लिए वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, सहमति ज्ञापन वाले राज्यों में कार्यरत सुप्रबंधित तथा सुदृढ़ वित्तीय स्थिति वाले यूसीबी तथा बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत यूसीबी के लिए शाखा लाइसेंसीकरण के मानदंडों को उदार बनाया गया। रिजर्व बैंक ने कतिपय शर्तों के अधीन ऐसे यूसीबी को उनकी वार्षिक कारोबार योजना के आधार पर कार्य स्थल से इतर स्थान पर एटीएम सहित शाखा विस्तार के लिए अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया; इन शर्तों में निरंतर आधार पर 10 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखना तथा अन्य विनियामक सहूलियतें शामिल हैं।

वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए यूसीबी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कारोबार योजनाओं के आधार पर, 31 मार्च 2009 को 275 बैंकों को 402 शाखाएं, 23 विस्तार पटल, 21 ऑफ साइट एटीएम खोलने तथा 16 विस्तार पटलों को पूर्ण शाखाओं में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई।

गैर-अनुसूचित टियर II यूसीबी

3.148 चलनिधि, ब्याज दर और मुद्रा जोखिम संबंधी मुद्दों का कारगर समाधान करने के लिए, (अनुसूचित यूसीबी, जिनके लिए दिशा-निर्देश 2002 में जारी किए गए, के अलावा) सभी टियर II गैर-अनुसूचित यूसीबी से कहा गया कि वे आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणालियां शुरू करें। शुरुआती तौर पर, गैर अनुसूचित टियर II यूसीबी से कहा गया कि वे उनकी देयताओं और आस्तियों के कम-से-कम 60 प्रतिशत की व्याप्ति सुनिश्चित करें। शेष 40 प्रतिशत के लिए, गैर-अनुसूचित टियर II यूसीबी अपने अनुमानों के आधार पर स्थिति को शामिल कर सकते हैं। साथ ही, उन्हें अंतरिम लक्ष्य निर्धारित करना था ताकि 1 अप्रैल 2010 तक उनके कारोबार के 100 प्रतिशत को कवर किया जा सके। एएलएम प्रणाली स्थिर होने के बाद, गैर-अनुसूचित टियर II यूसीबी से कहा गया कि वे ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए अधिक परिष्कृत तकनीकों यथा ड्यूरेशन अंतराल विश्लेषण तथा सिम्यूलेशन और जोखिम पर मूल्य की ओर अंतरित होने के लिए स्वयं को तैयार रखें।

3.149 नकदी अंतर्वाहों तथा बहिर्वाहों के परिपक्वता ढांचे को ग्रहण करने के लिए, गैर-अनुसूचित टियर II यूसीबी से कहा गया कि वे शुरुआती तौर पर तिमाही आधार पर संरचनागत चलनिधि का विवरण तैयार करें। दिसम्बर 2008 से सूचना प्रणाली को पाक्षिक बना दिया गया। साथ ही, बैंकों से कहा गया कि वे सिर्फ रुपया

आस्तियों, देयताओं तथा तुलनपत्र बाह्य स्थितियों को ब्याज दर संवेदनशीलता संबंधी तिमाही विवरण में शामिल करें। इस संबंध में, गैर-अनुसूचित टियर II यूसीबी को सूचित किया जाता है कि वे 1 अप्रैल 2010 से मासिक रिपोर्टिंग प्रणाली आरंभ करें। 1-90 दिनों की समयावधि में गतिशील आधार पर अपनी चलनिधि पर निगरानी रखने हेतु बैंकों को समर्थ बनाने के लिए, प्रत्येक रिपोर्टिंग शुक्रवार को अल्पावधि गतिशील चलनिधि विवरण तैयार किया जाना चाहिए। गैर-अनुसूचित टियर II यूसीबी से कहा गया कि वे एएलएम विवरणों का ऐसा पहला सेट तैयार करें जिसमें एएलसीओ/सर्वोच्च प्रबंधन के लिए दिसंबर 2008 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार संरचनागत चलनिधि विवरण, ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण तथा अल्पावधि गतिशील चलनिधि विवरण शामिल हों।

टियर I यूसीबी का चलनिधि जोखिम प्रबंधन

3.150 रिजर्व बैंक ने सितम्बर 2008 में टियर I यूसीबी (सभी टियर I यूसीबी गैर-अनुसूचित यूसीबी हैं) के लिए आधारभूत चलनिधि जोखिम प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, टियर I यूसीबी को भविष्य के नकदी प्रवाहों का आकलन निम्नलिखित कालखंडों में करना पड़ता है, यथा, 1-14 दिन, 15-28 दिन, 29 दिन- 3 महीने, 3-6 महीने, 6 महीने-एक साल, 1-3 साल, 3-5 साल और 5 साल से अधिक। यूसीबी से यह

प्रत्याशित है कि वे बोर्ड के अनुमोदन से आंतरिक विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित कर सभी कालखंडों में अपने संचयी बेमेलों पर निगरानी रखें। साथ ही, सामान्य अनुक्रम में 1-14 दिन तथा 15-28 दिन के कालखंडों के बेमेल प्रत्येक कालखंड में नकदी प्रवाहों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। टियर I यूसीबी को कारोबारी प्रक्षेपणों तथा योजना प्रयोजनों हेतु अन्य वचनबद्धताओं के आधार पर अल्पावधि गतिशील चलनिधि संबंधी विवरण भी तैयार करना चाहिए। इन बैंकों से कहा गया कि वे दिसम्बर 2008 को समाप्त तिमाही से तिमाही आधार पर अलग विवरणियां तैयार करें।

स्वर्ण/चांदी के आभूषणों को गिरवी रखकर दिए गए अग्रिम

3.151 स्वर्ण/चांदी के आभूषणों की जमानत पर ऋणों एवं अग्रिमों की स्वीकृति से जुड़ी अंतर्निहित जोखिमों को कम करने के लिए, यूसीबी को सूचित किया गया कि वे अन्य बातों के साथ-साथ i) आभूषणों के स्वामित्व, ii) गिरवी रखे जाने वाले आभूषणों का उचित मूल्यन तथा मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यनकर्ता/श्राफ से कराने के संबंध में कुछ सुरक्षोपायों का अनुपालन करें।

करेंसी फ्यूचर्स लागू करना

3.152 रिजर्व बैंक ने 17 सितम्बर 2008 के अपने परिपत्र द्वारा यूसीबी को, जिन्हें प्राधिकृत व्यापारियों (श्रेणी I तथा II) के रूप में मान्यता थी, सिर्फ उनके अंतर्निहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों के हेजिंग के प्रयोजन के लिए सिर्फ ग्राहकों के रूप में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा मान्यताप्राप्त नामोद्दिष्ट करेंसी फ्यूचर्स एक्सचेंजों में भाग लेने की अनुमति प्रदान की।

यूसीबी के लिए रेटिंग मॉडल

3.153 यूसीबी तथा वाणिज्य बैंकों के बीच पर्यवेक्षणात्मक अभिसरण लाने के लिए, 31 मार्च 2009 से आरंभ निरीक्षण चक्र से रेटिंग मॉडलों को संशोधित किया गया। संशोधित रेटिंग मॉडल लागू होने के साथ, यूसीबी की ग्रेडेशन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। संशोधित कैमेल्लस रेटिंग मॉडल 100 करोड़ रुपए तथा अधिक की जमाराशि वाले यूसीबी पर लागू किया गया तथा उसका एक संशोधित सरलीकृत रूपांतर 100 करोड़ रुपए से कम जमाराशि

वाले यूसीबी पर लागू किया गया। यूसीबी का दर-निर्धारण कैमेल्लस के घटकों अर्थात् पूंजी, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, अर्जन, चलनिधि तथा प्रणाली और नियंत्रण के आधार पर 1 से 100 के पैमाने पर किया जाना था तथा उसे घटकों की रेटिंग के भारित औसत पर आधारित किया जाना था, यूसीबी को ए+से डी रेटिंग दिया जाना था।

अन्य बैंकों के पास जमाराशियां रखना तथा अन्य बैंकों की जमाराशियों को स्वीकार करना

3.154 रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों के पास (अंतर-बैंक) जमाराशियां रखने संबंधी यूसीबी की सीमा पिछले साल के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उनकी कुल जमाराशियों के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी। 20 प्रतिशत की इस सीमा में वाणिज्य बैंकों के पास रखी जमाराशियों में तथा अनुमत अनुसूचित यूसीबी में रखी जमाराशियों में धारित राशियां और वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) में किए गए निवेश की राशि शामिल थी। यूसीबी को सूचित किया गया कि अंतर-बैंक एक्सपोजर सीमा के भीतर, एक बैंक के पास रखी गयी जमाराशियां पिछले साल के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार जमाकर्ता बैंक की कुल जमा देयताओं के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा आइडीबीआई बैंक लिमिटेड के पास रखी गयी टियर I गैर-अनुसूचित यूसीबी की ब्याजवाही जमाराशियां, जो एसएलआर के पात्र थीं, को अंतर-बैंक एक्सपोजर सीमा पर विवेकपूर्ण सीमा से छूट दी गयी।

परिचालन क्षेत्र का विस्तार

3.155 2009-10 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में यह घोषणा की गयी कि रिजर्व बैंक अब से आगे सुदृढ़ एवं भलीभांति कार्य करने वाले एकल राज्य वाले टियर II यूसीबी (जो ऐसे राज्यों में पंजीकृत हों जिन्होंने रिजर्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हो) से परिचालन क्षेत्र का विस्तार संपूर्ण पंजीकरण राज्य तक करने के लिए प्राप्त अनुरोधों पर विचार करेगा। ऐसे आवेदनों पर विचार करते समय, बैंक में प्रचलित आंतरिक नियंत्रणों की प्रणाली तथा पर्यवेक्षणात्मक सुविधा को ध्यान में रखना होगा। टियर I बैंकों के संबंध में वर्तमान मानदंड लागू रहेंगे।

यूसीबी द्वारा लाभांश घोषित करना

3.156 मार्च 2009 के निरीक्षण चक्र से कैमेलस मॉडल पर आधारित यूसीबी के लिए संशोधित रेटिंग प्रणाली लागू करने के बाद, यूसीबी को रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना लाभांश घोषित करने की अनुमति दी गयी, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मानदंडों के अनुपालन की शर्त पर है, (i) निर्धारित सीआरएआर मानदंडों का अनुपालन, (ii) रिजर्व बैंक की अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट में किए गए मूल्यांकन के अनुसार सभी आवश्यक प्रावधान करने के बाद निवल अनर्जक आस्तियां 10 प्रतिशत से कम हों, (iii) जिस साल लाभांश देने का प्रस्ताव हो उस साल सीआरएआर/एसएलआर में कोई चूक न की गयी हो, (iv) निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्तियों, निवेशों तथा अन्य आस्तियों के लिए सभी अपेक्षित प्रावधान किए गए हों, तथा (v) लाभांश की अदायगी निवल लाभ में से तथा सभी सांविधिक प्रावधान एवं संचित हानियों का पूर्ण समायोजन करने के बाद की गयी हो। उक्त (ii) को छोड़कर अन्य सभी मानदंडों का अनुपालन करने वाले यूसीबी लाभांश की घोषणा की अनुमति हेतु रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश

3.157 30 जनवरी 2009 को, रिजर्व बैंक ने गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश के बारे में यूसीबी के लिए दिशा-निर्देशों को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया : (i) यूसीबी को सूचित किया गया कि गैर-एसएलआर निवेश पिछले साल की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल जमाराशियों के 10 प्रतिशत तक सीमित बने रहेंगे; (ii) यूसीबी को (क) 'ए' अथवा समतुल्य एवं उच्चतर रेटिंग वाले वाणिज्यिक पत्रों (सीपी), डिबेंचरों तथा बांडों, (ख) डेट म्यूच्युअल फंडों एवं मुद्रा बाजार म्यूच्युअल फंडों की इकाइयों में निवेश करने की अनुमति दी गयी; (iii) विशिष्ट प्रकार की लिखतों, अन्य बातों के साथ-साथ, शाश्वत ऋण लिखतों, गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों तथा ऋण एवं मुद्रा बाजार म्यूच्युअल फंडों से इतर म्यूच्युअल फंडों में निवेश पर प्रतिबंध लगाए गए; (iv) यूसीबी से कहा गया कि वे गैर-एसएलआर निवेशों के संबंध में जोखिम पकड़ने और उसका विश्लेषण करने के लिए तथा समय पर उपचारात्मक

उपाय करने के लिए उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली शुरू करें; तथा (v) अन्य बातों के साथ-साथ गैर-एसएलआर निवेश संबंधी कतिपय पहलू यथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कुल कारोबार, निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं का अनुपालन, तथा गैर-एसएलआर श्रेणी में अनर्जक निवेशों की सीमा।

यूसीबी का पर्यवेक्षण

3.158 सभी पर्यवेक्षणात्मक तथा विनियमात्मक विवरणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार करना तथा रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना सुकर बनाने के लिए यूसीबी के उपयोग हेतु एक परोक्ष चौकसी (ओएसएस) साफ्टवेयर तैयार किया गया (बॉक्स III.11)।

ग्रामीण ऋण सहकारिताएं

3.159 ग्रामीण ऋण सहकारी क्षेत्र में हाल में उठायी गयी नीतिगत पहलों का उद्देश्य लाइसेंसरहित संस्थाओं को समाप्त कर तथा इन संस्थाओं के पूंजी आधार को सुदृढ़ कर इस क्षेत्र को सुदृढ़ करना है। वर्ष (जुलाई 2008 से जून 2009) के दौरान सहकारी बैंकों को कोई नया बैंकिंग लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया। 30 जून 2009 को लाइसेंस प्राप्त राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) की कुल संख्या 89 पर अपरिवर्तित रही (जिसमें 14 राज्य सहकारी बैंक तथा 75 डीसीसीबी शामिल थे)। साथ ही, वर्ष के दौरान किसी राज्य सहकारी बैंक को रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के तहत दूसरी अनुसूची में शामिल करने के लिए अनुसूचित दर्जा नहीं दिया गया। इस प्रकार, अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों की कुल संख्या 16 बनी रही।

3.160 30 जून 2009 को, 5 राज्य सहकारी बैंकों तथा 110 डीसीसीबी ने अपने जमाकर्ताओं को पूरी राशि उसके लिए दावा किए जाने के समय अदा करने की अपनी क्षमता के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 22(3)(क) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया। साथ ही, 21 राज्य सहकारी बैंकों तथा 324 डीसीसीबी ने उक्त अधिनियम की धारा 22(3)(ख) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया क्योंकि इन बैंकों का कार्य इस रूप में किया गया जो उनके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकर था।

3.161 लाइसेंसिंग नीति के संबंध में, सीएफएस ने सहकारी क्षेत्र में सिर्फ लाइसेंस प्राप्त बैंकों द्वारा परिचालन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की जरूरत प्रकट की। इस समिति ने यह भी सुझाव दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा तैयार करने की जरूरत है कि जो बैंक 2012 तक लाइसेंस प्राप्त न कर सकें, उन्हें परिचालन की अनुमति न दी जाए। इससे समेकन तथा सहकारी क्षेत्र से गैर अर्थक्षम संस्थाओं को हटाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

तदनुसार, रिजर्व बैंक ने 2009-10 के लिए वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में यह घोषणा की कि नाबार्ड के साथ परामर्श करके एक अविघटनात्मक रूप में यह उद्देश्य प्राप्त करने हेतु रूपरेखा तैयार की जाएगी। नाबार्ड से परामर्श कराने के बाद यह निर्णय लिया गया कि उन बैंकों को लाइसेंस दिए जाएं जिन्होंने 7 प्रतिशत का सीआरएआर प्राप्त किया हो तथा पिछले दो क्रमिक वर्षों (अर्थात् 2007 एवं 2008) के दौरान सीआरएआर तथा एसएलआर में चूक (छिटपुट घटनाओं को छोड़कर) न की हो।

बॉक्स III.11: ओएसएस रिपोर्टिंग सिस्टम : शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के प्रभावी पर्यवेक्षण की ओर एक कदम

रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए परोक्ष निगरानी (ओएसएस) के रूप में एक विवेकपूर्ण पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग प्रणाली का विकास किया है ताकि विवेकपूर्ण हित के क्षेत्र में सूचनाएं प्राप्त की जा सकें तथा प्रबंधन सूचना आवश्यकताओं का निराकरण किया जा सके और यूसीबी के अंतर्गत एमआइएस क्षमता को मजबूत बनाया जा सके। यह प्रणाली तुलनपत्र पर सूचना तथा तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर, लाभ और लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता तथा क्षेत्र/घटकवार अग्रिमों के संकेद्रण सहित अनुपालन पर निगरानी रखने तथा विवेकपूर्ण हित के क्षेत्र में जानकारी जुटाने की दृष्टि से तैयार की गई है। इस रिपोर्टिंग प्रणाली का संपाश्विक उद्देश्य पर्यवेक्षी प्राधिकरण की विवेकपूर्ण चिंताओं के प्रति बैंकों के प्रबंधन को सुग्राही बनाना तथा इस प्रकार स्व-विनियमन में उनकी मदद करना है।

ओएसएस रिपोर्टिंग प्रणाली सबसे पहले अप्रैल 2001 में अनुसूचित यूसीबी पर लागू की गई जिसमें 10 ओएसएस विवरणियाँ थीं। बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए जाने वाले अपेक्षित आँकड़ों की मात्रा को कम करने के साथ-साथ उनसे प्राप्त जानकारी की गंभीरता को बढ़ाने के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने ओएसएस विवरणियों को युक्तिसंगत बनाया तथा मार्च 2004 से अनुसूचित यूसीबी के लिए उनकी संख्या दस से कम करके आठ कर दी (एक वार्षिक और सात तिमाही विवरणियाँ)।

साथ ही, अनुसूचित यूसीबी के लिए आरंभ किया गया आठ विवरणियों का सेट जून 2004 से उन टियर II गैर अनुसूचित यूसीबी पर भी लागू कर दिया गया जिनकी जमाराशि 100 करोड़ से अधिक थी तथा इसके बाद जून 2006 से उन गैर अनुसूचित यूसीबी पर लागू किया गया जिनकी जमाराशियाँ 50 करोड़ रुपए तथा 100 करोड़ रुपए के बीच थीं तथा जिनकी शाखाएं एक जिले से अधिक जिलों में थीं। जिन बैंकों की जमाराशियाँ 50 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये के बीच थीं तथा जिनका शाखा नेटवर्क केवल एक जिले तक सीमित था, उन पर जून 2006 के बाद से पांच विवरणियों (चार तिमाही और एक वार्षिक) का सरलीकृत सेट (सरलीकृत ओएसएस के रूप में पारिभाषित (एसओएसएस)) लागू किया गया। दिसंबर 2008 के बाद एसओएसएस टियर I यूसीबी पर लागू किया गया जिनकी जमाराशियाँ 50 करोड़ रुपये से कम थीं। इसके अलावा, ओएसएस विवरणियाँ उन टियर II यूसीबी पर लागू की गईं जिनकी जमाराशियाँ 50 करोड़ रुपये से कम थीं। इस प्रकार अब सभी यूसीबी ओएसएस प्रणाली के अंतर्गत कवर कर लिए गए हैं - टियर II यूसीबी के लिए आठ विवरणियों का सेट (ओएसएस) तथा टियर I यूसीबी के लिए पांच विवरणियों का सेट (एसओएसएस)।

प्रभावी ओएसएस प्रणाली के लिए कम्प्यूटरीकृत परिवेश पूर्वपिक्षा है। तदनुसार, रिजर्व बैंक द्वारा एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है ताकि यूसीबी द्वारा सीधे ओएसएस/

एसओएसएस विवरणियाँ और अन्य विनियामक/पर्यवेक्षी विवरणियाँ तैयार की जा सकें तथा इन्हें रिजर्व बैंक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जा सके। इस सॉफ्टवेयर से शहरी बैंक विभाग (यूबीडी) के क्षेत्रीय कार्यालय और केन्द्रीय कार्यालय में विश्लेषणात्मक रिपोर्टें भी तैयार की जाती हैं। इससे विकास समर्थन प्रणाली (डीएसएस) का विकास सुविधाजनक हो गया है जिसमें मानक और तदर्थ उत्पाद रिपोर्टें तैयार करने की क्षमता है।

यूसीबी के लिए सॉफ्टवेयर के निम्नलिखित लाभ हैं :

विवरणियाँ कम्प्यूटरीकृत परिवेश में तैयार करना और प्रस्तुत करना;

स्वचलित गणना तथा एक ही प्रकार के डेटा को बार-बार टंकित करने के दोहराव से बचाव तथा इस प्रकार आँकड़ों की गुणवत्ता में सुधार;

बैंक स्तर पर आँकड़े एकत्र करने से यूसीबी अपने आँकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं तथा अपने एमआइएस में सुधार ला सकते हैं और इससे स्व-विनियमन में सहायता मिलती है।

रिजर्व बैंक के लिए सॉफ्टवेयर के लाभ निम्नानुसार हैं:

यूसीबी की विवरणियों के लिए डेटा लोड करने में लगने वाला समय काफी कम होगा।

बैंकों द्वारा विवरणियाँ न भेजने अथवा विलंब से भेजने पर लगातार निगरानी रखी जा सकती है तथा ऐसे बैंकों के साथ समय पर अनुवर्ती कार्रवाई हो सकती है।

बैंकों के बेहतर निरीक्षण में सुविधा प्रदान करता है क्योंकि बैंक के निरीक्षण अधिकारियों के लैपटॉप में यह सॉफ्टवेयर लगाया गया है।

यूसीबी के आँकड़ों तक तुरन्त पहुँचा जा सकता है जिससे इन आँकड़ों के आधार पर विभिन्न रिपोर्टें तुरंत तैयार की जा सकती हैं।

आँकड़ों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विवरणी की आंतरिक, दूसरी विवरणियों से और विभिन्न समय पर क्रॉस चेकिंग। क्षेत्रीय कार्यालय में सॉफ्टवेयर के माध्यम से आँकड़ों की गुणवत्ता की भी जाँच इसी अवधि के परोक्ष आँकड़ों के साथ प्रत्यक्ष आँकड़ों की तुलना करके की जा सकती है क्योंकि निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष आँकड़े भी इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मासिक और तिमाही अंतराल पर पहले से चेतवनी देने वाली रिपोर्टें तैयार करने के माध्यम से और अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है जिसमें चलनिधि स्थिति में आरंभिक दबाव के संकेत मिलते हैं और यूसीबी की आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट, जमाराशि की तुलना में ऋण अनुपात तथा जमाराशियों और अग्रिमों में वृद्धि की जानकारी मिलती है।

लाइसेंस रहित राज्य सहकारी बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के मामले को पहले लिया गया तथा इस उद्देश्य के लिए नाबार्ड से अनुरोध किया गया कि वह उक्त मानदंडों का अनुपालन करने वाले राज्य सहकारी बैंकों की एक सूची प्रस्तुत करे। यह निर्णय लिया गया कि बाद में डीसीसीबी के बारे में भी नाबार्ड से इसी प्रकार के आंकड़े प्राप्त किए जाएं। साथ ही, नाबार्ड को उक्त मानदंडों का अनुपालन न करने वाले राज्य सहकारी बैंकों का निरीक्षण 31 मार्च 2009 की उनकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में प्राथमिकता के आधार पर करना था।

3.162 वर्तमान में, राज्य सहकारी बैंकों/डीसीसीबी पर सीआरएआर मानदंड लागू नहीं होते। तथापि, पूरी वित्तीय प्रणाली की प्रणालीगत स्थिरता के हित में तथा 2007-08 के लिए वार्षिक नीतिगत वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गयी घोषणा के अनुसरण में, सभी राज्य सहकारी बैंकों/डीसीसीबी को सूचित किया गया कि वे अपने तुलनपत्रों में 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार सीआरएआर का स्तर प्रकट करें तथा उसके बाद हर साल उनके तुलनपत्र में 'लेखा पर टिप्पणी' के रूप में इसे दर्शाया जाए। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि वे निर्धारित फार्मेट में पूंजी निधि तथा जोखिम आस्ति अनुपात दर्शाते हुए एक वार्षिक विवरणी रिजर्व बैंक / नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें। इस संबंध में, सीएफएसए ने पाया कि वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर पुनर्जीवन पैकेज के कार्यान्वयन के साथ इन संस्थाओं के लिए बासेल I के प्रति अंतरण पर विचार किया जा सकता है।

3.163 रिजर्व बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों तथा डीसीसीबी को बताया कि वे वाणिज्यिक भू-संपदा क्षेत्र को वित्त प्रदान करने से बचें क्योंकि ग्रामीण सहकारी बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यकलापों के लिए उधार देना है तथा संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर लेना अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के हित में नहीं होगा। इस क्षेत्र को पहले से प्रदान की गयी ऋण सुविधाओं के लिए, राज्य सहकारी बैंकों तथा डीसीसीबी से कहा गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार के एक्सपोजर भलीभांति सुरक्षित हों तथा अपेक्षानुसार वर्तमान विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हों। साथ ही, बैंकों को कहा गया कि वे ऋण सुविधाओं का नवीकरण न करें।

3.164 ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनर्जीवन पर गठित कार्यबल (अध्यक्ष : प्रो.ए.वैद्यनाथन) की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों के परामर्श से, भारत सरकार ने अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचा (एसटीसीसीएस) के पुनर्जीवन के लिए एक पैकेज को भी अनुमोदित किया।

9. वित्तीय बाजार

3.165 अपने नीति निर्धारणों के माध्यम से रिजर्व बैंक का यह प्रयास रहा है कि व्यापक आधार वाले, गहन और चलनिधि वाले वित्तीय बाजार विकसित हों। अस्थिरता की कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर 2008-09 के दौरान वित्तीय बाजार सामान्यतः स्थिर रहे। भारतीय वित्तीय बाजारों पर वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल का प्रभाव मुख्य रूप से घरेलू शेयर बाजारों में निवल पूंजी प्रवाहों में कमी और करेक्शन के रूप में था। भारतीय इक्विटी बाजारों से निधियां निकाल लेने और भारतीय इकाइयों को विदेशी निधियों की उपलब्धता में कमी के कारण घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार पर एक दबाव था। अग्रिम कर प्रवाहों और रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा बाजार परिचालनों के बढ़ने से मांग मुद्रा बाजार में कुछ अस्थिरता आई। तथापि, वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के अप्रत्यक्ष प्रभावों के संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया पूर्वक्रयात्मक चलनिधि प्रबंधन तथा बैंकों के सुदृढ़ तुलनपत्रों ने भारतीय वित्तीय प्रणाली में प्रतिपक्षी जोखिम के अभाव में अंशदान किया।

मुद्रा बाजार की गतिविधियां

3.166 पूरी अवधि के दौरान कतिपय उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत अंतर-बैंक मुद्रा बाजार सामान्य तौर पर कार्य कर रहा है। सामान्यतः, दैनिक भारित औसत मांग दर सितंबर तथा अक्टूबर 2008 की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर अधिकांशतः एलएएफ ब्याज दर के अनौपचारिक दायरे के भीतर बनी रही। मुद्रा बाजार के संपार्श्विकीकृत खंडों में ब्याज दरें तदनु रूप चलती रहीं, परंतु वर्ष के दौरान वे सामान्यतः मांग मुद्रा दर के नीचे बनी रहीं।

सरकारी प्रतिभूति बाजार की गतिविधियां

3.167 एक ओर केंद्र और राज्य सरकारों के बढ़े हुए बाजार उधार कार्यक्रम और दूसरी ओर उथल-पुथल भरे समय में निवेशकों के

लिए सुरक्षा को वरीयता के कारण वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल ने सरकारी प्रतिभूति बाजार को एक बार फिर से आगे ला दिया है। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूति बाजार का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। वर्ष के दौरान इस बाजार खंड में रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न नीतिगत उपायों में शामिल हैं: (i) नीलामी प्रक्रिया की दक्षता में सुधार लाना, (ii) अस्थायी दर वाले बांडों (एफआरबी) के लिए नया निर्गम ढांचा, (iii) स्ट्रिप्स को लागू करने के लिए परिचालनात्मक तैयारी, (iv) गैर चालू खातेदारों के लिए नई निपटान व्यवस्था, (v) ओटीसी रुपया ब्याज दर डेरिवेटिवों का समाशोधन और निपटान तथा (vi) रिपो लेखांकन मानदंडों को संशोधित करना। सरकारी प्रतिभूति बाजार की इन नीतिगत गतिविधियों का बैंकों की कार्यप्रणाली पर भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि बैंक सरकारी प्रतिभूति बाजार के सक्रिय सहभागी हैं।

ब्याज दर फ्यूचर्स बाजार

3.168 सुदृढ़ ब्याज दर फ्यूचर्स (आइआरएफ) बाजार विकसित करने की दृष्टि से, रिजर्व बैंक ने अगस्त 2007 में मुद्रा, विदेशी मुद्रा तथा सरकारी प्रतिभूति बाजारों के बारे में गठित टीएसी द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसरण में ब्याज दर फ्यूचर्स के बारे में एक कार्यदल (अध्यक्ष : श्रीवी.के.शर्मा) का गठन किया। टीएसी की अंतिम रिपोर्ट 8 अगस्त 2008 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाली गयी। वर्ष 2009-10 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में यह सूचित किया गया कि 10 वर्षीय सांकेतिक ब्याजवाही सरकारी बांड पर एक्सचेंज में ट्रेडिंग वाली आइआरएफ संविदा शीघ्र शुरू करने की आशा है। बाद में आरबीआइ-सेबी की एसटीसी को टीएसी की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों को लागू करने संबंधी कार्य सौंपा गया। समिति ने मई 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

3.169 इस रिपोर्ट में 10-वर्षीय सांकेतिक ब्याजवाही भारत सरकार प्रतिभूति फ्यूचर्स के लिए उत्पाद के डिजाइन, मार्जिन और स्थिति सीमाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस प्रतिभूति पर लागू सांकेतिक कूपन दर 7 प्रतिशत होगी जो छमाही रूप से चक्रवर्द्धित होगी। यह कोटेशन भारत सरकार प्रतिभूति के कोट किये गये मूल्य के समान होगा। अंतिम आधे घंटे की ट्रेडिंग के अभाव में शेअर

बाजारों द्वारा तय किया जाने वाला सैद्धांतिक मूल्य दैनिक निपटान मूल्य के रूप में माना जाएगा। शेयर बाजारों को सैद्धांतिक मूल्य को निकालने के मॉडल / पद्धति बताना होगा। यह संविदा मौजूदा निक्षेपागारों (एनएसडीएल और सीएसडीएल) और रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ) की इलेक्ट्रॉनिक बही प्रविष्टि प्रणाली का उपयोग करके सुपुर्दगी योग्य ग्रेडवाली प्रतिभूतियों की भौतिक रूप से सुपुर्दगी करके निपटायी जाएगी। ब्याज दर डेरिवेटिव संविदाएं मान्यताप्राप्त शेयर बाजार के करेंसी डेरिवेटिव खंड पर ही ट्रेड की जाएंगी। करेंसी/इक्विटी डेरिवेटिव खंड में ट्रेडिंग के लिए सेबी द्वारा पंजीकृत सदस्य ब्याज दर डेरिवेटिव में भी ट्रेड करने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वे ट्रेडिंग सदस्य के लिए 1 करोड़ रुपए की और समाशोधन सदस्य के लिए 10 करोड़ रुपए की तुलनपत्र की निवल मालियत अपेक्षा पूरी करते हों। आइआरएफ बाजार के क्षेत्राधिकार के एक दूसरे के क्षेत्र में आने से उत्पन्न होनेवाले मुद्दों, यदि कोई हों, के निराकरण के लिए सेबी-आरबीआइ की समिति की आवधिक रूप से बैठक होगी। अनुसरण के एक उपाय के रूप में, रिजर्व बैंक ने इस संबंध में 28 अगस्त 2009 को सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों, शहरी सहकारी बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और विनिर्दिष्ट अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को दिशानिर्देश जारी किए।

विदेशी मुद्रा बाजार की गतिविधियां

3.170 वित्तीय संकट के प्रभाव, जिसने 2008 के मध्य में स्थिति बिगाड़ दी थी, की अगुवाई में देश में पूंजी प्रवाहों की गति मंद हो गई। तथापि, बाह्य क्षेत्र ने मौजूदा वैश्विक वित्तीय संकट के सामने पर्याप्त आघात-सहनीयता दर्शायी, जिसका बड़ा श्रेय पूंजी खाता को खोलने की दिशा में अधिक सतर्क और सुविचारित दृष्टिकोण सहित वित्तीय वैश्वीकरण के प्रति देश के दृष्टिकोण को जाता है। भारत के नीतिगत प्रतिसाद अधिकांशतः भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक वित्तीय संकट के विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए बनाए गए हैं। सितंबर 2008 से रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण नीतिगत कदम अनिवार्यतः बाजार में डालर की बिक्री करके विदेशी मुद्रा चलनिधि सुधारने, बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा और एफसीएनआर (बी) तथा एनआर (ई)आरए जमाराशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमाएं बढ़ाने की दिशा में थे।

3.171 भारतीय कंपनियों और अर्थव्यवस्था को मिलने वाले लाभों को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों की परिपक्वतापूर्व पुनर्खरीद संबंधी नीति दिसंबर 2008 में उदार बनाई गई थी।

3.172 अक्टूबर 2008 में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I व्यापारी बैंकों को 25 प्रतिशत की मौजूदा उच्चतम सीमा की तुलना में पिछली तिमाही की समाप्ति पर उनकी अक्षत टियर I पूंजी के 50 प्रतिशत की सीमा अथवा 10 मिलियन अमरीकी डालर (अथवा इसके बराबर) की राशि (विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण के वित्तपोषण हेतु ली गयी उधार राशियों तथा पूंजीगत लिखतों को छोड़कर), जो भी अधिक हो, तक अपने प्रधान कार्यालय, विदेशी शाखाओं, संपर्कियों से निधियां उधार लेने और वोस्ट्रो खातों में ओवरड्राफ्ट की अनुमति दी गई थी।

3.173 अक्टूबर 2008 में इस बात की नमनीयता प्रदान की गई थी यदि उधारकर्ता चाहें तो वे अपनी बाह्य वाणिज्यिक उधारों की आगम राशि को समुद्रपार रख सकते हैं अथवा इसे विदेश में भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/सहायक संस्थाओं में रख सकते हैं अथवा इन निधियों को स्वीकार्य अंतिम उपयोगों हेतु उपयोग किए जाने तक भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के पास अपने रुपया खातों में जमा करने के लिए भारत को विप्रेषित कर सकते हैं।

3.174 यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि वोस्ट्रो खातों में कोई भी छिपे हुए ओवरड्राफ्ट नहीं हैं, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अगस्त 2008 में अनुमति दी गई थी कि वे 300 से आगे रुपया आहरण व्यवस्थाओं (आरडीए) के अंतर्गत अदाकर्ता शाखाओं को नामोद्दिष्ट कर सकते हैं बशर्ते ऐसी शाखाएं कोर बैंकिंग सोल्यूशन के तहत काम कर रही हों। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को नवंबर 2008 में पण्य डेरिवेटिव लेनदेनों से संबंधित भुगतान दायित्वों को कवर करने के लिए गारंटियां/आपाती साख-पत्र जारी करने की अनुमति दी गई थी।

3.175 अगस्त 2008 में रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को माल के आयात हेतु अपने आयातक ग्राहकों की ओर से बिना किसी सीमा के अग्रिम विप्रेषण करने की अनुमति दी। तथापि, 5,00,000 अमरीकी डालर अथवा इसके बराबर की राशि से अधिक

अग्रिम रूप से विप्रेषित करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के लिए अपेक्षित है कि वे बिना शर्तवाला, अविक्ल्पी आपाती साख-पत्र अथवा भारत के बाहर स्थित किसी ख्यातनाम अंतरराष्ट्रीय बैंक से गारंटी अथवा भारत के प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक की गारंटी प्राप्त करें, यदि ऐसी गारंटी भारत के बाहर स्थित किसी ख्यातनाम अंतरराष्ट्रीय बैंक की काउंटर गारंटी के विरुद्ध जारी की गई हो।

3.176 निर्यातकों को मिलनेवाली सुविधाएं उदार बनाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दृष्टि से, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अनुमति दी गई थी कि वे, माल पानेवाले को अथवा माल के अंतिम गंतव्य के देश में उसके निवासी एजेंट को, सीधे ही प्रति निर्यात लदान एक मिलियन अमरीकी डालर तक के अथवा उसके बराबर के पोतलदान प्रलेखों के प्रेषण के मामलों को नियमित कर सकते हैं, यदि निर्यात संबंधी आगम राशियों की पूर्णतः वसूली की गयी हो, यदि वह निर्यातक उस बैंक का कम से कम छह महीने से नियमित ग्राहक है और उस निर्यातक का खाता पूरी तरह से रिजर्व बैंक के विद्यमान केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों के अनुसार है तथा रिजर्व बैंक लेनदेन की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हो।

3.177 दिसंबर 2008 में, रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया था कि ग्राहकों के हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों के संबंध में बैंकों के निदेशक मंडल की नीति को अन्य ग्राहकों को कवर करने के अलावा छोटे और मझौले उद्यमों को कवर करना चाहिए। इसके अलावा, उन ग्राहकों के प्रति, जिनका कुल विदेशी मुद्रा एक्सपोजर अपेक्षाकृत काफी बड़ा (अर्थात् लगभग 25 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके बराबर) है, बड़े एक्सपोजर रखनेवाले बैंकों को एक उचित रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से मासिक आधार पर उन ग्राहकों के हेज न किये गए विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों की निगरानी और समीक्षा करनी चाहिए। एसएमई के हेज न किए गए एक्सपोजरों की समीक्षा भी मासिक आधार पर की जानी चाहिए।

3.178 मौजूदा प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाने के एक उपाय के रूप में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को निर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के अधीन हवाई जहाज/हवाई जहाज के इंजिन/हेलिकॉप्टर के आयात के संबंध में पट्टा चलाने के लिए विदेशी पट्टाकर्ता के पक्ष में कार्रवाई गारंटी जारी करने के लिए, ताकि उधारकर्ता बाह्य वाणिज्यिक उधार

जुटा सके, अचल आस्तियों, वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार निर्मित करने और विदेशी उधारदाता/प्रतिभूति न्यासी के पक्ष में कार्पोरेट या निजी गारंटियां जारी करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत 'अनापत्ति' सूचित करने के लिए अप्रैल 2009 में अनुमति दी गई थी।

3.179 मई 2009 में, बैंकों से कहा गया है कि वे नोस्ट्रो खातों में, 2,500 अमरीकी डालर और उससे अधिक या समतुल्य मूल्य की अलग-अलग बकाया नामे/जमा प्रविष्टियों के संबंध में समाधान करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को जारी रखें।

3.180 सेबी और विभिन्न बाजार सहभागियों के प्रतिनिधियों के परामर्श से आंतरिक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री सलीम गंगाधरन) की सिफारिशों की जांच करने के बाद, रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंकों को कतिपय शर्तों के अधीन सेबी द्वारा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों द्वारा स्थापित किये जाने वाले करेंसी डेरिवेटिव खंड का ट्रेडिंग/ समाशोधन सदस्य बनने की अनुमति दे दी। अगस्त 2008 में, भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को देश के करेंसी फ्यूचर्स बाजार में भाग लेने की अनुमति थी।

3.181 अप्रैल 2009 में, यह निर्णय लिया गया कि एनआर(ई)आरए और एफसीएनआर(बी) जमाराशियों वाले खातों में धारित निधियों की जमानत पर जमाकर्ताओं को अथवा तीसरी पार्टियों को ऋण देने की 20 लाख रुपए की मौजूदा उच्चतम सीमा को बढ़ाकर 100 लाख रुपए कर दिया जाए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे उपर्युक्त उच्चतम सीमा से बचने के लिए ऋण की राशि के नकली विभाजन का काम न करें।

10. बैंकों में ग्राहक सेवा

3.182 2008-09 के दौरान, अच्छी और दक्ष ग्राहक सेवा देने के प्रति बैंकों को जागरूक करके तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं और उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाने में बैंकों के निदेशक मंडलों की सहभागिता को प्रोत्साहित करके बैंकिंग क्षेत्र के ग्राहक सेवा आयाम पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बैंकों को और भी अधिक ग्राहकानुकूल बनाने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने एक पूर्ण-काय ग्राहक सेवा विभाग स्थापित किया है। रिजर्व बैंक ने बहु-भाषी वेबसाइट के

माध्यम से 'आम जनता के लिए' शीर्षक से विशिष्ट पेज में ग्राहक से संबंधित सभी अधिसूचनाएं और प्रेस विज्ञप्तियां रखकर बैंकों द्वारा ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण से संबंधित अनुदेशों/ मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रसार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। वाणिज्य बैंकों के ग्राहक भी इस वेबसाइट के 'हमसे संपर्क करें' विधि के माध्यम से अपनी शिकायतों और प्रश्नों के लिए रिजर्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल के यहां शिकायत करने के लिए एक शिकायत फार्म भी प्रारंभ किया गया है।

3.183 इसके अलावा, शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से, बैंकों से कहा गया है कि वे अपने क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों में नियुक्त किये गये संबंधित संपर्क (नोडल) अधिकारी के नाम दर्शाएं तथा उनके साथ उन अधिकारियों के नाम भी दर्शाएं जिनसे बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस), 2006 के प्रावधानों के अनुसार शिकायत निवारण के लिए संपर्क किया जा सकता है। बैंक यह सूचना अपनी वेबसाइटों पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं।

3.184 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1 जुलाई 2009 को ग्राहक सेवा के संबंध में एक विस्तृत मास्टर परिपत्र जारी किया गया था जिसमें विभिन्न मुद्दों को समाविष्ट किया गया था, जैसे, ग्राहक सेवा, जमाखातों का परिचालन, सेवा प्रभार लगाना, काउंटरों पर सेवा, सूचना का प्रकटीकरण, वृद्ध और अक्षम व्यक्तियों द्वारा खातों का परिचालन, दृष्टिबाधित व्यक्तियों को दी जानेवाली सुविधाएं, जमाखातों में अभिभावकत्व, विप्रेषण, ड्राप बॉक्स सुविधा, लिखतों की वसूली, चेकों को नकारना, शिकायतें निपटाना, गलत/धोखे से किये गये लेनदेनों के कारण गलत नामे प्रविष्टियां, सुरक्षित जमा लॉकर, नामांकन सुविधा, मृत जमाकर्ता/खोये हुए व्यक्ति से संबंधित दावों का निपटान, दावा न की गई जमाराशियां तथा अपरिचालित खाते, ग्राहक की गोपनीयता संबंधी दायित्व, शाखा में आंतरिक खाते का अंतरण, बैंक बदलना, सीबीडीटी अधिकारियों का समन्वयन, कार्यदलों / समितियों की सिफारिशों का कार्यान्वयन और बीसीएसबीआई की ग्राहकों के प्रति वचनबद्धता संहिता और उस संबंध में जारी किये गये अनुदेश।

3.185 वर्ष 2008-09 के दौरान बैंकिंग लोकपाल योजना संशोधित की गयी थी। इस योजना में किये गये प्रमुख संशोधन बॉक्स III.12 में दिये गये हैं।

3.186 धोखाधड़ियों की जोखिम घटाने के लिए अगस्त 2008 में बैंकों को (सितंबर 2008 में यूसीबी को) अनुदेश जारी किए हैं और उनसे कहा गया है कि यदि खाते में लगातार दो वर्ष या उससे अधिक समय से लेनदेन नहीं हो रहा है तो ग्राहक का पता-ठिकाना मालूम करने के लिए अधिक सक्रियता लाई जानी चाहिए। ऐसे खातों में परिचालन पर्याप्त सचेतना के बाद ही किए जाने चाहिए और बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे खातों को फिर से सक्रिय करने के लिए कोई शुल्क न लें। बैंकों को ऐसे खातों का उचित लेखा-परीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए और ब्याज वर्तमान अनुदेशों के अनुसार आवधिक अंतराल पर जमा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, बैंकों को सितंबर 2008 में (अक्टूबर 2008 में यूसीबी को) यह भी अनुदेश दिया गया था कि वे अवरोधित खातों पर ब्याज अदा करने के लिए जमाराशियों को पुनर्नवीकृत करें अथवा बैंक की नीति के अनुसार अतिदेय अवधि के लिए ब्याज अदा करें। ऐसी जमाराशियों का नवीकरण ग्राहकों को सूचना देते हुए संबद्ध

सरकारी विभागों को सूचित किया जाना चाहिए। प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अवरोधित बचत बैंक खातों के मामले में बैंक नियमित आधार पर ब्याज जमा कर सकते हैं।

3.187 बैंकों (यूसीबी सहित)/वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है कि प्रोसेसिंग से संबंधित प्रभारों/शुल्कों से संबंधित सभी सूचना अनिवार्य रूप से ऋण आवेदन फार्मों में दर्शायी जाए। इसके अलावा, बैंकों को चाहिए कि वे ग्राहक को 'कुल लागत' बताएं ताकि वह वित्त के अन्य स्रोतों पर प्रभारित की जाने वाली दरों से इसकी तुलना कर सके।

3.188 ऋण सूचना कंपनी(विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 21 की उप-धारा (2) में यह निर्दिष्ट किया गया है कि उप-धारा (1) में दर्शाए गए अनुसार अनुरोध प्राप्त होने पर प्रत्येक ऋण संस्था को उक्त विनियमों के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किए गए प्रभारों

बॉक्स III.12: बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 (बीओएस) का संशोधन

बैंकिंग लोकपाल योजना के कार्यान्वयन में 1 जनवरी 2006 से प्राप्त अनुभव के आधार पर रिजर्व बैंक के ग्राहक सेवा विभाग ने वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल योजना संशोधित की है। इस योजना में किए गए संशोधनों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

इंटरनेट बैंकिंग से उत्पन्न होने वाली कमियों को शामिल करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना का दायरा व्यापक बनाया गया। इस संशोधित योजना के अंतर्गत, उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता अथवा भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) द्वारा जारी की गई ग्राहकों के प्रति बैंकों की वचनबद्धता संहिता के प्रावधानों का बैंक द्वारा अनुपालन न करने के विरुद्ध भी ग्राहक शिकायत कर सकेगा। इसके अलावा, बैंकों द्वारा वसूली एजेंटों की सेवाएं लेने के संबंध में रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन भी विशेष रूप से इस योजना के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया गया है। तथापि, इस संशोधित योजना में कतिपय बैंकिंग लेनदेन जैसे कि बैंक गारंटी अथवा साख पत्र को सकारने में विफलता को शामिल नहीं किया गया है। बैंकिंग सेवाओं के इन क्षेत्रों से संबंधित शिकायतों की संख्या बहुत कम है।

यदि किसी भी ग्राहक को किसी बैंक के विरुद्ध शिकायत है तो वह उस बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकता है जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बैंक की वह शाखा स्थित है जिसके विरुद्ध उसे शिकायत है। कुछ बैंकों ने कतिपय लेनदेनों जैसे कि आवास ऋण और क्रेडिट कार्ड जैसे लेनदेनों को केंद्रीकृत कर दिया है। यदि ऐसे लेनदेन के संबंध में शिकायतें हैं, तो शिकायतें उस राज्य के बैंकिंग लोकपाल के यहाँ करनी होंगी जहाँ बैंक ग्राहक देय राशियों का बिल/विवरण प्राप्त करता है। इस संशोधित योजना के अनुसार क्रेडिट कार्ड परिचालनों से

उत्पन्न शिकायतों के मामले में बैंकिंग लोकपाल शिकायतकर्ता के बरबाद हुए समय, उसके द्वारा किए गए खर्चों के साथ-साथ उसे हुई परेशानी और झेली गई मानसिक तकलीफ को ध्यान में रखते हुए क्षतिपूर्ति का आदेश दे सकता है जो एक लाख रूप से अधिक नहीं होगा।

इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल के यहां शिकायत करने के फार्मेट को भी सरल बना दिया है। यद्यपि शिकायतकर्ता को किसी विशेष फार्मेट में शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, इस योजना में अब शिकायत करने के लिए आसानी से भरा जानेवाला फार्मेट दिया गया है, यदि शिकायतकर्ता उसका उपयोग करना चाहे तो वह उसका उपयोग कर सकता है। कानपुर, नई दिल्ली, चंडीगढ़, चेन्नै और तिरुवनंतपुरम स्थित बैंकिंग लोकपाल के क्षेत्राधिकारों को तर्कसंगत बनाया गया है ताकि बैंकिंग लोकपाल के तत्संबंधित कार्यालय से उन क्षेत्रों की भौगोलिक नजदीकियों को ध्यान में रखते हुए कतिपय क्षेत्रों को शामिल किया जा सके/निकाला जा सके। व्यापक प्रसार के लिए रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे इस बैंकिंग लोकपाल योजना की एक प्रति अपनी वेबसाइट पर रखें।

जहां-कहीं शिकायतों का एक माह के भीतर निपटारा नहीं होता है वहां संबद्ध शाखा/नियंत्रक कार्यालय से उसकी एक प्रति बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस) के अधीन संबंधित संपर्क अधिकारी को अग्रेषित करनी चाहिए और उसे इस शिकायत की वस्तुस्थिति के बारे में अवगत कराते रहना चाहिए। यदि ग्राहक बैंक के उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो संबंधित बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करने के उसके अधिकारों के प्रति उसे सचेत किया जाना सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया था कि शिकायत निवारण के संबंध में ग्राहक को भेजे जाने वाले अंतिम पत्र में बताया जाना चाहिए कि यदि वह शिकायत निवारण के बारे में बैंक के उत्तर या उसके द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो वह संबंधित बैंकिंग लोकपाल से भी संपर्क कर सकता है।

के भुगतान के अधीन ऋण सूचना की एक प्रति ऐसे व्यक्ति को देनी होगी। उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनायी गयी ऋण सूचना कंपनी विनियमावली, 2006 में रिजर्व बैंक ने पहले ही विनियम 12(3) में उक्त प्रयोजन के लिए अधिकतम 50 रुपए (पचास रुपए मात्र) का शुल्क निर्धारित किया है।

3.189 सरकारी कारोबार, मुद्रा प्रबंधन, विदेशी मुद्रा और ग्राहक सेवा के संबंध में गठित ग्राहक सेवा समिति (अध्यक्ष : श्री एच. प्रभाकर राव) की प्रमुख सिफारिशों का अनुपालन केंद्रीय कार्यालय के संबंधित विभागों द्वारा किया गया है और समिति की सिफारिश के अनुसार बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए ग्राहक सेवा उपायों से संबंधित फुटकर कार्यों का मसौदा रिजर्व बैंक के सरकारी बैंक और लेखा-विभाग द्वारा तैयार किया गया है।

3.190 नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) के तकनीकी समर्थन से प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और कारगर निवारण हेतु पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेस एण्ड मॉनिटरिंग सिस्टम (सीपीजीआरएएमएस) नामक एक पब्लिक पोर्टल विकसित किया है। यह प्रणाली ऑनलाइन शिकायतों का रिकार्ड रखेगी और उन्हें प्राप्त करेगी तथा विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई दर्शाते हुए उनका निवारण करेगी। भारत सरकार इस प्रणाली की निगरानी कर रही है। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक, बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय, रिजर्व बैंक, सिडबी, आइडीबीआई बैंक और नाबार्ड भारत सरकार द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के रूप में सूचीबद्ध किए गए हैं और उन्हें डीएआरपीजी पोर्टल को एक्सेस करने के लिए यूजरनेम और पासवर्ड दिया गया है ताकि वे बैंकों के विरुद्ध शिकायतों को ऑनलाइन निपटा सकें।

3.191 यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को जागरूक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि वित्तीय रूप से सोचे समझे निर्णय लेने के लिए ग्राहकों को शक्ति प्रदान की जाए और इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंक दस्तावेजों में भाषा सरल और समझने योग्य हो तथा सभी ग्राहक-बैंकर संबंधों में पारदर्शिता के मानदंडों का अनुपालन किया जाए। रिजर्व बैंक का ग्राहक सेवा विभाग वर्ष के दौरान क्रेडिट कार्ड, सेवा प्रभार, आवास ऋण (चुकौती विकल्प) और चेकों की वसूली के संबंध में ग्राहकों के अधिकार और दायित्व विषय पर चार पुस्तिकाएं प्रकाशित करेगा।

3.192 यूसीबी सहित बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सभी मौजूदा एटीएम/भावी एटीएम में ढालू सीढ़ी (रैम्प) बनवाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि पहिए वाली कुर्सी का उपयोग करनेवाले/अपंग व्यक्ति आसानी से उनका उपयोग कर सकें तथा ये व्यवस्थाएं इस प्रकार करें ताकि एटीएम की ऊँचाई से पहिए वाली कुर्सी का उपयोग करने वाले लोगों को इसके उपयोग में कोई समस्या पैदा न हो। इसके अलावा, बैंकों को चाहिए कि नए एटीएम में से कम-से-कम एक तिहाई एटीएम ब्रेल की-पैड सहित बोलने वाले एटीएम हों तथा अन्य बैंकों के साथ परामर्श करके उन्हें रणनीति के रूप में इस प्रकार स्थापित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ब्रेल की-पैड सहित बोलने वाला कम-से-कम एक एटीएम सामान्यतः दृष्टिबाधित व्यक्तियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रत्येक मोहल्ले में उपलब्ध रहे। बैंक बोलने वाले ऐसे एटीएम की स्थितियों से अपने दृष्टिबाधित ग्राहकों को भी अवगत कराएं।

बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालन

3.193 रिजर्व बैंक के साथ-साथ बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों के आधार पर बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालनों का एक अध्ययन प्रारंभ किया गया था। इस अध्ययन रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के आधार पर जुलाई 2008 में बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालनों के संबंध में उन्हें विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इनमें उक्त विषय के संबंध में रिजर्व बैंक के मौजूदा अनुदेशों तथा इस संबंध में बैंकों द्वारा की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाई के साथ अध्ययन रिपोर्ट की सिफारिशों का सारांश शामिल है।

3.194 बिना मांगे गए कार्ड जारी करने के संबंध में, बैंकों को सूचित किया गया था कि जिस व्यक्ति के नाम से कार्ड जारी किया गया है वह व्यक्ति बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकता है जो बीओएस, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, अर्थात् शिकायतकर्ता के समय की बर्बादी, किए गए खर्च, उसके द्वारा उठायी गयी परेशानी और मानसिक यातना के आधार पर, यह निर्धारित करेगा कि बिना मांगे गए कार्ड के प्राप्तकर्ता को बैंक द्वारा हर्जाने के रूप में कितनी राशि अदा करनी होगी। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसे बिना मांगे गए कार्ड के दुरुपयोग से उत्पन्न होनेवाली किसी भी हानि के लिए कार्ड जारी करनेवाला बैंक ही उत्तरदायी होगा तथा कार्ड पानेवाले को जिम्मेदार नहीं

ठहराया जा सकता। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि उन मामलों में, जहां उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड धारकों को बीमा कंपनियों के साथ मिलकर कोई बीमा सुरक्षा दी है, उन्हें चाहिए कि वे आकस्मिक निधन और विकलांगता लाभ के संबंध में बीमा रक्षा हेतु नामिती/नामितियों के विवरण क्रेडिट कार्डधारक से प्राप्त करें। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया था कि नामांकन संबंधी सुसंगत विवरण बीमा कंपनी द्वारा दर्ज कर लिए गए हैं। उन्हें क्रेडिट कार्डधारकों को एक पत्र जारी करने के बारे में भी विचार करना चाहिए जिसमें उस बीमा कंपनी का नाम, पता और टेलीफोन नंबर संबंधी विवरण दर्शाए गए हों जो बीमा कवर से संबंधित दावों को निपटाएगी।

राष्ट्रीय काल न करें रजिस्ट्री

3.195 ग्राहकों के पास आने वाली अवांछित मार्केटिंग कालों की संख्या घटाने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2007 और सितंबर 2008 में जारी परिपत्रों के माध्यम से बैंकों को सूचित किया था कि उनके द्वारा रखे जाने वाले सभी टेलीमार्केटियर अर्थात् प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट/प्रत्यक्ष विपणन एजेंट दूरसंचार विभाग (डीओटी) में पंजीकृत होने चाहिए।

विशद डिस्प्ले बोर्ड

3.196 वाणिज्यिक बैंकों को (अगस्त 2008 में) तथा (यूसीबी को सितंबर 2008 में) सूचित किया गया था कि वे अपने डिस्प्ले बोर्डों पर 'ग्राहक सेवा सूचना', 'सेवा प्रभार', 'शिकायत निवारण' तथा 'अन्य' के अंतर्गत अनुदेशों का वर्गीकरण करें। उपर्युक्त चार श्रेणियों से संबंधित केवल महत्वपूर्ण पहलू अथवा अनिवार्य अनुदेशों को ही विशद डिस्प्ले में दर्शाया जाना चाहिए, और विस्तृत सूचना पुस्तिका के रूप में उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा, बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने शाखा परिसर के बाहर 'कार्य दिवस, कारोबारी समय और साप्ताहिक अवकाश' जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रदर्शित करें। सितंबर 2008 में बैंकों को परामर्श दिया गया था कि एक नजर में वांछित सूचना प्राप्त करने में ग्राहकों को समर्थ बनाने के लिए ब्याज दरों और सेवा प्रभारों से संबंधित सूचना प्रदर्शित की जाए।

11. भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

3.197 वित्तीय प्रणाली के क्षमतापूर्वक कार्य करने के साथ-साथ मौद्रिक नीतिगत संकेतों के कारगर संचारण हेतु एक सुरक्षित और

दक्ष भुगतान और निपटान प्रणाली की आवश्यकता होती है। भुगतान एवं निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 दिसंबर 2007 में अधिनियमित किया गया था तथा यह अधिनियम और इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी विनियमावली 12 अगस्त 2008 से लागू हुए। यह अधिनियम देश में भुगतान प्रणालियों के विनियमन तथा पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व भारतीय रिजर्व बैंक पर डालता है। पीएसएस अधिनियम में केंद्रीय बोर्ड की एक समिति के गठन का प्रावधान है जिसे भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन एवं पर्यवेक्षण के लिए गठित बोर्ड (बीपीएसएस) के नाम से जाना जाएगा, जो इस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक को प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा कार्य निष्पादित करेगा और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तदनुसार, अधिनियम के तहत भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड विनियमावली, 2008 के अधिसूचित किए जाने के बाद बीपीएसएस का पुनर्गठन किया गया।

3.198 बीपीएसएस के निदेशों के तहत कार्यकलाप के प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं : (i) अधिनियम तथा अधिनियम के तहत बनायी गयी विनियमावलियों को अधिसूचित करना; (ii) पीएसएस अधिनियम के अनुसार विभिन्न भुगतान प्रणाली परिचालकों को प्राधिकार देना; (iii) मोबाइल बैंकिंग संबंधी लेनदेनों के लिए दिशानिर्देश; (iv) पूर्वप्रदत्त भुगतान लिखतें जारी करने और उनके परिचालनों के लिए दिशानिर्देश; (v) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों तथा बाहरी चेकों के लिए प्रभारों को युक्तियुक्त बनाना; (vi) बड़े मूल्य के भुगतानों का अधिक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक विधि में और अंतरण तथा एक अविघटनात्मक तरीके से उच्च मूल्य वाले कागज आधारित पृथक समाशोधन को बंद करना; (vii) विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित लिखतों सहित बैंकों की चेक वसूली नीतियों को कारगर बनाना; (viii) बैंकिंग सेवाएं दूरस्थ क्षेत्रों तक ले जाने के लिए उपग्रह संचार के उपयोग को प्रोत्साहित करना; तथा (ix) केंद्रीय प्रतिपक्षकारों को आरटीजीएस सदस्यता।

3.199 भारतीय रिजर्व बैंक को भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण संबंधी शक्तियों का प्रयोग करते समय भुगतान प्रणाली परिचालित करने वाली/ परिचालित करने का प्रस्ताव करने वाली संस्थाओं यथा केंद्रीय प्रतिपक्षकार, कार्ड कंपनियों, एटीएम नेटवर्क परिचालकों, सीमापार के तथा देशी मुद्रा अंतरण परिचालकों,

और पूर्वप्रदत्त कार्ड निर्गमकर्ताओं से कई आवेदन प्राप्त हुए। रिजर्व बैंक ने पीएसएस अधिनियम 2007, उसकी विनियमावली अर्थात् भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली 2008, तथा आंतरिक दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत इन आवेदनों की जांच की। अब तक तीस संस्थाओं को पीएसएस अधिनियम 2007 के तहत प्राधिकार स्वीकृत किया जा चुका है।

कागज आधारित समाशोधन और निपटान

3.200 कागज आधारित समाशोधन प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं : माइकर समाशोधन, गैर-माइकर समाशोधन और उच्च मूल्य के समाशोधन।

3.201 कागज आधारित प्रणालियों से इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में जाने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने हेतु रिजर्व बैंक ने उन प्रभारों को युक्तियुक्त तथा पारदर्शी बना दिया, जिनकी वसूली बैंक इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों के लिए ग्राहकों से कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी ओर से मार्च 2011 के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधियों के लिए प्रोसेसिंग प्रभार माफ कर दिया है। इसके प्रति, अप्रैल 2009 में बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे उच्च मूल्य (एचवी) समाशोधन में प्रस्तुत किए जाने के लिए पात्र चेक की राशि की प्रारंभिक सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दें तथा अगले एक वर्ष की अवधि में एक अविघटनात्मक रूप में इस योजना को क्रमिक तौर पर बंद कर दें। तब से 6 केंद्रों में उच्च मूल्य समाशोधन बंद कर दिया गया है तथा शेष सभी केंद्रों में प्रस्तुतीकरण के लिए आरंभिक सीमा बढ़ा दी गयी है। तथापि कागज आधारित लिखतों के लिए माइकर/गैर माइकर समाशोधन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

3.202 बैंकों की नीतियों को कारगर बनाकर चेक वसूली की समस्या के समाधान लिए कई पहलें की गयी हैं। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे चेक वसूली नीतियों (सीसीपी) को पुनर्निर्धारित कर उसमें स्थानीय एवं बाहरी चेक वसूली समयसीमा, वापसी समाशोधन के बाद निधियों के उपयोग, राज्यों की राजधानियों/प्रमुख शहरों/अन्य स्थानों पर आहरित चेकों की वसूली के लिए समयसीमा, तथा विलंब के लिए देय ब्याज दर को शामिल करें।

3.203 बाहरी चेकों की वसूली के लिए जून 2008 में 'स्पीड समाशोधन' लागू किए जाने से बाहरी चेकों की वसूली में लगने वाला समय 10-14 दिनों से काफी कम होकर स्थानीय समाशोधन के समतुल्य हो गया है तथा अब ग्राहकों को निधियां टी+1 तथा टी+2 आधार पर उपलब्ध हैं। 66 माइकर केंद्रों में से 53 में स्पीड समाशोधन उपलब्ध होने के साथ रिजर्व बैंक के 14 स्थलों पर अंतर-नगर समाशोधन बंद कर दिया गया है तथा अब वह सिर्फ गुवाहाटी में उपलब्ध है।

3.204 कागज आधारित समाशोधन प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए फरवरी 2008 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चेक छिन्नन प्रणाली (सीटीएस) लागू की गयी। इससे प्रस्तुतकर्ता शाखाओं/बैंकों से समाशोधन गृहों की ओर तथा अदाकर्ता बैंक/शाखाओं की ओर चेकों की आवाजाही तथा चेक खो जाने/चोरी हो जाने/उसमें हेराफेरी होने की जोखिम संबंधी समस्याओं का समाधान हो गया है। नयी दिल्ली बैंकर समाशोधन गृह के सभी सदस्य बैंकों द्वारा सीटीएस में शामिल हो जाने के साथ, 1 जुलाई 2009 से कागज आधारित पृथक समाशोधन बंद कर दिया गया है। सीटीएस में प्रस्तुतकर्ता बैंक और अदाकर्ता बैंक के लिए प्रत्येक लिखत पर 0.50 रुपया शुल्क लागू किया गया है, जबकि माइकर समाशोधन में प्रस्तुतकर्ता और अदाकर्ता बैंक दोनों से पहले प्रत्येक लिखत पर एक रुपया वसूला जाता था।

3.205 बैंक बाहरी चेकों की वसूली के लिए ग्राहकों से प्रभार वसूलते हैं। इन प्रभारों को युक्तियुक्त बनाने के लिए तथा पारदर्शिता लाने के लिए, रिजर्व बैंक ने निदेश जारी किया जिसके द्वारा 10,000 रुपए, 10,000 रुपए - 1,00,000 रुपए, तथा 1,00,000 रुपए से अधिक मूल्य के चेकों के लिए क्रमशः 50 रुपए, 100 रुपए तथा 150 रुपए के अधिकतम प्रभार निर्धारित किए गए हैं। इन प्रभारों में सेवा कर को छोड़कर सभी शामिल हैं।

3.206 चेक अभी भी भुगतान का प्रमुख माध्यम है, अतः एक अविघटनात्मक रूप में कागज आधारित प्रणालियों के परिचालन का विशेष महत्व है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुदृढ़ वित्तीय स्थिति वाले बैंकों की समाशोधन गृह की प्रत्यक्ष सदस्यता हो, रिजर्व बैंक ने समाशोधन गृह की सदस्यता के लिए मानदंड/अभिगम मानदंड निर्धारित किए हैं।

3.207 हर समय समाशोधन गृहों द्वारा अबाधित रूप में कार्य किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय समाशोधन कक्षों को उनके क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले समाशोधन गृहों के लिए कारोबार सातत्य योजना (बीसीपी) उपाय के रूप में कई अनुदेश जारी किए गए हैं।

3.208 विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित चेकों की वसूली में होने वाली देरी के प्रति कुछ समय से रिजर्व बैंक ध्यान दे रहा है। पारदर्शिता लाने के लिए, वसूली की प्रक्रिया तेज करने के लिए तथा ग्राहकों को तीव्रतर गति से निधियां उपलब्ध कराने के लिए, रिजर्व बैंक ने बैंकों को अनुदेश जारी कर उन्हें, अन्य बातों के साथ-साथ, निदेश दिया है कि वे अमरीकी डॉलर चेक वसूली योजना (प्रभारों सहित) को पारदर्शी तथा अपनी नियमित चेक वसूली नीति का अंग बनाएं। रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह भी सूचित किया कि वे सतत आधार पर अपनी नीति की समीक्षा करें और पारवहन अवधि बचाने के लिए यूएस चेक 21 सुविधा का लाभ उठाएं तथा शीघ्र वसूली के लिए सम्पर्की बैंकों के साथ प्रत्यक्ष जमा प्रक्रिया बनाएं।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली

3.209 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के अंतर्गत तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस), भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) द्वारा चालित प्रणालियों (सरकारी प्रतिभूति समाशोधन, विदेशी मुद्रा समाशोधन, और संपार्श्विकीकृत उधार लेने और देने संबंधी दायित्व) जैसी बड़े मूल्य वाली भुगतान प्रणालियां और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस/ईसीएस-जमा/नामे), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) तथा कार्ड आधारित भुगतान प्रणालियों जैसी फुटकर भुगतान प्रणालियां आती हैं।

बड़े मूल्य की इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली

तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस)

3.210 आरटीजीएस प्रणाली मार्च 2004 से कार्य कर रही है। इस प्रणाली का, जो अंतर-बैंक भुगतानों से संबंधित लेन-देनों के निपटान के साथ चालू हुई थी, दायरा बढ़ाकर ग्राहक लेन-देनों तक कर दिया

गया और सितंबर 2006 से मुंबई में समाशोधन हेतु बहुपक्षीय निवल निपटान, जिसमें सीसीआइएल द्वारा परिचालित प्रणालियां शामिल हैं, आरटीजीएस में किया जाता है। आरटीजीएस में भाग लेने वाली बैंक शाखाओं की संख्या में वृद्धि होने के साथ (सितम्बर 2009 के अंत में 60,000 से अधिक), आरटीजीएस का समय 10 जनवरी 2009 से ग्राहक तथा अंतर-बैंक लेनदेन दोनों के लिए 30 मिनट बढ़ा दिया गया।

3.211 कई संरचनागत समस्याओं के कारण भारत में कंपनी बांड बाजार का विकास अन्य वित्तीय बाजारों की तुलना में पीछे रह गया। ओटीसी कंपनी बांड लेनदेनों का निपटान सुपुर्दगी बनाम भुगतान (डीवीपी) - I आधार पर आरटीजीएस प्रणाली में सुकर बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि एक्सचेंजों के समाशोधन गृहों को रिजर्व बैंक के साथ अस्थायी समुच्चयन खाता रखने की सुविधा की अनुमति दी जाए। कंपनी बांड लेनदेनों का निपटान गैर-गारंटीकृत आधार पर किया जायेगा तथा इस प्रकार ऋण व्यवस्था (एलओसी) समर्थन प्रदान नहीं किया जाएगा, तथापि, निपटान में भाग लेने वाले बैंक रिजर्व बैंक से अंतर्दिवस चलनिधि (आइडीएल) समर्थन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

बाहरी विशेषज्ञ द्वारा आरटीजीएस का स्वमूल्यांकन और आकलन

3.212 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों के लिए निर्धारित मूल सिद्धान्तों की तुलना में भारत में आरटीजीएस प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए, एक स्वमूल्यांकन किया गया तथा सीएफएसए की रिपोर्ट के अंग के रूप में उसे प्रकाशित किया गया। इस मूल्यांकन के अनुसार, भारत में आरटीजीएस प्रणाली में छः मूल सिद्धान्तों का पूरा तथा ऋण एवं चलनिधि जोखिम के प्रबंधन, परिचालनात्मक विश्वसनीयता तथा दक्षता संबंधी तीन मूल सिद्धान्तों का मोटे तौर पर अनुपालन किया गया है। एक मूल सिद्धान्त आरटीजीएस प्रणाली पर लागू नहीं है।

3.213 रिजर्व बैंक ने स्विस नेशनल बैंक से विशेषज्ञों के एक दल द्वारा आरटीजीएस प्रणाली का बाह्य मूल्यांकन भी कराया, जिन्होंने अप्रैल 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन विशेषज्ञों की राय थी कि भारत में आरटीजीएस प्रणाली में दक्षता को छोड़कर सभी मूल

सिद्धान्तों का अनुपालन किया गया है। इसका मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा नहीं किया जा सका क्योंकि यह प्रणाली प्रतिभागियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रही थी। इस मूल सिद्धान्त के अनुपालन के लिए उक्त दल द्वारा की गयी सिफारिशें इस प्रकार हैं - अगले 5 से 10 वर्षों में एक रणनीति तथा परियोजना व्यवसाय गतिविधि तैयार करना, तीसरे पक्ष के विक्रेताओं के साथ संबंध की निगरानी करना तथा आरटीजीएस प्रणाली के सभी पहलुओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के लिए कारगर सुरक्षोपाय सुनिश्चित करना, लागत लाभ विश्लेषण करना, तथा भुगतान सेवाओं का उपयुक्त मूल्यन।

खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली

3.214 खुदरा भुगतान प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (एनईसीएस/ईसीएस-जमा/नामे), एनईएफटी तथा एटीएम नेटवर्क सहित कार्ड आधारित भुगतान प्रणाली शामिल हैं।

3.215 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (ईसीएस) की नामे तथा जमा दोनों क्षेत्रों में हुई वृद्धि को वर्ष के दौरान बनाए रखा गया है। ईसीएस की व्याप्ति 5 और केंद्रों में बढ़ा दी गयी है तथा अब वह 75 केंद्रों में उपलब्ध है। निपटान चक्र पूरे देश में पहले के टी+3 से घटाकर टी+1 कर दिया गया है। ईसीएस की भौगोलिक व्याप्ति को ईसीएस के वर्तमान केंद्रों के आगे ले जाने के लिए तथा केंद्रीकृत प्रसंस्करण क्षमता लाने के लिए, 29 सितंबर 2008 से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) शुरू की गई। एनईसीएस एक राष्ट्रव्यापी प्रणाली है जो सदस्य बैंकों के सीबीएस पर आधारित है। सितम्बर 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार, लगभग 30,780 शाखाओं सहित 114 बैंकों ने एनईसीएस में भाग लिया।

3.216 एनईएफटी प्रणाली नवंबर 2005 में लागू की गई। 7 जुलाई 2008 से एनईएफटी लेनदेनों के निपटान के समय को डेढ़ घंटा बढ़ा दिया गया। अब एनईएफटी सप्ताह के दिनों में 09 00 बजे से 17 00 बजे तक 09 00, 11 00, 12 00, 13 00, 15 00 तथा 17 00 बजे निपटान के साथ तथा शनिवार को 09 00, 11 00 तथा 12 00 बजे 3 निपटान के साथ उपलब्ध है। सितम्बर 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार 61,000 से अधिक शाखाओं के साथ 91 बैंक एनईएफटी में भाग ले रहे हैं।

3.217 ईसीएस/एनईसीएस/एनईएफटी में लेनदेनों को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों के लिए 31 मार्च 2010 तक प्रसंस्करण प्रभार माफ कर दिए गए हैं। बैंकों द्वारा ग्राहकों से वसूले जाने वाले प्रभारों को युक्तिसंगत भी बना दिया गया है तथा एनईएफटी के लिए 1.00 लाख रुपए तक तथा 1.00 लाख रुपए से अधिक मूल्य के लेनदेन के लिए अधिकतम प्रभार क्रमशः 5 रुपए तथा 25 रुपए है।

3.218 भारत में बड़ी संख्या में आए नेपाली प्रवासी कामगारों को नेपाल में उनके परिवारों/ संबंधियों को धन भेजना सुकर बनाने के लिए, भारत और नेपाल के बीच एक औपचारिक विप्रेषण प्रणाली 15 मई 2008 से आरंभ की गयी। योजना की कम मात्रा को देखते हुए, 9 फरवरी 2009 से सेवा प्रभार संशोधित किया गया तथा अधिकतम प्रभार 75 रुपया कर दिया गया। साथ ही, शाखाओं को सूचित किया गया है कि वे नेपाली प्रवासियों के बीच योजना के बारे में जागरूकता पैदा करें।

कार्ड आधारित भुगतान प्रणालियां

3.219 1 अप्रैल 2009 से बैंकों के स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) से नकदी के आहरण को निःशुल्क कर दिया गया। ग्राहकों के लिए एटीएम निःशुल्क करने के निर्णय का एटीएम के विस्तार पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। साथ ही, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे ग्राहक की शिकायत प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 12 दिनों अवधि के भीतर एटीएम संबंधी लेनदेन न हो पाने के कारण गलत तरीके से नामे डाली गयी राशि की प्रतिपूर्ति ग्राहकों को करें जो 17 जुलाई 2009 से प्रभावी होगा। निर्धारित अवधि के भीतर ग्राहक के खाते में राशि वापस जमा करने में की गई किसी प्रकार की चूक के लिए बैंक व्यथित ग्राहक को 100 रुपए प्रति दिन का मुआवजा अदा करेगा।

3.220 अभी भी छोटे मूल्य की अदायगी के लिए नकदी का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार करेंसी की जरूरत है। बड़ी आबादी तथा पीओएस टर्मिनलों की तुलना में एटीएम की उपलब्धता को देखते हुए ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए छोटे मूल्य के नकदी आहरणों की अनुमति देने हेतु इस मूलभूत सुविधा

का उपयोग करने के लिए, भारत में जारी सभी डेबिट कार्डों के लिए पीओएस में 22 जुलाई 2009 से 1,000 रुपया प्रतिदिन तक के नकद आहरण की सुविधा प्रदान की गयी है। इस सुविधा को लागू करने के पहले बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे रिजर्व बैंक से पूर्व विनियामक अनुमोदन प्राप्त करें।

3.221 माल और सेवाओं की अदायगी के लिए तथा नकदी के आहरण के लिए क्रेडिट/डेबिट कार्डों का उपयोग बढ़ रहा है। कार्ड आधारित भुगतानों, विशेष रूप से ऑनलाइन लेनदेनों (कार्ड प्रस्तुत नहीं) को अधिक सुरक्षित करने के लिए, रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन कार्ड लेनदेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की समीक्षा की। बैंकों/कार्ड कंपनियों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, 1 अगस्त 2009 से सभी ऑनलाइन 'कार्ड प्रस्तुत नहीं' लेनदेनों के लिए कार्डों में न दिखायी देने वाली जानकारी के आधार पर अतिरिक्त अभिप्रमाणन/वैधीकरण के प्रावधान की प्रणाली लागू की गयी है। 5,000 रुपए तथा उससे अधिक मूल्य के सभी 'कार्ड प्रस्तुत नहीं' लेनदेनों के लिए कार्डधारक के लिए "ऑनलाइन अलर्ट" की प्रणाली भी शुरू की गयी है।

नयी पहलें

पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखतों का निर्गम

3.222 देश में पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखतों का व्यवस्थित विकास तथा परिचालन सुनिश्चित करने के लिए, रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2009 में दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया। पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखतों को, जिन्हें जारी करने की देश में अनुमति है, मोटे तौर पर बंद प्रणाली भुगतान लिखतों, खुली प्रणाली भुगतान लिखतों तथा अर्द्ध-बंद प्रणाली भुगतान लिखतों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उक्त दिशानिर्देशों के प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं : (i) बैंकों तथा बैंकैतर व्यक्तियों को देश में पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखतें जारी करने की अनुमति है। जहां बैंकों को इन लिखतों की सभी श्रेणियों को जारी करने की अनुमति है, वहीं बैंकैतर व्यक्तियों को सिर्फ बंद तथा अर्द्ध-बंद प्रणाली वाली भुगतान लिखतें जारी करने की अनुमति है; (ii) किसी पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखत का अधिकतम मूल्य 50,000 रुपए निर्धारित किया गया है; (iii) पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखतें जारी करने

के बदले जारीकर्ता द्वारा वसूल की गयी राशि के विनियोजन के लिए शर्तें निर्धारित की गयी हैं। साथ ही, 14 अगस्त 2009 से, "अन्य व्यक्तियों" को भी 5,000 रुपए के अधिकतम मूल्य के लिए मोबाइल फोन आधारित अर्द्ध-बंद प्रणाली पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखतें जारी करने की अनुमति दी गयी है। इससे सिर्फ सामान और सेवाओं की खरीद की जा सकेगी, तथा व्यक्तियों के बीच निधियों के अंतरण की अनुमति नहीं है। पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखतें जारी करने के लिए तीन संस्थाओं को प्राधिकार दिया गया है (रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2008-09 में बॉक्स IX.2 'भारत में पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखतें' भी देखें)।

मोबाइल बैंकिंग लेनदेन

3.223 मोबाइल फोन के उपयोग तथा उसकी भौगोलिक व्याप्ति में हुए विस्तार के कारण बैंकों को बैंकिंग लेनदेनों के लिए इस विधि का उपयोग करने के नए अवसर मिले हैं तथा यह अब तक समाज के निष्कासित वर्गों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का अवसर भी प्रदान करता है। रिजर्व बैंक ने 'बैंक लेड मॉडल' अपनाया है जिसके तहत मोबाइल फोन बैंकिंग का संवर्धन बैंकों के व्यवसाय संपर्कियों के माध्यम से किया जाता है। भारत में मोबाइल बैंकिंग संबंधी लेनदेनों के लिए बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश 8 अक्टूबर 2008 को जारी किए गए। सिर्फ उन बैंकों को ग्राहकों को यह सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गयी है जिन्हें रिजर्व बैंक से एकबारगी अनुमोदन प्राप्त हुआ है। 30 जून 2009 तक, 32 बैंकों को भारत में मोबाइल बैंकिंग के परिचालन की अनुमति दी गयी, जिनमें से 7 स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक थे, 12 राष्ट्रीयकृत बैंक थे तथा 13 निजी/विदेशी बैंक थे। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2007-08 में इन दिशानिर्देशों के बारे में ब्यौरेवार चर्चा की गयी है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

3.224 विश्व भर में, केंद्रीय बैंक दिन-प्रति-दिन के भुगतान प्रणाली संबंधी परिचालनों से स्वयं को अलग कर रहे हैं। इसके अनुरूप रिजर्व बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) स्थापित

करने को प्रोत्साहित किया, जो भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के परिचालन के लिए छत्र संगठन के रूप में कार्य करेगा। अब एनपीसीआइ कार्य करने लगा है और वह अपना विज्ञान दस्तावेज तथा रोडमैप तैयार करने की प्रक्रिया में है। एनपीसीआइ पीएसएस अधिनियम के तहत प्राधिकृत संस्था होगा और इसलिए वह रिजर्व बैंक के विनियमन और पर्यवेक्षण के अधीन होगा।

खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए न्यूनतम मानक/बेंचमार्क संकेतक

3.225 रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2007 में खुदरा भुगतान प्रणालियों की बेंचमार्किंग के अंग के रूप में माइकर चेक प्रोसेसिंग केंद्रों की परिचालनात्मक दक्षता के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किया है। बैंक ने अक्टूबर 2008 में एक बुकलेट जारी किया, जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है : i) माइकर चेक प्रोसेसिंग केंद्रों की परिचालनात्मक दक्षता के लिए न्यूनतम मानक (एमएसओई); ii) मैग्नेटिक मीडिया आधारित समाशोधन प्रणाली (एमएमबीसीएस) (स्वचालित) समाशोधन गृहों के लिए एमएसओई; iii) इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं के लिए बेंचमार्क संकेतक; तथा iv) दक्षता के लिए एनईएफटी प्रणाली - बेंचमार्क संकेतक। समय-समय पर निदेश जारी किए जाते हैं तथा वांछित परिणामों के लिए समाशोधन गृहों द्वारा रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार में वे आते हैं, को प्रस्तुत तिमाही/छमाही स्वमूल्यांकन रिपोर्टें मंगाकर उनके कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया जाता है। रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर स्थल पर दौरे किए जाते हैं।

वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति

3.226 सीएफएसए ने भुगतान प्रणाली तथा वित्तीय बाजारों के मूल्यांकन संबंधी अपनी रिपोर्ट में टिप्पणियां की हैं तथा सुझाव दिए हैं, जिन्हें बॉक्स III.13 में दिया गया है।

12. प्रौद्योगिकीय गतिविधियां

3.227 प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष से न सिर्फ उपभोक्ता बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के विस्तार में मदद मिलती है, अपितु इससे निरंतर

और समावेशक वृद्धि संबंधी क्षमता भी बढ़ती है। सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) के दक्ष उपयोग ने वर्ग बैंकिंग से समुदाय बैंकिंग की ओर अग्रसर होना सुकर बनाया है। साथ ही, इससे भारत स्थित बैंकों को अपने कारोबार के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज विस्तार के उद्देश्य से अपने ग्राहकों को नये-नये उत्पाद तथा वैकल्पिक माध्यम प्रदान करने में भी मदद मिली है। रिजर्व बैंक ने प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग में प्रवेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, जिसके फलस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र का व्यापक कम्प्यूटरीकरण हुआ है। वित्तीय क्षेत्र प्रौद्योगिकी (एफएसटी) विज्ञान रिजर्व बैंक द्वारा परिदृष्ट स्थूल दृष्टिकोणों के आधार पर अपनी निजी आइटी पहल शुरू करने में बैंकों के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। रिजर्व बैंक ने भुगतान एवं निपटान प्रणालियों, जिनमें इन्फोनेट पर संरचनागत वित्तीय मेसेजिंग प्रणाली (एसएफएमएस) के अलावा सरकारी प्रतिभूतियों के लिए वार्तातय निपटान प्रणाली (एनडीएस), तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) तथा केंद्रीकृत निधि प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) शामिल हैं, में नए उत्पादों तथा सेवाओं का विनियोजन किए जाने के लिए व्यवसाय सुसाध्यकर्ता के रूप में कार्य करना जारी रखा।

3.228 बैंकों द्वारा अपने निजी लेनदेनों के लिए तथा उनके ग्राहकों की ओर से प्रसंस्कृत लेनदेनों के लिए उपयोग किए गए सभी महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों को मापनीयता एवं उच्च परिचालन उपलब्धता प्रदान करने के लिए, रिजर्व बैंक ने इन अनुप्रयोगों का परिचालन इसके अत्याधुनिक डेटा केंद्रों से करने संबंधी बड़ी पहल की। इन डेटा केंद्रों में प्रणालियों को इस प्रकार संरूपित किया गया है कि प्रत्येक केंद्र दूसरे के बैंकअप के रूप में कार्य करता है ताकि इसके उपयोगकर्ताओं के लिए निरापद और सुरक्षित माहौल में आइटी प्रणालियों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता के कारण ऐसी प्रणालियों की अबाधित उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को आत्यंतिक महत्व प्राप्त हो जाता है, खासकर किसी भी कारण से हुई विफलता के मामले में। क्षमता और बैंकअप के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करने की दृष्टि से, रिजर्व बैंक अपनी महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए आवधिक अंतराल पर डिजास्टर रिकवरी (डीआर) ड्रिल कराता है। अन्य बैंक भी अपने डिजास्टर रिकवरी सिस्टम का प्रयोग करके स्वतंत्र रूप से डीआर ड्रिल कराते रहते हैं।

बॉक्स III.13: सीएफएसए द्वारा भुगतान प्रणालियों का मूल्यांकन

सीएफएसए द्वारा भारत में भुगतान प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

- उच्च मूल्य समाशोधन प्रणाली, जो बड़ी राशियों का समाशोधन गैरजमानती आस्थगित निवल निपटान आधार पर करती है, से वित्तीय असुरक्षा पैदा हो सकती है। इसने सिफारिश की है कि उच्च मूल्यवाले लेनदेनों को इससे भी ज्यादा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों जैसे कि आरटीजीएस अथवा एनईएफटी प्रणालियों में ले जाया जाए।
- जब कभी परस्पर निर्भर भुगतानों की कड़ी लाइन में लग रही हो तो ज्यभी अथवा कोई नहीं आधार पर एमएनएसबी निपटान में प्रणालीगत जोखिम पैदा हो सकती है। आरटीजीएस प्रणाली में दक्ष चलनिधि प्रबंधन बैंकों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
- सुपुर्दगी बनाम भुगतान सुनिश्चित करने के लिए समाशोधन निगम/समाशोधन एजेंसी के माध्यम से भुगतान प्रणाली को निक्षेपागारों (डिपॉजिटरी) से अवरल जोड़ने का एक तंत्र स्थापित करना। सीएफएसए ने समाशोधन निगम और आरटीजीएस के बीच एक निरंतर सूत्र होने की आवश्यकता पर टिप्पणी की है।
- सीसीआईएल अकेला सीसीपी है जो मुद्रा, प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा बाजारों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और वर्षों के दौरान इसकी भूमिका बढ़ती रही है जिससे एक ही संस्था पर जोखिम घनीभूत हो रहा है। इसने लेनदेन की मात्रा में वृद्धि के साथ ऋण सीमा की अपर्याप्तता के बारे में इशारा किया। सीसीआईएल की

जोखिम प्रबंधन अपर्याप्तता के प्रणालीव्यापी निहितार्थ हो सकते हैं जो विकेंद्रीकृत प्रणालियों की तुलना में और भी भयंकर होगा। यदि केंद्रीय काउंटर पार्टी ज्वेल होने के लिए बहुत बड़ी मानी जाए तो इस केंद्रीकरण से जैतिक खतरे की समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं।

- सीएफएसए ने सीसीआईएल द्वारा मौजूदा समय में दिन के अंत में निपटान का अनुसरण करने की तुलना में पूरे दिन निपटानों को फैलाने की सिफारिश की। इसने सीसीआईएल द्वारा एलओसी बढ़ाने, सीबीएलओ और सरकारी प्रतिभूति खंडों में निवल नामे उच्चतम सीमा तथा बैंक-टू-बैंक रिपो व्यवस्था अथवा सीमित प्रयोजन हेतु बैंकिंग लाइसेंस पर विचार करने की सिफारिश की ताकि यह रिजर्व बैंक से चलनिधि सुविधा का लाभ ले सके।
- चूकि क्रेडिट / डेबिट कार्ड संबंधी धोखाधड़ियां निरंतर प्रकाश में आ रही हैं अतः धोखाधड़ियों से कारगर तरीके से निपटने के लिए इस क्षेत्र में हो रही ताजातरीन घटनाओं की जानकारी से रू-ब-रू रहना होगा।
- रिजर्व बैंक को ट्राइ तथा दूरसंचार विभाग से संपर्क करना चाहिए ताकि उन्हें एन्क्रिप्शन मानकों में किसी भी तरह की कमी के समस्त ई-कामर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पड़नेवाले प्रतिकूल परिणामों के बारे में तथा एन्क्रिप्शन मानकों तथा समर्थक कारोबारी वातावरण बनाए रखने के बीच एक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित किया जा सके।

3.229 बैंक की सुरक्षित वेबसाइट, जो रिजर्व बैंक तथा सरकारी विभागों एवं अन्य वाणिज्य बैंकों के बीच सुरक्षित संचार लिंक के रूप में कार्य करती है, का उपयोग बड़ी संख्या में प्रयोक्ताओं द्वारा किया जाना जारी है तथा इसने सूचना के प्रसार को सुकर बनाया है।

3.230 एफएसटी विज्ञान में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों की समीक्षा करने पर निम्नलिखित बातें प्रकट होती हैं :

(i) व्यापक नेटवर्क आधारित परिचालन, सीबीएस को सामान्य अंतर-बैंक अनुप्रयोगों के साथ समन्वित करके बैंकों द्वारा कोर बैंकिंग प्रणालियों के प्रति अंतरण द्वारा डेटा की केंद्रीकृत प्रोसेसिंग, (ii) नेशनल फाइनेंशियल स्विच (एनएफएस) के अंग के रूप में एटीएम के लिए बैंकों द्वारा संसाधनों की व्यापक साझेदारी, (iii) भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक विधियों की ओर अधिकाधिक अंतरण, (iv) कारगर तथा सुरक्षित व्यवसाय निरंतरता योजनाएं (बीसीपी) और आवधिक रूप से बीसीपी का प्रयोग शुरू करना, (v) सूचना प्रणाली संबंधी लेखा-परीक्षा का कार्यान्वयन नियंत्रण एवं निगरानी संबंधी उपायों के अभिन्न अंग के रूप में करना, तथा (vi) विशेष रूप से विक्रेता प्रबंधन के संदर्भ में आउटसोर्सिंग के प्रबंधन में सुधार।

3.231 भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इन्फोनेट) रिजर्व बैंक की प्रणालीगत अन्तर-बैंक भुगतान व्यवस्था के लिए अन्तर-बैंक इलेक्ट्रॉनिक सूचना के संचारण की रीढ़ का काम करता है। विगत वर्ष के दौरान कनेक्टिविटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि इसे मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) आधारित वीपीएन में परिवर्तित किया गया। इन्फोनेट को एमपीएलएस प्रौद्योगिकी की ओर ले जाने की प्रक्रिया में आइडीआरबीटी यह सुनिश्चित करने की ओर कार्य कर रहा है कि बैंकों को चरणबद्ध रूप से एमपीएलएस की ओर सहजता से अंतरित किया जाए। वर्ष के दौरान कई बैंक नवीनतम मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए नेटवर्क आधारित कनेक्टिविटी की ओर अंतरित हुए हैं, जिसका उद्देश्य उपयोक्ताओं की लागत में कमी, उपयोग में होनेवाली आसानी में वृद्धि तथा उपलब्धता का बेहतर स्तर है (बॉक्स III.14)। इन्फोनेट एमपीएलएस अन्तर-बैंक अनुप्रयोगों यथा तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), लोक ऋण कार्यालय - वार्तालय निपटान प्रणाली (पीडीओ-एनडीएस), केन्द्रीयकृत लोक लेखा विभाग प्रणाली (सीपीएडीएस) तथा स्वचालित समाशोधन गृह (एसीएच) के लिए संचार की रीढ़ का कार्य करेगा।

13. विधिक सुधार

3.232 2008-09 के दौरान किए गए विधायी परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

3.233 शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी किए जाने के बाद भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 लागू हो गया है। उक्त अधिनियम भुगतान प्रणालियों के बारे में रिजर्व बैंक को विनियामक और पर्यवेक्षणात्मक शक्तियां प्रदान करता है। तदनुसार रिजर्व बैंक ने (i) भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड विनियमावली, 2008; तथा (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 नामक विनियमावलियां बनायी हैं।

3.234 सहायक बैंकों के प्रबंधन और कार्यप्रणाली में रिजर्व बैंक के अनुमोदन अथवा परामर्श से संबंधित स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अधिनियम, 1956 तथा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए 24

फरवरी 2009 को लोकसभा में भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2009 पेश किया गया। भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का 30) लागू होने के अनुसरण में स्टेट बैंक का स्वामित्व रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार को अंतरित कर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक के स्वामित्व में परिवर्तन के कारण, दोनों संविधियों में परिणामी संशोधन किए जाने थे। तथापि, विधेयक व्यपगत हो गया है।

3.235 जहां तक विधिक मूलभूत संरचना का संबंध है, सीएफएसए ने नोट किया है कि यद्यपि वित्तीय क्षेत्र की विधिक मूलभूत संरचना में सुधार हुआ है, तथापि परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूरी होने में विश्व की तुलना में सर्वाधिक समय लगता है तथा 'रिकवरी' की दर सबसे कम है। कंपनी अधिनियम (द्वितीय संशोधन), 2002 को लागू किए जाने से परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूरी होने में होने वाली देरी संबंधी वर्तमान समस्याएं दूर होंगी। सीएफएसए का मानना है कि वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में बैंकों और अन्य श्रेणी की वित्तीय संस्थाओं के लिए अलग दिवालिया व्यवस्था जरूरी है क्योंकि ऐसी संस्थाओं के

बॉक्स III.14: मल्टी-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस)

मल्टी-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) इंजीनियरिंग नेटवर्क ट्रैफिक स्वरूप के लिए एक प्रक्रिया उपलब्ध कराता है जो राउटिंग सारणियों से स्वतंत्र होती है। यह नेटवर्क के माध्यम से पैकेट फॉरवर्डिंग तथा लेबल स्विचिंग का मिश्रण है, जो उच्च गति वाले लेयर 2 स्विचिंग को लेयर 3 राउटिंग के साथ लेबल स्विचिंग का उपयोग करते हुए समन्वित करता है। एमपीएलएस आभासी निजी नेटवर्क (वीपीएन) का उपयोग करता है जिससे सुरक्षा स्तरों में वृद्धि होती है तथा इस प्रकार नेटवर्क आधारित दूरसंचार में सुधार आता है। एमपीएलएस नेटवर्क लीड लाइन नेटवर्क का सुधरा हुआ रूप है। आंशिक मेश नेटवर्क होने के कारण लीड लाइन कम आरोह्य है, अतः नेटवर्क में नया साइट जोड़ना कठिन है। साथ ही, बैंडविड्थ को अपग्रेड करने में समय लगेगा तथा यह बेहिल प्रक्रिया है तथा एक लीड लाइन नेटवर्क में पैकेट स्विचिंग एमपीएलएस की तुलना में धीमा होता है।

एमपीएलएस के विकास के साथ, वीपीएन नेटवर्क कम्प्यूटिंग के संसार में मौलिक बदलाव का संदेश लाने वाला है। गत वर्ष की एक और प्रवृत्ति यह है कि अधिकांश उद्यम अत्यधिक कुशल तथा अनावश्यक नेटवर्कों के सृजन पर फोकस कर रहे हैं, जहां एमपीएलएस वीपीएन एक विश्वसनीय वाइड एशिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) कनेक्टिविटी विकल्प के रूप में उभरा। साथ ही, यह संसाधनों के दक्ष उपयोग में सुधार लाता है तथा नेटवर्क के कार्यनिष्पादन को बढ़ाता है। एमपीएलएस अनुप्रयोग आवश्यकताओं के आधार पर सेवा की गुणवत्ता तथा सेवा की श्रेणी के सुगमतापूर्वक कार्यान्वयन में मदद करता है। सीपीई (ग्राहक परिसर उपस्कर अर्थात् राउटर) से सीपीई के बीच इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्वियरिटी (आइपीएसईसी) टनेल (सुरक्षित टनेल जिनके बीच डेटा एनक्रिप्टेड होता है) का कार्यान्वयन अपेक्षाकृत आसान होता है। आइडीआरबीटी ने उच्च स्तरीय

रिडन्डेंसी देने के लिए अभिकल्पित इन्फ्रीनेट एमपीएलएस आर्किटेक्चर के कार्यान्वयन की परियोजना शुरू की है।

इन्फ्रीनेट एमपीएलएस ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए संभावनाओं में सुधार लाता है तथा सेवा की गुणवत्ता की गारंटी के साथ सेवाओं की सुपुर्दगी का समर्थन करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं : (i) सभी स्थानों पर ज्जुल मेशडट संचार (बैकबोन), (ii) उच्च गति से दोष सहन में समर्थ बनाने के लिए दो सेवा प्रदाता, (iii) सेवा प्रदाताओं के बीच दो स्थानों के बीच एक वीपीएन, सीपीई के बीच सभी वीपीएन एनक्रिप्टेड होंगे, तथा (iv) अंतिम स्थल पर भी क्यूओएस (सेवा की गुणवत्ता) तथा टीई (ट्रैफिक इंजीनियरिंग) की उपलब्धता।

क्यूओएस संसाधन आश्वासन तथा सेवा में विभेदीकरण प्रदान करने संबंधी नेटवर्क की वह क्षमता है, जिसमें 'सेवा संबंधी विभेदीकरण' विभिन्न अनुप्रयोगों के साथ विभिन्न रूपों में व्यवहार करने की नेटवर्क की योग्यता होती है तथा 'संसाधन संबंधी आश्वासन' अनुप्रयोग की अपेक्षाओं के अनुरूप उपयुक्त सेवा प्रदान करने संबंधी नेटवर्क की योग्यता - यथा बैंडविड्थ, पैकेट हानि, जिट्टर तथा प्रसुप्ति (लेटेन्सी) होती है।

टीई उस मार्ग (पाथ) को चुनने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, जिसके साथ एक नेटवर्क के माध्यम से डेटा का आवागमन होता है ताकि नेटवर्क के संसाधन के उपयोग और ट्रैफिक के निष्पादन को इष्टतम बनाकर दक्ष एवं विश्वसनीय नेटवर्क परिचालन सुनिश्चित किया जा सके। टीई का लक्ष्य है - दक्ष एवं विश्वसनीय नेटवर्क परिचालन, नेटवर्क संसाधनों को इष्टतम बनाना तथा लिंक एवं नोड संबंधी विफलताओं को संभालना और डेटा नेटवर्क में निष्पादन एवं क्यूओएस के साथ स्वर तथा वीडियो की सुपुर्दगी।

दिवालियेपन को निपटाने में दिखाई गई किसी भी तरह की अक्षमता का पूरी आर्थिक प्रणाली में गंभीर संक्रमणात्मक प्रभाव और प्रतिघात पड़ सकता है जिससे आर्थिक कार्यकलाप में अस्थिरता आ सकती है।

14. निष्कर्ष

3.236 वैश्विक वित्तीय संकट को देखते हुए, 2008-09 के दौरान लिए गए नीतिगत पहलों का मुख्य उद्देश्य बिना किसी व्यवधान के अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण जुटाते हुए बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता बनाए रखना और चलनिधि सुनिश्चित करना था। वर्ष के दौरान जिन मुद्दों पर रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष ध्यान दिया गया उनमें बैंकों के तुलनपत्र-बाह्य एक्सपोजरों का विवेकपूर्ण विनियमन, वित्तीय संगुटों का पर्यवेक्षण तथा बैंकिंग प्रणाली के अग्रिमों का पुनर्विन्यास शामिल है। कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 में कई आशोधन भी किए गए ताकि योजना के कार्यान्वयन को अधिक आसान बनाया जा सके। वित्तीय समावेशन को सुकर बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने बीसी मॉडल, वित्तीय साक्षरता, ऋण परामर्श तथा अग्रणी बैंक योजना को प्राथमिकता दी। 'नो-फ्रिल्स' खातेदारों को सक्रिय रूप से अपने खातों का परिचालन करने के

लिए प्रोत्साहित करके वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को तीव्र करना एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर रिज़र्व बैंक को और ध्यान देना चाहिए। वित्तीय समावेशन के संबंध में पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू करके तथा व्यावसायिक परिचालनों को विशाखीकृत करके आरआरबी को सुदृढ़ करना महत्वपूर्ण हैं। वर्ष के दौरान सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करने की ओर, भारतीय वित्तीय परिदृश्य में इन संस्थाओं के महत्व को देखते हुए, रिज़र्व बैंक द्वारा उचित ध्यान दिया गया। बैंकों को अधिक ग्राहकानुकूल बनाने के लिए बीओएस को संशोधित किया गया। बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी कम करने तथा एटीएम को ग्राहकानुकूल बनाने के लिए भी उपाय किए गए। आरटीजीएस को आशोधित किया गया ताकि इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेनदेनों को अधिक दक्ष बनाया जा सके। वर्ष के दौरान, अधिकांश बैंक कम लागत वाली एमपीएलएस प्रौद्योगिकी की ओर अंतरित हो गए।

3.237 कुल मिलाकर, रिज़र्व बैंक ने सक्रिय नीतिगत निर्णय लिए ताकि भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली पर वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के अप्रत्यक्ष प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके। सीएफएसए द्वारा किए गए आकलन यह दर्शाते हैं कि भारतीय बैंक सुदृढ़ हैं तथा वे मोटे तौर पर अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन करते हैं।